

**66वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22  
66th Annual Report 2021-22**

**अनुक्रमणिका  
CONTENTS**

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	2
सूचना/Notice	6
प्रबंध निदेशक का भाषण/Chairman's Speech	7
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	10
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	41
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी/Comments of the Comptroller and Auditor General of India	127
तुलन-पत्र/Balance Sheet	133
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	136
अनुसूची 1 से 24/Note 1 to 24	138
लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Financial Statement	169
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	201



## निदेशक मंडल

श्री धर्म पाल, आई.ए.एस.

अतिरिक्त सचिव,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार  
(22.02.2018 से 20.01.2022 तक)

श्रीमती नीरजा अदिदम

अतिरिक्त सचिव,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार  
(20.01.2022 से)

श्री निरंजन लाल

निदेशक,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार  
(04.10.2017 से 26.09.2022 तक)

श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटील

निदेशक  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार  
(26.09.2022 से)

श्री अनिल कुमार वी. पाटिल

निदेशक,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
(08.09.2016 से 29.09.2021 तक)

## BOARD OF DIRECTORS

**Shri Dharam Pal, IAS**

Additional Secretary,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Chairman &  
Managing Director  
(w.e.f. 22.02.2018 to 20.01.2022)

**Smt. Neeraja Adidam**

Additional Secretary,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Chairman& Managing  
Director  
(w.e.f. 20.01.2022)

**Shri Niranjan Lal**

Director,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Director ( Finance)  
(w.e.f. 04.10.2017 to 26.09.2022)

**Shri Padamsing Pradipsing Patil**

Director,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Director(Finance)  
(w.e.f. 26.09.2022)

**Shri Anilkumar V. Patil**

Director,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
(w.e.f. 08.09.2016 to 29.09.2021)



**श्रीमती गीता मिश्रा**  
निदेशक,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
(29.09.2021 से)

**श्री जोहन टोपनो**  
निदेशक,  
उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
(20.04.2020 से)

## **प्रमुख कार्यपालक**

**श्रीमती रेखा शर्मा**  
उप सचिव (पी.एस.यू.) एवं सतर्कता  
उर्वरक विभाग  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार  
(06.07.2017 से 30.08.2022 तक)

**श्री अनुराग रोहतगी**  
निदेशक  
उर्वरक विभाग  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार  
(24.11.2022 से)

**श्रीमती सिओन कोंगारी**  
सलाहकार

**श्री के. एल. राव**  
विशेष कार्य अधिकारी (30.06.2022 तक)

**श्री एस.एस. शेखवात**  
विशेष कार्य अधिकारी (11.05.2022 से)

**Smt. Geeta Mishra,**  
Director,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers  
(w.e.f. 29.09.2021)

**Shri Johan Topno**  
Director,  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
(w.e.f. 20.04.2020)

## **PRINCIPAL EXECUTIVES**

**Smt. Rekha Sharma**  
Dy. Secretary (PSU) & Vig.  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Chief Vigilance Officer  
(w.e.f. 06.07.2017 to 30.08.2022)

**Shri Anurag Rohtagi,**  
Director  
Department of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Chief Vigilance Officer  
(w.e.f. 24.11.2022)

**Smt. Sion Kongari**  
Advisor

**Shri K.L. Rao**  
Officer on Special Duty (up to 30.06.2022)

**Shri S.S. Shekhwati**  
Officer on Special Duty (w.e.f. 11.05.2022)



श्रीमती ऋतु भाटिया  
कंपनी सचिव (19.09.2022 से)

## मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री यू.सी. गौड़  
प्रभारी, सिन्दरी एकक

श्री ए.एन. तिवारी  
सलाहकार एवं प्रभारी, गोरखपुर एकक  
(30.06.22 तक)

श्री धनश्याम लाल श्रीवास्तव  
प्रभारी, गोरखपुर एकक  
(01.07.22 से)

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी  
प्रभारी, रामागुण्डम एकक

श्री इरफान अहमद  
प्रभारी, तलचर एकक (1.1.22 से)

श्री डी. पांडा  
प्रभारी, तलचर एकक (दिसम्बर, 2021 तक)

श्री आर. एल. देशभ्रतार  
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

## एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	-	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	-	तेलंगाना
तलचर एकक	-	ओडिशा
कोरबा प्रभाग	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

**Smt. Ritu Bhatia**  
Company Secretary (w.e.f. 19.09.2022)

## CHIEF EXECUTIVES - UNITS

**Shri U.C. Gaur**  
Incharge, Sindri Unit

**Shri A.N. Tiwari**  
Advisor Cum-Incharge, Gorakhpur Unit  
(Upto 30.06.2022)

**Shri Ghanshyam Lal Srivastava**  
Incharge, Gorakhpur Unit  
(w.e.f. 01.07.2022)

**Smt. M.N. Maleshwari**  
Incharge, Ramagundam Unit

**Shri Irfan Ahmad**  
Incharge, Talchar Unit (w.e.f. 1.1.22)

**Shri D. Panda**  
Incharge, Talchar Unit (Till Dec. 2021)

**Shri R.L. Deshbhratar**  
Incharge, Korba Division

## UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	-	Jharkhand
Gorakhpur Unit	-	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	-	Telangana
Talcher Unit	-	Odisha
Korba Division	-	Chhattisgarh
Central Office	-	Noida (U.P.)



## पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-III  
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

## केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),  
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,  
जिला-गौतम बुद्ध नगर,  
उत्तर प्रदेश-201 301

## लेखा परीक्षक

मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

## बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया  
केनारा बैंक

## कानूनी सलाहकार

मैसर्स फॉक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता  
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा  
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली  
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली  
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली  
मैसर्स हम्मूराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

## REGISTERED OFFICE

7, Intitutions Area,  
SCOPE Complex, Core III,  
Lodhi Road, New Delhi-110003

## CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),  
A-14, Sector-1, NOIDA  
Distt. Gautam Budh Nagar,  
Uttar Pradesh -201 301

## AUDITORS

**M/s. Deepak Gulati & Associates**  
Chartered Accountants, New Delhi

## BANKERS

State Bank of India  
Union Bank of India  
Canara Bank

## LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata  
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA  
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi  
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi  
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi  
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi



## सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 66वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022, सांय 4 बजे, कांफेन्स रूम, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

### साधारण कार्य

- “31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सी ए जी की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।”
- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-  
“भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित किया जाता है।”

बोर्ड के आदेश से  
ह०/-

(सीएस ऋतु भाटिया)  
(कंपनी सचिव)  
स.न.: ए18344

दिनांक : 09.12.2022

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,  
सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

- मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स,  
सनदी लेखाकार, (डीई 2725)  
3, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

## NOTICE

Notice is hereby given that the **66<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the Shareholders of the Fertilizer Corporation of India Limited **will be held on Friday, the 23<sup>rd</sup> December, 2022 at 4.00 P.M. in the Conference Room, 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 001** to transact the following business :-

### Ordinary Business

- “To receive and adopt the Directors’ Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with Auditors’ Report and C&AG comments for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022.”
- To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

“Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2022-23 be fixed by the Board of Directors of the Corporation.”

By Order of the Board

sd/-

**(CS Ritu Bhatia)**

**Company Secretary**

**M.No: A18344**

Dated 9.12.2022

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:

All Directors

All Shareholders.

Copy to:-

- M/s. Deepak Gulati & Associates, Chartered Accountants,(DE2725)  
3, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi– 110001,
- Chairman, Audit Committee.



एफ.सी.आई.एल. की 66वीं वार्षिक साधारण बैठक  
में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण।

प्रिय शेयर धारकों, महिलाओं और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आज आयोजित होने  
वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की  
66वीं वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का  
स्वागत करती हूं।

प्रारंभ में, यह सूचित किया जाता है कि 31 मार्च,  
2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और  
वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा, सार्विधिक लेखा परीक्षकों  
की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
की टिप्पणियों को पहले ही परिचालित किया जा चुका  
है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ने के रूप में  
लेती हूं।

### वित्तीय प्रदर्शन

मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि आपकी कंपनी ने  
42.97 करोड़ रुपये का पीबीटी और 35.73 करोड़  
रुपये का पीएटी अर्जित किया है। कंपनी की नेटवर्थ  
666.49 करोड़ रुपये है। कंपनी को होने वाली आय  
मुख्य रूप से एफडीआर से ब्याज, एफसीआईएल रेल  
लाइन का उपयोग करने के लिए एसीसी से लाइसेंस  
शुल्क और पटे पर दिए गए आवासों पर किराये के  
कारण होती है।

### लाभांशः

हालांकि कंपनी ने 35.73 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित  
किया है, लेकिन कंपनी का संचयी घाटा 134.30 करोड़  
रुपये है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में  
रखते हुए, कि कोई भी कंपनी लाभांश की घोषणा तब

### Chairman's speech at the 66<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of FCIL

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I welcome all  
the Shareholders to the **66<sup>th</sup> Annual General  
Meeting** of your Company for the Financial Year  
2021-22 being held today.

At the outset, it is informed that the Directors'  
Report and Audited Annual Accounts for the year  
ended 31<sup>st</sup> March, 2022, together with Statutory  
Auditors' Report and comments of C&AG thereon  
have already been circulated. With your  
permission, I take them as read.

### Financial Performance:

I am please to inform you that your Company has  
earned **PBT of Rs 42.97 crore** and **PAT of Rs  
35.73 crore**. The **net worth of the Company is  
Rs 666.49 crore**. The income to the Company is  
mainly on account of interest from FDRs, licence  
fee from ACC for using the FCIL Rail Line and  
rentals on leased accommodations.

### Dividend:

Although the Company has earned PAT of Rs  
35.73 crore, the cumulative loss to the Company  
stands at Rs 134.30 crore. In view of the provisions  
of Companies Act, that no company declares  
dividend unless carried over previous losses and



तक नहीं करती है, जब तक कि पिछले वर्षों में प्रदान नहीं किए गए पिछले घाटे और मूल्यहास को चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के खिलाफ निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी के बोर्ड ने 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा नहीं करने का निर्णय लिया है।

### भविष्य का दृष्टिकोण:

रामागुंडम इकाई को आरएफसीएल द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और 22.03.2021 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आरएफसीएल ने 389180.95 मीट्रिक टन यूरिया और 256500.25 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है।

गोरखपुर परियोजना चालू हो गई है और 06.05.2022 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। परियोजना 90% कार्य क्षमता पर चल रही है।

सिंदरी परियोजना चालू हो गई है और एचयूआरएल द्वारा सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन 7.11.2022 को शुरू हो चुका है।

तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मैसर्स टीएफएल) ने एलएसटी के और गैर-एलएसटी के दोनों संविदाओं सहित 90% पैकेज प्रदान किए हैं। सिविल गतिविधियों के साथ निर्माण गतिविधियां जोरों पर हैं। जल प्रणाली का निर्माण, विद्युत एवं निर्माण स्थल सक्षम करने के कार्य जैसी परियोजना-पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं।

एफसीआईएल, एचयूआरएल और आरएफसीएल में 11% इक्विटी और टीएफएल में 4.45% हिस्सेदारी के साथ इन संयुक्त उद्यमों का भागीदार है। प्रत्येक संयंत्र से प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। जबकि, एचयूआरएल और आरएफसीएल परियोजनाएं

depreciation not provided in previous years are set off against profit of the company for the current year, the Board of the company has decided not to declare dividend for 2021-22.

### Future Outlook:

**Ramagundum Unit** has been revived by RFCL and commercial production started w.e.f. 22.03.2021. During the year 2021-22, RFCL has produced 389180.95 MT of Urea and 256500.25 MT of Ammonia.

**Gorakhpur Project** has been commissioned and commercial production started on 06.05.2022. The project is running at 90% load.

**Sindri Project** has been commissioned and Commercial Production at Sindri by HURL started on 7.11.2022.

**Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL)** have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. Pre-Project activities like Construction of water system, construction of Power and site enabling work have been completed.

FCIL is a partner to these JVs with having 11% equity in HURL and RFCL and 4.45% in TFL. Each plant will produce 12.7 lakh MT per annum of Urea. Whereas, HURL and RFCL projects are gas based the TFL project is a coal based project.



गैस आधारित हैं, टीएफएल परियोजना एक कोयला आधारित परियोजना है।

#### **आभारः**

अंत में, मैं एफसीआईएल में निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए सभी बोर्ड सदस्यों, हमारे हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं इस अवसर पर उर्वरक विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने पूरे दिल से निरंतर समर्थन दिया है।

मैं भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी हूं। इसके अलावा ईमानदारी से कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा कंपनी के लिए उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से किए गए कार्य के लिए सराहना करती हूं।

( नीरजा अदिदम )  
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 09351163

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 23.12.2022

Sd/-  
**(Neeraja Adidam)**  
**Chairman & Managing Director**  
**DIN :09351163**

Place : New Delhi  
Date : 23.12.2022



## निदेशकों की रिपोर्ट

**1.0** आपके निदेशक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 66वें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

### 2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2020-2021 के 51.05 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2021-2022 में 35.74 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

### 3.0 वित्तीय स्रोत

#### 3.1 शेयर पूँजी

एफ सी आई एल की अधिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 750.92 करोड़ रुपये ही रही है।

#### 3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए के दिनांक 9.5.2013 की अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड़ रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

### 4.0 लाभांश

कंपनियों की घोषणा और लाभांश भुगतान नियम 2014 के अनुसार कोई भी कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष में प्रदान किए गए नुकसान और मूल्यांकन को चालू वर्ष की कंपनी के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, हानि या मूल्यांकन पिछले वर्षों में जो भी कम है, उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विरुद्ध गुजरा करना

## DIRECTORS' REPORT

**1.0** Your Directors hereby present their 66<sup>th</sup> Annual Report of the Company together with the audited accounts and the Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022.

### 2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company earned a net Profit of Rs.35.74 crore in 2021-2022 as against a net profit of Rs.51.05 crore during 2020-2021.

### 3.0 FINANCIAL RESOURCES

#### 3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore during FY 2021-22.

#### 3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs.2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs.7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

### 4.0 DIVIDEND

As per Companies (Declaration & Payment of Dividend) Rules 2014, no Company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year are set off against profit of the Company of the current year, the loss or depreciation, whichever is less, in previous years is set off against the profit of the



जिसके लिए लाभांश घोषित या भुगतान किया गया है। अतः निदेशकों के बोर्ड ने कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

Company for the year for which dividend is declared or paid. Hence, the Board of Directors have not recommended any Dividend.

## 5.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 6.61 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

## 6.0 उत्पादन निष्पादन

संयंत्रों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

## 7.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./ कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाईयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, रामागुडम यूनिट को ई.आई.एल., एन.एफ.एल. एवं एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम रामागुडम फर्टिलाईजर्स एन्ड कैमिकल्स द्वारा पुर्नजीवित किया गया है। गोरखपुर यूनिट को एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल एवं एचएफसीएल की संयुक्त उद्यम हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा पुर्नजीवित किया गया है। सिन्दरी युनिट जोकि हर्ल द्वारा पुर्नजीवित की जा रही है। मे 99 प्रतिशत की औसत प्रगति हासिल कर ली है। और जल्द ही व्यवसायिक उत्पादन करने लगेगी। तलचर

## 5.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.6.61 crore by way of GST, Sales tax, Excise duty, Income tax, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

## 6.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year due to the decision of the GoI for closure of operations of the plants in the year 2002.

## 7.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent to the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, Ramagundam Unit has been revived by M/s. Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL), a Joint Venture of EIL, NFL & FCIL and Gorakhpur has been revived by M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), a Joint Venture of NTPC, CIL, IOCL, FCIL & HFCL. Sindri Unit being revived by HURL has achieved physical progress of 99% and would go for commercial production



युनिट, सीआईएल, आरसीएफ, गेल के संयुक्त उद्यम तलचर फर्टिजाईजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा पुर्नजीवित किया जा रहा है तथा निर्माण के चरण में है।

## 8.0 निर्गमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में 3 बोर्ड निदेशकों की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की दिनांक 10.12.2021 को एक बैठक हुई। कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए कंपनी से वर्ष 2021-2022 में रु.12.86 लाख और पिछले वर्ष 2020-2021 में रु.45.94 लाख रूपये खर्च करने की आवश्यकता थी।

लेकिन कुछ गणना त्रुटि के कारण कंपनी 2021-2022 के दौरान सीएसआर पर कोई राशि खर्च नहीं कर सकी। पिछले वर्ष कंपनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आवश्यक व्यय रु.45.94 लाख के बजाय केवल रु.11.16 लाख का योगदान दिया था। इसलिए वर्ष 2021-2022 में रु.47.64 (2020-21 के लिए रु.34.78 लाख तथा 2021-22 के लिए रु.12.86 लाख रूपये) का प्रावधान किया गया है। यह राशि नामित खाते में 30.09.2022 तक जमा कर दिया गया है।

soon. Talcher Unit being revived by M/s Talcher Fertilizers Limited (TFL), a Joint Venture of CIL, RCF, GAIL & FCIL, is at construction stage.

## 8.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance to Section 135(1) of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has been constituted with 3 Board Directors. During the year, one Meeting of Board-level CSR Committee was held on 10.12.2021.

As per the requirements of the Companies Act, 2013( The Act) the Company was required to incur Rs.12.86 lakh in Financial Year 2021-22 and Rs.45.94 lakh in previous year 2020-21 for the activities specified in Schedule VII of the Act.

But due to some calculation error the company could not spent any amount on CSR during 2021-22. In the previous year Company had made a contribution of Rs.11.16 lakh in Prime Ministers National Relief Fund as against the requirement of Rs.45.94 lakh. Therefore, a provision of Rs.47.64 lakh ( Rs. 34.78 for 2020-21 and Rs.12.86 lakh for 2021-22) has been made in 2021-22. This amount has been contributed in the designated accounts by 30.09.2022.

## विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और इन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। इसलिए कंपनी में कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

## 9.0 कम्पनी का पुनरुज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय (कंपनी का अधिकार क्षेत्र) ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत सरकार के निर्णय को सूचित करते हुए कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया और मामले को कंपनी के पुनर्जीवन के लिए बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एककों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

## MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. Hence, there is no marketing activity.

## 9.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand-supply gap of Urea in the country, and the availability of fully-developed infrastructure in all the units of the Company, Government of India felt that it is essential to revive the closed fertilizer Units. The Hon'ble High Court of Delhi (Company Jurisdiction), where the Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken into cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006 and referred the matter to BIFR for its consideration for revival.

- Considering the availability of fully-developed land along with water & power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:



“गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ‘सैद्धान्तिक रूप में’ निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरुज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये”।

- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी और आगे चलकर वर्ष 2015 में संशोधन किया।

### ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

एमपावर्ड कमेटी ऑफ सैक्रेट्रीस (ई.सी.ओ.एस.) की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरुज्जीवन के अन्य पैरामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि निवल पूँजी को घनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरुज्जीवित किया जा सके।

### 10.0 पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

#### रामगुण्डम एकक

- एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम मै. रामगुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर एफ सी एल) का 17.2.2015 को गठन किया गया है। एफ सी आई एल को यूनिट के आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये 11 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।

*“decided ‘in principle’ to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas.”*

- Government of India approved new Investment Policy for the Urea Sector in the year 2012 and subsequently amended the same in the year 2015.

#### CCEA approval of ECOS recommendations

On the recommendations of Empowered Committee of Secretaries (ECOS), CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of Gol loan & interest to make FCIL a positive net worth Company and to enable FCIL to take up the revival as approved by CCEA earlier.

### 10.0 Present Status of revival

#### Ramagundam Unit:

- A Joint Venture Company, namely ‘Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited’ (RFCL) has been incorporated on 17.2.2015 with the participation of NFL, EIL & FCIL. FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.



- आर एफ सी एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) एफ सी आई एल के नामित निदेशक हैं।
- परियोजना की शुन्य तिथि 25.09.2015 थी।
- एफ सी आई एल और आर एफ सी एल के बीच रियायत समझौता और पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर हो गये हैं। आर एफ सी एल, आर एफ सी एल, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और एफ सी आई एल के मध्य प्रतिस्थापन समझौता हुआ है।
- आर एफ सी एल ने 22.03.2021 से व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान आरएफसीएल ने 389150.80 मी.ट. यूरिया और 256500.25 मी.ट. अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के (-)59.96 करोड़ की तुलना में (-)रु.1037.93 करोड़ का पीबीटी अर्जित किया है। और पिछले वर्ष के (-)46.99 करोड़ की तुलना में (-)759.37 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

#### तलचर एकक

- आर.सी.एफ., सी.आई.एल, गेल और एफ सी आई एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी तलचर फार्टिलाइजर्स लिमिटेड, (टी एफ एल) का गठन हुआ है।
- एकक की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के बदले में एफ सी आई एल को 4.45% इक्विटी मिलेगी।
- टी एफ एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) नामित निदेशक हैं।
- पी डी आई एल द्वारा तैयार किये गये टी ई एफ आर पर एस बी आई सी ए पी एस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

- Director (Finance), FCIL, is the FCIL nominated Director on the Board of RFCL.
- Zero date of the project was 25.9.2015.
- Concession Agreement & Lease Agreement have been signed between FCIL & RFCL. Substitution Agreement has been signed amongst RFCL, Lenders' representative of RFCL and FCIL
- RFCL has started commercial production w.e.f. 22.3.2021.
- During the year 2021-22, RFCL has produced 389180.95 MT of Urea and 256,500.25 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (-) Rs.1037.93 Crore as against (-) Rs.59.96 Crore in previous year and PAT of (-) Rs.759.37 Crore as against (-) Rs.46.99 Crore in previous year.

#### Talcher Unit:

- A Joint Venture Company, namely, 'Talcher Fertilizers Limited' (TFL) has been incorporated with the participation of RCF, CIL, GAIL & FCIL.
- FCIL to get 4.45% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL is the nominated Director on the Board of TFL.
- SBICAPS have submitted their Report on TEFR prepared by PDIL.



- संयुक्त उद्यम ने कोयला पर आधारित यूरिया फर्टिलाइजर तकनीक लगाने के लिये शैल कोल गैसीफिकेशन तकनीक को चुन लिया है।
- मै. वुहान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, चीन को कोल गैसीफिकेशन पैकेज का ठेका दिया गया है।
- वुहान इंजनियरिंग कंपनी लिमिटेड चीन, कोविड-19 महामारी और यात्रा और बीजा प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों के कारण परियोजना में देरी का दावा कर रही है। हालांकि पीडीआईएल वुहान इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ बातचीत कर स्वीकार्य विलंब को 12 महीने तक करने के लिए बातचीत कर रही है। जैसे ही स्वीकार्य विलंब फाइनल हो जायेगा परियोजना कार्यक्रम पर फिर से कार्य किया जायेगा और तैयार किया जायेगा।
- रियायत समझौते पर 29.1.21 को हस्ताक्षर हुए।
- टीएफएल, टीएफएल के ऋणदाताओं के प्रतिनिधि एवं एफसीआईएल के बीच 14.7.22 को प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- नागरिक गतिविधियों के साथ निमार्ण गतिविधियों जोरों पर है। परियोजना पूर्व गतिविधियों जैसे जल प्रणाली, बिजली प्रणाली निमार्ण, साईट कार्य का काम पूरा कर लिया गया है।

- The Joint Venture has selected Shell Coal Gasification Technology for setting up a coal-based Urea Fertilizer Complex.
- Contract for coal gasification package has been awarded to M/s. Wuhuan Engineering Company Ltd., China.
- M/s. Wuhuan Engineering Company Ltd., China, is claiming 15 months project delay due to Covid-19 pandemic and related issues of travel & visa restrictions. However, PDIL is under negotiation with M/s Wuhuan Engineering Co. Ltd. for reducing the acceptable delay to 12 months. As soon as the acceptable delay is finalized, the project schedule shall be re-worked and prepared.
- Concession Agreement has been signed on 29.01.2021.
- Substitution Agreement has been signed on 14.07.2022 amongst TFL, Lenders' Representative of TFL & FCIL.
- Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL) have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. Pre-Project activities like Construction of water system, construction of Power and site enabling work have been completed.

## सिन्दरी और गोरखपुर एक

- केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक 13.07.2016 को एच.एफ.सी.एल. की बरौनी इकाई के साथ एफसीआईएल के सिंदरी एवं गोरखपुर इकाईकों को नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. एवं आई.ओ.सी.एल. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। एफ.सी.आई.एल. एवं एच.एफ.सी.एल. भी इसमें संयुक्त उद्यम भागीदार रहेंगे और भूमि उपयोग, प्रयोग करने योग्य संपत्ति एवं अवसर लागत के बदले में उन्हें प्रत्येक परियोजना के बदले 11% इक्विटी प्राप्त होगी।
- कैबिनेट द्वारा पुनर्जीवन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति (आई.एम.सी.) का भी गठन किया गया। एकों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एच यू आर एल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया।
- सिंदरी एवं गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफ.सी.आई.एल. और एच.यू.आर.एल. के बीच रियायत समझौते और पट्टा लेखों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। गोरखपुर एवं सिंदरी परियोजनों के लिए एफ सी आई एल, एच यू आर एल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच प्रतिस्थापना समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
- गोरखपुर परियोजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7.12.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन 3.5.2022 से प्रारंभ कर दिया है, जब कि सिन्दरी ने जुलाई 2022 तक 99 प्रतिशत की समग्र भौतिक प्रगति हासिल कर ली है।

## Sindri & Gorakhpur Units:

- Union Cabinet decided on 13.7.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive 11% equity in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost.
- Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)' has been incorporated for the purpose of revival of the units.
- Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lenders' Representative.
- Gorakhpur Project was dedicated to the Nation by the Hon'ble Prime Minister of India on 7.12.2021. The Plant has started commercial production w.e.f. 3.5.2022, whereas Sindri has achieved an overall physical progress of 99.0% by July, 2022.



## 11.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2021-2022 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अधिन्न भाग माना जाता है। सुश्री रेखा शर्मा, उप सचिव, उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये रोकथाम के विभिन्न उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

## 11.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2021-22

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Ms. Rekha Sharma, Director, Department of Fertilizers, is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. She provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meager staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

## 12.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निर्देशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है।

## 13.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

31.3.2022 को कर्मचारियों की संख्या 1 है। कुछ कर्मचारियों की कम्पनी के पुनरुज्जीवन गतिविधि के साथ-साथ निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखबाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रोक कर रखा गया है। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

## 12.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programs and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi.

## 13.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT etc.

The staff strength as on 31.3.2022 is 01 (one). Some ex-employees have been engaged as retainers to look after the safety & security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations, apart from revival activities. Presently, the 1987 Pay Scales are applicable in the Company and the proposal for 2017 pay scales is



#### **14.0 कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार कंपनियों के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसार कोई की कर्मचारी वित्तिय वर्ष या उसके किसी भाग में 8,50,000 प्रति माह (₹.1020000) प्रति वर्ष या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है। अतः यह कंपनी पर लागू नहीं होता है।

#### **15.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन**

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

#### **16.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम**

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

under consideration. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

#### **14.0 DETAILS OF EMPLOYEES**

In accordance with Section 197 of the Companies Act 2013 read with Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, no employee was in receipt of remuneration of Rs.8,50,000/- p.m. (Rs.1,02,00,000/- p.a.) or more throughout the financial year or part of the financial year. Therefore, it is not applicable to the Company.

#### **15.0 EMPLOYMENT OF SCs/STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS**

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

#### **16.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.**

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, Technology absorption during



## 17.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिये मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स को सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

## 18.0 लागत अभिलेख का रखरखाव

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) और कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने सामग्री, श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग से संबंधित खाते जो हमारी कंपनी पर लागू होते हैं का रिकार्ड रखा है।

## 19.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये कम्पनी के लेखों पर एक रिपोर्ट दे दी है। प्रबंधन की टिप्पणियाँ संगलग्नक 1 में संलग्न हैं।

## 20.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष

the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

## 17.0 STATUTORY AUDITORS.

The Statutory Auditors of the company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. Deepak Gulati & Associates were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2021-22.

## 18.0 MAINTENANCE OF COST RECORDS

According to the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and Rule-3 of the Companies (Cost Records and Audit) Rules-2014, the Company kept books of Accounts relating to utilization of material, labour and other items of cost as applicable to our Company.

## 19.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT.

The Statutory Auditors of the company have submitted the Audit Report on the accounts of the company for the financial year 2021-22, on which Management's comment are enclosed at annexure-I.

## 20.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

After Statutory Audit, the Accounts would be submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b)



2021-22 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अनुलग्नक II में संलग्न है।

## **21.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका**

21.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

(ए) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का और विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

(सी) कम्पनी की परिस्थिति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

(डी) वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

of the Companies Act, 2013. Comments of C&AG for the year 2021-22 are enclosed at Annexure-II.

## **21.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

21.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

- a. That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2022, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- b. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments & estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the year under review.
- c. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d. The accounts for the financial year 2021-22 have been prepared on “Going Concern” basis.

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तिय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तिय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

(एफ) निदेशकों ने प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

## 21.2 वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम 12(1) के अनुसार आवश्यक एमजीटी 7 में वार्षिक रिटर्न एफसीआईएल के वेबसाइट [fertcorpindia.nic.in](http://fertcorpindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

## 22.0 निदेशक मंडल

		से	तक
1.	श्रीमती नीरजा अदिदम, (डी.आई.एन.-09351163)	20.11.2022	अब तक
2.	श्री धर्म पाल, आई.ए.एस., (डी.आई.एन.-02354549)	22.2.2018	20.2.2022
3.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, (डी.आई.एन.-07039255)	8.9.2016	29.9.2021
4.	श्री रिंजन लाल, (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4.10.2017	अब तक
5.	श्रीमती गीता मिश्रा (डी.आई.एन.-09354822)	29.09.2021	अब तक
6.	श्री जोहन टोप्नो, (डी.आई.एन.-08758583)	20.04.2020	अब तक

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 21.2 ANNUAL RETURN FOR THE YEAR 2021-22

As required, pursuant to Sec.92(3) of the Companies Act 2013 and Rule12(1) of the Companies (Management & Administration) Rule 2014, Annual Return in MGT 7 is available on the FCIL website : [fertcorpindia.nic.in](http://fertcorpindia.nic.in)

## 22.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Smt Neeraja Adidam, C&MD(DIN-09351163)	20-01-2022	Till date
2. Shri Dharam Pal, IAS, C&MD (DIN- 02354549)	22.02.2018	20-02-2022
3. Shri Anilkumar V. Patil, Director (DIN 07039255)	08.09.2016	29-09-2021
4. Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	04.10.2017	Till date
5. Smt Geeta Mishra, Director(DIN -09354822)	29-09-2021	Till date
6. Shri Johan Topno, Director (DIN- 08758583)	20-04-2020	Till Date



**22.1** वित्तीय वर्ष 2021-22 में निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति	
1.	श्रीमती नीरजा अदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डी.आई.एन.-09351163)	1	
2.	श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डी.आई.एन.-02354549)	-	
3.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	-	
4.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4	
5.	श्रीमती गीता मिश्रा, (डी.आई.एन.-09354822)	2	
6.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-8758583)	4	

## 23.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 177 “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 27.10.2021 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री जोहन टोपनो, निदेशक	-	अध्यक्ष
2. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त)	-	सदस्य
3. श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक	-	सदस्य

**22.1** Four meetings of Board of Directors were held during the financial year 2021-22. The details of meetings attended by the Directors are given below:

S. No.	Name	Board Meetings Attended
1.	Smt Neeraja Adidam Chairman & Managing Director (DIN-09351163)	1
2.	Shri Dharam Pal, Chairman & Managing Director (DIN- 02354549)	-
3.	Shri Anil Kr. V Patil, Director (DIN- 07039255)	-
4.	Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	4
5.	Smt Geeta Mishra, (DIN-09354822)	2
6.	Shri Johan Topno (DIN- 08758583)	4

## 23.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a new section 177, i.e., “Audit Committee” has been inserted, as a measure for better Corporate Governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, for better Corporate Governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 27.10.2021 comprising of the following Directors:

1. Shri Johan Topno, Director	- Chairman
2. Shri Niranjan Lal, Director (Finance)	- Member
3. Smt Geeta Mishra, Director	- Member



20.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	लेखा परीक्षा सीमित की बैठकों में उपस्थिति	
1.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	1	
2.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	2	
3.	श्रीमती गीता मिश्रा (डी.आई.एन.-09354822)	1	
4.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-08758583)	2	

### आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

23.1 Two meetings of Audit Committee were held during the financial year 2021-22. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Audit Committee Meetings Attended
1.	Shri Anilkumar V.Patil, Director (DIN- 07039255)	1
2.	Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	2
3.	Smt Geeta Mishra (DIN- 09354822)	1
4.	Shri Johan Topno (DIN- 08758583)	2

### ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries & Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.



निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

(नीरजा अदिदम)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक  
(डीआईएन-09351163)

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors for their valued cooperation and support.

**For & on behalf  
of the Board of Directors**

Sd/-

**(Neeraja Adidam)**

**Chairman & Managing Director**  
**(DIN-09351163)**

पंजीकृत कार्यालयः

7, इन्स्टीट्यूसनल एरिया, स्कोप कम्प्लेक्स,  
कोर-III, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 5 सितम्बर 2022

Registered Office:

7, Institutional Area, Scope  
Complex, Core-III, Lodhi Road,  
New Delhi-110003

Dated : 5<sup>th</sup>, September 2022



## निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

### ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ ( सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 05.09.2022 की रिपोर्ट के संदर्भ में ) तथा कंपनी के स्पष्टीकरण

**Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 05.09.2022) and Explanations of the Company.**

### ANNEXURE

#### ए. क्यू सं. टिप्पणियाँ A.Q.No. Comments on

#### प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

##### मामते पर जोर

1. संपत्ति संयंत्रों और उपकरणों में वे इमारतें शमिल हैं जिन्हे पूर्व कर्मचारियों, बैंक और डाक घर आदि को किराये पर दिया गया था। कंपनी को इससे किराया प्राप्त हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि III के अनुसार इससे बैलेन्स शीट में निवेश संपत्ति में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और बैलेन्स शीट में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

##### Emphasis of Matter

1. Property, Plant and Equipment includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it. As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.

इन संपत्तियों को मूल रूप से किराया कमाने के लिए नहीं रखा गया है। इस लिए निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2. कंपनी ने अपने बही खातों में कर्मचारियों के लिए इण्ड एएस-19 के अनुसार बीमा मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक सेवा निवृत्त लाभों का प्रावधान नहीं किया है।
2. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee 'Benefits.

These Properties are not basically held to earn rentals, therefore not classified as investment property.

कंपनी के पे रोल पर केवल एक कर्मचारी है। इसलिए बीमांकिक आधार पर प्रदान नहीं किया गया है।

There is only one employee on the pay rolls of the company. Therefore has not been provided on actuarial basis

ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

3. 31 मार्च, 2022 तक 174.79 लाख रूपये की इन्वेंटी का मूल्य लागत पर लगाया गया था। भौतिक सत्यापन 10 जून 2022 को किया गया है और निम्नलिखित विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

3. Inventories of Rs 174.79 Lakhs as on 31<sup>st</sup> March,2022 was valued at cost. The Physical verification has been carried out on 10<sup>th</sup> June 2022 and following discrepancies has been observed as below:

क. इसने मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

a) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.

ख. इसने पाया है कि मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान डस्ट एंड मड में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था। यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से अधिक वर्जों की इस लम्बी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फुट) के कारण हुआ।

b) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it(which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before,

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

यह सिंदरी इकाई में प्लेटिनम की लागत है जिसे ताला और कुंजी में सुरक्षा के तहत रखा जाता है।

It is the cost of Platinum in Sindri Unit which is kept under lock & key and security.

सूचि में दर्शाया गया सामान सील बंद है। और वर्ष 2002 के बाद कभी खोली नहीं गई है। वजन में कमी या अधिक वजन नमी के कारण है।

The inventory items are kept under Seal and never opened after 2002. The less and excess weight is due to moisture content only.

सूचि में दर्शाया गया सामान सील बंद है। और वर्ष 2002 के बाद कभी खोली नहीं गई है। वजन में कमी या अधिक वजन नमी के कारण है।

The inventory items are kept under Seal and never opened after 2002. The less and excess weight is due to moisture content only.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ने बैलेंस शीट में 3715.11 लाख रुपये के सकल मूल्य का खुलासा किया है। प्रबंधन ने सत्यापन के लिए कोई निश्चित संपत्ति रजिस्टर प्रदान नहीं किया है। तथापि, फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कार्यालय उपकरणों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सत्यापन के लिए तैयार किया गया है और हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं।
4. Property, Plant and Equipment have disclosed in the Balance Sheet with gross value of Rs 3715.11 lakhs. The management has not provided any fixed asset register for verification. However the Physical Verification Report/ Certificate of Furniture & Fixture and Office Appliances has produced for verification and we are relying on the same.
5. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें एफसीआईएल के ई प्रकार के 215 क्वार्टर स्थित थे। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को धवस्त कर दिया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था और उक्त 215 क्वाटर्स के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान ही खातों से 18,16,957 रुपये के मूल्यद्वास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। हालांकि जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि भूमि अभी भी एफसीआईएल के स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है।

अधिकांश अचल संपत्तियों को या तो अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में बेचा जा चुका है या पुनर्जीवित करने वाले संयुक्त उद्यम को उपयोग करने योग्य वस्तुओं के रूप में सौंप दिया गया है। शेष मदों का परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ मिलान किया जा रहा है। 2021-2022 में ऑडिट के दौरान लेखा परीक्षकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

Most of the fixed assets are either sold as unusable items or handed over to reviving JVs as usable items. Balance items are being reconciled with asset register. Certificate submitted to auditors during audit in 2021-2022.

सैनिक स्कूल के लिए 49 एकड़ भूमि का आवंटन एसडीएम गोरखपुर के दिनांक 21.10.2021 के पत्र के अनुसार किया गया था।

हालांकि यह उत्तर प्रदेश सरकार और एफसीआईएल के तहत हस्ताक्षरित वाहन विलेख की शर्तों के अनुसार नहीं है। इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है।



**ए. क्यू सं. टिप्पणियां**  
**A.Q.No. Comments on**

5. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs.18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs.18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22 .However as explained by management the land is still in ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt.

6. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-08 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहों कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” का प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा लिए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।

6. Attention is drawn on Note to accounts - F-8 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Ind AS-31 'Interests in Joint Ventures';, which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण**  
**Reply of the Management**

The allotment of 49 acres of land for Sainik School was as per orders of SDM Gorakhpur vide letter dated 21.10.2021.

Though this is not as per terms of conveyance deed signed under U.P. Govt. & FCIL. The matter has been taken up with Govt. of U.P.

कंपनी नवगठित संयुक्त उद्यमों में कंपनी की केवल 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसलिए संयुक्त उद्यम कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

The Company has only 11% shareholding in newly formed Joint Ventures and hence does not exercise any control over the economic activities of the Joint Venture Companies.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 3<sup>rd</sup> March, 2022.

7. (i) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों का आदान-प्रदान एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के 344 क्वार्टरों के साथ किया गया तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-45 के प्रावधान के अनुसार पूँजीगत लाभ या हानि को दर्ज करने के लिए बही-खातों में ऐसे लेन-देन का कोई प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है।

7. i) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.

(ii) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान इकाई के पुनरुद्धार के लिए रामागुंडम इकाई की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त शेयरों को लाभ हानि की गणना किए बिना 1854.37 लाख रुपये के लाभ और हानि खाते में असाधारण मदों के रूप में माना है। कंपनी ने पिछले वर्षों में संयुक्त उद्यम के ऐसे शेयरों पर कोई आयकर नहीं लिया है और चालू वर्ष में भी इसी नीति का पालन किया गया है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है।

ii) The management has treated shares received from Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited against transfer of assets

जैसे ही तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर होते हैं, इस मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और निपटा दिया जाएगा।

As soon as the lease deed with Talcher Fertilizers Limited is signed the issue would be finalised and settled.

इस मामले पर विशेषज्ञ कानूनी राय प्राप्त करने के बाद ऐसा किया गया है।

This has been done after obtaining expert legal opinion on the matter.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

of Ramagundam Unit for revival of unit during the year as Exceptional items in the Profit & Loss A/c amounted to Rs. 1854.37 lakhs without computing profit/ loss. The company has not charged any Income tax on such shares of Joint venture in previous years and same policy have been followed in current year, as explained by management.

8. रामागुंडम इकाई में ऑडिट अवधि के दौरान 4,12,602 रुपये की कर योग्य राशि पर स्वेता ठेकेदार के साथ अनुबंध पर जीएसटी पर टीडीएस नहीं काटा गया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यह प्रावधान सरकार और सरकारी उपक्रमों और अन्य अधिसूचित संस्थाओं के लिए है जो अनुबंध भुगतान करते हैं, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य आपूर्तिकर्ताओं को 2.5 लाख रुपये से अधिक है ऐसे अनुबंधों के तहत कोई भी भुगतान करते समय, संबंधित सरकार/प्राधिकरण किए गए कुल भुगतान का 2% (प्रत्येक अधिनियम के तहत 1% और आईजीएसटी के मामले में 2%) काटेगा और इसे उचित जीएसटी खाते में भेज देगा।
8. At Ramagundam unit, TDS on GST has not been deducted on Contract with Swetha Contractors on Taxable amount Rs 4,12,602 during the audit period. As per section 51 of CGST Act, this provision is meant for Government and Government undertakings and other notified entities making contractual payments where total value of such supply under contract exceeds Rs. 2.5 Lakhs to suppliers while making any payments under such contracts, the concerned Government/ authority shall deduct 2% of the total payment

वित्त वर्ष 2022-23 से ठेकेदारों से जीएसटी पर टीडीएस काटा जा रहा है।

TDS on GST is being deducted from the contractors from FY 2022-23.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

made (1% under each Act and 2% in case of IGST) and remit it into the appropriate GST account.

9. एफसीआईएल के नोएडा प्रधान कार्यालय में, उन्होंने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पट्टे का किराया दिया है, जिस पर एफसीआईएल 25 जनवरी 2018 से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, एचओ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) के तहत आरसीएम के तहत जीएसटी की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है।
9. At Noida Head Office of FCIL, they have incurred lease rent to New Okhla Industrial Development Authority on which FCIL is liable to pay GST under Reverse Charge Mechanism w.e.f 25 Jan 2018. However the HO have not paid any amount of GST under RCM under section 9(3) of Central Goods and Services Tax Act, 2017.
10. एफसीआईएल की कोरबा इकाई में कंपनी ने मैसेंजर को 1,14,893 रुपये की कर योग्य राशि का भुगतान किया है, जो 1 लाख रुपये से अधिक है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार धारा 194-सी के तहत टीडीएस काटा जाना है, लेकिन इकाई ने इसका अनुपालन नहीं किया है।
10. At Korba unit of FCIL, company has made payment to Messenger of taxable amount of Rs 1,14,893 which is in excess of Rs 1 Lakh on which TDS ,as per Income Tax Act,1961 has to be deducted under Section 194-C but the unit has not complied with.

आॅडिट सलाह के अनुसार, 2022-23 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

As per audit advised, necessary action will be taken in 2022-23.

आॅडिट सलाह के अनुसार, 2022-23 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

As per audit advised, necessary action will be taken in 2022-23.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

11. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 4,17,04,181 रुपये की पूर्व अवधि की ब्याज आय बुक की है, उक्त पूर्व अवधि की आय पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित ब्याज की शार्ट बुकिंग और सावधि जमा प्राप्तियों में 1,99,00,000 रुपये की गलत बुकिंग के कारण उत्पन्न हुई है। उक्त सावधि जमा रसीद को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व अवधि मद्दें में व्यय में बुकिंग करके उलट दिया जाता है। कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक सावधि जमा प्राप्तियों की मूल राशि शेष की पुष्टि प्रदान की है। तथापि, एफडीआर की शेष पुष्टि अर्जित ब्याज की पुष्टि पुष्टि के अधीन है।

11. During the Financial Year 2021-22 the company has booked prior period interest income of Rs. 4,17,04,181, the said prior period income arose due to short booking of interest accrued by Rs. 2,18,04,181/- for previous year 2020-21 and wrong booking of Rs 1,99,00,000 in Fixed Deposit Receipts. The said Fixed Deposit Receipt is reversed in Financial Year 2021-22 by booking in expenditure in prior period items. The company has provided principal amounts Balance confirmation of Fixed Deposit Receipts as on 31 March 2022. However, the balance confirmation accrued interest of FDR is subject to confirmation.

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष 2020-21 के लिए 4,17,04,181 रुपये की पूर्व अवधि की ब्याज आय बुक की है, जो पिछले वर्ष 2020-21 में अर्जित ब्याज की कम बुकिंग के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले वर्ष 2020-21 में गलत तरीके से 1,99,00,000 रुपये के लिए एफडीआर बुक किया है।

During the Financial Year 2021-22 the company has booked prior period interest income for the previous year 2020-21 of Rs. 4,17,04,181 the said prior period income arises due to short booking of interest accrued in Previous year 2020-21. Further the company has wrongly booked FDR for Rs 1,99,00,000 in Previous year 2020-21. The said Fixed Deposit Receipt is reversed in Financial Year 2021-22.



ए. क्यू सं. टिप्पणियाँ  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

(हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सदस्यों को संदर्भित)

(Referred to in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report to the Members of THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED of even date)

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का पालन नहीं किया है।

(लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का लेखा-जोखा न करने के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।)

- During the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

- नोट (एफ) (3) में उल्लिखित पीडीआईएल से प्राप्त शेष राशि सहित व्यापार प्राप्तियों, पूर्व-कर्मचारियों, व्यापार देय और अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में बकाया राशि

वर्तमान में, कंपनी के पास मुख्य रूप से भवनों, जल प्रणालियों, सड़क और पुलिया की अचल संपत्ति है। संयंत्र और मशीनरी मूल्यों का मूल्य बहुत कम है अर्थात् केवल 8.71 लाख रुपये इस प्रकार मूल्यहास के घटक खाते हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रासारित नहीं हैं।

Presently, company is having fixed assets mainly of Buildings, Water Systems, Road & Culverts. The value of Plant & Machinery values is very less i.e. Rs.8.71 lakhs only Thus the component accounts of depreciation is not of much relevance for our company.

बहुत कम जनशक्ति के कारण, यह अध्यास नहीं किया जा सका।



**ए. क्यू सं. टिप्पणियां**  
**A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण**  
**Reply of the Management**

और प्राप्य राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

गैर-पुष्टि के परिणामी प्रभाव, लाभ और अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

2. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL as referred in Note (F)(3), therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 2 में हमारी टिप्पणियों के संचयी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए लाभ पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।
3. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2022.

Due to very less manpower, the exercise could not be taken up.



अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कर्मनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

**Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.**

**ए. क्रू सं. टिप्पणियां**  
**A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण**  
**Reply of the Management**

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. कंपनी की अचल परिस्थितियों के संबंध में:
1. In respect of the Company's Fixed Assets:

ए. कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रख रही है।

a. The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

बी. प्रबंधन के पास उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए एक नीति है। प्रबंधन ने ऑडिट अवधि के दौरान फर्नीचर, फिक्स्चर और अफिस अप्लायरेज की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की है और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों/रिपोर्टों पर भरोसा कर रहे हैं।

उत्तर ऊपर दिए गए एसएल नंबर 10 (4) में दिया गया है

The reply is as given at SI No. 10(4) above



**ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management**

b. The management has a policy for physical verification of Property, Plant and Equipment at reasonable intervals. The management have provided the physical verification report of Furniture, Fixtures & Office Appliances during the audit period and we are relying on the certificates/reports provided by the management.

सी. हमें एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन भूमियों के मालिकाना हक के विलेख एफसीआईएल के नाम पर हैं और प्रबंधन समय-समय पर इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर रहा है। हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और हमने सिंद्री इकाई के भूमि रिकार्ड का सत्यापन किया है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियां कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई हैं।

c. We have been provided with a certificate of details of land available with FCIL specifying title deeds of these lands are in the name of FCIL and the management is physically verifying the same from time to time. We are relying on the certificate provided by the management and we have verified the land record of Sindri unit. However as per management the following properties not held in the name of the company:

(i) तालचेर में, 7780 एकड़ भूमि, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं से अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए करार अभी भी निष्पादित किया जाना है।

1.08 एकड़ और 5.06 एकड़ के लिए प्राप्त अधिकारों के 7.780 एकड़ रिकार्ड छआरओआरक्रृ में से केवल अनुमेय कब्जा दिया जाएगा क्योंकि यह नाला, रास्ता और गोचर से संबंधित है। संतुलन के लिए इस मुद्दे को राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

(i) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in formalities with regard to registration in revenue record are yet completed and the agreement for same is still to be executed.

2. सांविधिक देयताएं

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

2. Statutory Dues-

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

क. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद संविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

Out of 7.780 Acre Records of Rights{RoR}obtained for 1.08 Acre and for 5.06 Acre only permissive possession will be granted as it belongs to Nallah, Rasta and Gochar. For balance the issue is being pursued with state authorities.

कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए 2022-23 के दौरान प्रयास किए जाएंगे।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported.

Efforts will be made during 2022-23 to comply the legal provisions.

सीएसआर दायित्व

क. चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास 47.64 लाख रुपये की अव्ययित राशि है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतु क के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

22.09.2022 को स्वच्छ गंगा कोज्ज में निर्धारित समय सीमा को 47.64 लाख रुपये की राशि जमा की गई है।

**CSR Obligations**

a. In respect of other than ongoing projects, the company has Rs.47.64 Lacs unspent amount which needs to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies

The amount of Rs.47.64 lakh has been deposited in Clean Ganga fund on 22.09.2022 i.e. thin the prescribed time limit.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण  
Reply of the Management

Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act;"

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं**

आगे लेखा परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पट्टा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

**Limitations of Internal Financial Controls**

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between "company" and "ex-employees" "by proper authority, which lead to lack of internal financial control in this respect.

पूर्व कर्मचारियों के साथ पट्टे पर उचित प्राधिकार के साथ हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

Lease with the ex-employees are being signed with proper authority.



कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत अंतिम वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अहंक (क्वालीफॉर्ड) मत

हमने दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण (व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव के विवरण और उसी वर्ष को समाप्त कैश फ्लो विवरणिका और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाएं भी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार हमे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर उर्पयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके के देते हैं। और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दिष्टीकरण देते हैं।

Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 including Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies act, 2013 ("the act")

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED**

**Report on the Audit of Financial Statements**

**Qualified Opinion**

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31<sup>st</sup> March 2022, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion section*, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India :



क. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के मामले में कंपनी की स्थिति क्या है।

ख. लाभ और हानि के विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का विवरण:

ग. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण के विवरण के मामले में:

- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31<sup>st</sup> march, 2022;
- (b) In the case of the Statement of Profit & Loss, of the profit for the year ended on that date
- (c) In the case of the Statement of the Cash flow Statement for the year ended on that date.

### अर्हक मत के लिये आधार

हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं गलत बयानी के प्रभाव और पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण वित्तिय विवरणों पर आधारित गलत बयानों के संभावित प्रभाव जो भौतिक हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक नहीं है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस ए) के अनुसार वित्तिय विवरणों का लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तिय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परिक्षकों की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अनुसार स्वतंत्र हैं। भारतीय सनदी लेखाकार सम्मिलित द्वारा पाठी आचार संहिता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहित के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। भारतीय सनदी लेखाकार सम्मिलित द्वारा अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी किया गया है। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहित के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त आईटि साक्ष्य विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उर्पयुक्त है।

### Basis for Qualified Opinion

We draw attention to the matters described in "**Annexure-A**" to this report, the effects of misstatements and possible effects of undetected misstatements on the financial statements due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence which are material but, not pervasive either individually or in aggregate.

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors's Responsibilities for' the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.

## मामले पर जोर

1. हम उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में ध्यान में रखते हुए पुरी की गई।
2. हम आकस्मिक देनदारियों और वित्तीय विवरण के प्रति प्रतिबद्धता पर लेखों पर टिप्पणी-एम पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो ग्राहकों को ऋण की हानि के कंपनी के अनुमानों के संबंध में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का वर्णन करता है। और इस तरह के अनुमान महामारी की गंभीरता और अवधि से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वह भवन शामिल हैं जिन्हे पूर्व कर्मचारियों बैंक एवं डाकघर, आदि को किराए पर दिया गया था। कंपनी ने उनसे किराया प्राप्त किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-III के अनुसार इसे तुलन पत्र के पहले अलग से दिखाया जाना चाहिए।
4. कंपनी ने बीमांकित मूल्यांकन के आधार और IND AS-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार कंपनी के पेरोल पर अपने दीर्घकालिक सेवानिवृत्त लाभ के लिए अपने बही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है।
5. 31 मार्च, 2022 तक 174.79 लाख रूपये की इन्वेंट्री का मूल्य लागत पर लगाया गया था। भौतिक सत्यापन 10 जून 2022 को किया गया है और निम्नलिखित विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

## Emphasis of Matter

1. We bring to the attention of the users that the audit of the financial statement has been performed keeping in the mind about precaution for continuing COVID-19 Pandemic.
2. We draw attention to Note to Accounts-M on contingent liabilities and commitments to the financial statement, which describes the uncertainty caused by Novel Corona virus Pandemic with respect to the company's estimates of impairment of loans to customer and that such estimate may be affected by the severity and duration of the pandemic. Our opinion is not modified in respect of this matter.
3. Property, Plant and Equipment includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it. As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.
4. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee 'Benefits.
5. Inventories of Rs 174.79 Lakhs as on 31<sup>st</sup> March, 2022 was valued at cost. The Physical verification has been carried out on 10<sup>th</sup> June 2022 and following discrepancies has been observed as below:



क. इसने मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ख. इसने पाया है कि मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान डस्ट एंड मड में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था। यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लम्बी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फुट) के कारण हुआ।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ने बैलेंस शीट में 3715.11 लाख रुपये के सकल मूल्य का खुलासा किया है। प्रबंधन ने सत्यापन के लिए कोई निश्चित संपत्ति रजिस्टर प्रदान नहीं किया है। तथापि, फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कार्यालय उपकरणों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए तैयार किया गया है और हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं।

7. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 215 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। एफसीआईएल के इस प्रकार के क्वार्टर की संख्या स्थित थी। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को धवस्त कर दिया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था और उक्त 215 के लिए 18,16,957 रुपये के मूल्यहास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बही-खातों से तिमाहियों की संख्या। हालांकि जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि भूमि अभी भी एफसीआईएल के

a) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.

b) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mudwas found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it (which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

6. Property, Plant and Equipment have disclosed in the Balance Sheet with gross value of Rs 3715.11 lakhs. The management has not provided any fixed asset register for verification. However the Physical Verification Report/Certificate of Furniture & Fixture and Office Appliances has produced for verification and we are relying on the same.

7. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs. 18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs. 18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22. However as explained by management the land is still in



स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है।

8. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-08 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहों कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” में प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा किए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।

9. (i) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों का आदान-प्रदान एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के 344 क्वार्टरों के साथ किया गया था तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-45 के प्रावधान के अनुसार पूँजीगत लाभ या हानि को दर्ज करने के लिए बही-खातों में ऐसे लेन-देन का कोई प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है।

(ii) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान इकाई के पुनरुद्धार के लिए रामागुंडम इकाई की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड कोमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त शेयरों को लाभ हानि की गणना किए बिना 1854.37 लाख रुपये के लाभ और हानि खाते में असाधारण मदों के रूप में माना है। कंपनी ने पिछले वर्षों में संयुक्त उद्यम के ऐसे शेयरों पर कोई आयकर नहीं लिया है और चालू वर्ष में भी इसी नीति का पालन किया गया है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है।

ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt.

8. Attention is drawn on Note to accounts - F-8 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Ind AS-31 'Interests in Joint Ventures';, which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 3<sup>rd</sup> March, 2022.

i) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.

ii) The management has treated shares received from RamagundamFertilizers & Chemicals Limited against transfer of assets of Ramagundam Unit for revival of unit during the year as Exceptional items in the Profit & Loss A/c amounted to Rs. 1854.37 lakhs without computing profit/ loss. The company has not charged any Income tax on such shares of Joint venture in previous years and same policy have been followed in current year, as explained by management.



- रामागुंडम इकाई में ऑडिट अवधि के दौरान 4,12,602 रुपये की कर योग्य राशि पर स्वेता ठेकेदारों के साथ अनुबंध पर जीएसटी पर टीडीएस नहीं काटा गया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यह प्रावधान सरकार और सरकारी उपक्रमों और अन्य अधिसूचित संस्थाओं के लिए है जो अनुबंध भुगतान करते हैं, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य आपूर्तिकर्ताओं को 2.5 लाख रुपये से अधिक है। ऐसे अनुबंधों के तहत कोई भी भुगतान करते समय, संबंधित सरकार प्राधिकरण किए गए कुल भुगतान का 2% (प्रत्येक अधिनियम के तहत 1% और आईजीएसटी के मामले में 2%) काटेगा और इसे उचित जीएसटी खाते में भेज देगा।
- एफसीआईएल के नोएडा प्रधान कार्यालय में, उन्होंने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पटे का किराया दिया है, जिस पर एफसीआईएल 25 जनवरी 2018 से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, एचओ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) के तहत आरसीएम के तहत जीएसटी की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है।
- एफसीआईएल की कोरबा इकाई में कंपनी ने मैसेंजर को 1,14,893 रुपये की कर योग्य राशि का भुगतान किया है, जो 1 लाख रुपये से अधिक है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार धारा 194-सी के तहत टीडीएस काटा जाना है, लेकिन इकाई ने इसका अनुपालन नहीं किया है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 4,17,04,181 रुपये की पूर्व अवधि की ब्याज आय बुक की है, उक्त पूर्व अवधि की आय पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित ब्याज की शार्ट बुकिंग और सावधि जमा प्राप्तियों में 1,99,00,000 रुपये की गलत बुकिंग के कारण उत्पन्न हुई है। उक्त सावधि जमा रसीद को वित्तीय वर्ष

- At Ramagundamunit, TDS on GST has not been deducted on Contract with Swetha Contractors on Taxable amount Rs4,12,602 during the audit period. As per section 51 of CGST Act, this provision is meant for Government and Government undertakings and other notified entities making contractual payments where total value of such supply under contract exceeds Rs. 2.5 Lakhs to suppliers while making any payments under such contracts, the concerned Government/ authority shall deduct 2% of the total payment made (1% under each Act and 2% in case of IGST) and remit it into the appropriate GST account.
- At Noida Head Office of FCIL, they have incurred lease rent to New Okhla Industrial Development Authority on which FCIL is liable to pay GST under Reverse Charge Mechanismw.e.f 25 Jan 2018. However the HO have not paid any amount of GST under RCM under section 9(3) of Central Goods and Services Tax Act, 2017.
- At Korba unit of FCIL, company has made payment to Messenger of taxable amount of Rs 1,14,893which is in excess of Rs 1 Lakh on which TDS ,as per Income Tax Act,1961 has to be deducted under Section 194-C but the unit has not complied with.
- During the Financial Year 2021-22 the company has booked prior period interest income of Rs. 4,17,04,181 the said prior period income arose due to short booking of interest accrued by Rs. 2,18,04,181/- for previous year 2020-21 and wrong booking of Rs 1,99,00,000 in Fixed Deposit Receipts.

2021-22 में पूर्व अवधि मदों में व्यय में बुकिंग करके उलट दिया जाता है। कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक सावधि जमा प्राप्तियों की मूल राशि शेष की पुष्टि प्रदान की है। तथापि, एफडीआर की शेष पुष्टि अर्जित ब्याज की पुष्टि, पुष्टि के अधीन है।

14. बंधन के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कोई राशि बकाया नहीं थी जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है, और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं

The said Fixed Deposit Receipt is reversed in Financial Year 2021-22 by booking in expenditure in prior period items. The company has provided principal amounts Balance confirmation of Fixed Deposit Receipts as on 31<sup>st</sup> March 2022. However, the balance confirmation accrued interest of FDR is subject to confirmation.

14. As per the management no amount was outstanding to Micro Enterprises & Small Enterprises as disclosed in the financial statement, and we are relying on the information provided by management

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

## अन्य मामले

जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, आवश्यक रिकार्ड, रिपोर्ट, दस्तावेज और प्रमाण पत्र हमें डिजिटल माध्यम और ईमेल के माध्यम से इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस हद तक, अडिट प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्ड के आधार पर की गई थी, जिन्हें वर्तमान अवधि के लिए अडिट करने और रिपोर्टिंग करने के लिए अडिट साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था। ऑडिट प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में इस तरह के प्रतिबंध हैं

## Other Matters

Wherever physical access was not possible, necessary records, reports, documents and certificates were made available to us by the unit through digital medium and emails. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Such restrictions in performing audit procedures have enhanced the risk in effectively carrying out the audit and the quality of audit evidence gathered by us.

## प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के

## Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the



हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

### वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त किया था। इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है जिसे हमें उस तारीख के पश्चात उपलब्ध किए जाने की आशा है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह इस अन्य जानकारी का एक

context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

### Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the draft Directors' Report including annexure to Directors' Report, which we obtained prior to the date of this auditors' report and other reports included in the Annual report, which are expected to be made available to us after that date, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a

महत्वपूर्ण गलत विवरण हैं जो हमे उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बयानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the full Annual report which is expected to be made available to us after the date of this auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के तैयार करने वालों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के तहत लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

## Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हैं खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रलाचन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient

परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराध्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियाँ विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.



- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है वित्तीय विवरण के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपनी आडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और वित्तीय में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मानात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, अंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को उन्हें बताते हैं।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have compiled with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

### Report on other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-

अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अर्हक मत एवं मामले पर जोर के भाग में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

ग. अर्हक मत का आधार और मामले पर जोर के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 "कर्मचारी लाभ" में से बाहर होना निर्धारित है।

section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "**Annexure B**" a statement on the matters specified in Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:
  - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except the matters described in the basis for qualified opinion and matters of emphasis section of our audit.
  - b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
  - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.
  - d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2015 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS-19 "Employee Benefits".



ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. योग्य राय अनुभाग के आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अधीन, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।

छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में कंपनी निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164 (2) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।

3. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा।

निदेशकों को परिश्रमिक के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.-जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुच्छेद 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

f. Subject to the effects of the matters mentioned in the *Basis for Qualified Opinion* section, in our opinions the aforesaid Financial Statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts ) Rules, 2014

g. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.

h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure C**".

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act:

As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act which are required to be commented upon by us.

4. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2020 तक का कर दिया है; और

ख. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो और

ग. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

5. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की सुनाई गई कार्य प्रणाली उस पर कार्यवाही और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इनके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देश पर एक विवरण देते हैं।

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31<sup>st</sup> March, 2022; and

b. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

c. There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

5. As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the "**Annexure - D**", a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India after complying with their suggested methodology of audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यूडीआईएन : 22506545ARBHSM9910

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 05.09.2022

**For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN. 22506545ARBHSM9910**

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022



अनुलग्नक 'क'

Annexure 'A'

(हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सदस्यों को संदर्भित)

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का पालन नहीं किया है।

लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का लेखा-जोखा न करने के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

2. नोट (एफ) (3) में उल्लिखित पीडीआईएल से प्राप्त शेष राशि सहित व्यापार प्राप्तियों, पूर्व-कर्मचारियों, व्यापार देय और अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में बकाया राशि और प्राप्य राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

गैर-पुष्टि के परिणामी प्रभाव, लाभ और अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 2 में हमारी टिप्पणियों के संचयी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के वर्ष, परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए लाभ पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

*(Referred to in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report to the Members of THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED of even date)*

1. During the year ended 31st March, 2022, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL as referred in Note (F)(3) , therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2022.

## अनुलग्नक 'ख'

## Annexure 'B'

### अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

#### 1. कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में:

ए. कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रख रही है।

बी. प्रबंधन के पास उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए एक नीति है। प्रबंधान ने ऑडिट अवधि के दौरान फर्नीचर, फिक्स्चर और अफिस अप्लायांसेज की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की है और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों रिपोर्टों पर भरोसा कर रहे हैं।

सी. हमें एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन भूमियों के मालिकाना हक के विलेख एसीआईएल के नाम पर हैं और प्रबंधन समय-समय पर इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर रहा है। हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और हमने सिंद्री इकाई के भूमि रिकार्ड का सत्यापन किया है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियां कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई हैं।

**Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.**

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

#### 1. In respect of the Company's fixed assets:

- The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
- The management has a policy for physical verification of Property, Plant and Equipment at reasonable intervals. The management have provided the physical verification report of Furniture, Fixtures & Office Appliances during the audit period and we are relying on the certificates/reports provided by the management.
- We have been provided with a certificate of details of land available with FCIL specifying title deeds of these lands are in the name of FCIL and the management is physically verifying the same from time to time. We are relying on the certificate provided by the management and we have verified the land record of Sindri unit. However as per management the following properties not held in the name of the company:



(i) तालचेर में, 7780 एकड़ भूमि, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। और इसके लिए करार अभी भी निष्पादित किया जाना है।

(ii) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों को एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए के साथ आदान-प्रदान किया गया था हालांकि इस विनिमय का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है और पुस्तकों और अभिलेखों में प्रदान किया गया है।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

इ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

## 2. इन्वेंट्री और कार्यशील पूँजी के संबंध में:

ए. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कंपनी यूनिट्स बंद हैं और इन्वेंट्री लक-एंड-की में रखी गई है। हालांकि, हमने 10 जून 2022 को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के माध्यम से भौतिक सत्यापन और पुनः मापा है और निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:

i) इसने मौजूदा इन्वेंट्री रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(i) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet completed and the agreement for same is still to be executed.

(ii) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

d. The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

e. No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

**2. In respect of Inventory&Working Capital:**

a. As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company Units is closed and inventories are held in lock-and-key. However, we have carried out physical verification and re-measured through Electronic Weighing Machine on 10<sup>th</sup> June 2022 and following discrepancies found:

i) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.

2. यह पाया गया है कि मौजूदा इन्वेंट्री रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान डस्ट एंड मड में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा (जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था) यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लंबी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फूट) के कारण हुआ।

बी. कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान

कंपनियों, नर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित की प्रकृति में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है, या किसी अन्य इकाई को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से 3 (iii) एफ के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. कंपनी के द्वारा ऋण एवं निवेश

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश को छोड़कर जिसे कंपनी की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार में किया गया था। कम्पनी

ii) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it (which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 year.

b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

### 3. Loans given by Company-

According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. The Company has not provided any loans or advances in the nature of loans or stood guarantee, or provided security to any other entity during the year, and hence reporting under clause 3(iii)(a) to 3(iii)f of the Order is not applicable.

### 4. Loan and Investment by the Company-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the



ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है।

#### रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मैंसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. (आरएफसीएल) के रु.10/- की दर से 10,000 इक्विटी शेयर के लिए रु. 1 लाख का भुगतान किया और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर का आवंटन हो गया है और शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए है, हालांकि, वर्ज 2017-18 में आरएफसीएल ने एसीआईएल को 92.52 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर जारी किया है, जबकि कंपनी के एसोसिएशन के लेख द्वारा रुपये की अनुसार 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर इसके योगदान के मूल्य के खिलाफ। वर्ज 2018-19 के दौरान कंपनी को 23.27 करोड़ रुपये, 2019-20 इक्विटी शेयर 28.70 करोड़ रुपये, 2020-21 में 44.90 करोड़ रुपये और चालू वर्ज के दौरान 18.54 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर प्राप्त हुआ है। चालू वर्ष 2020-21 में रु. 10/- प्रति शेयर की दर से रु.44.90 करोड़ राशि के 4.490 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

#### तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने तलचर फर्टिजाइजर लि. (टीएफएल) (पूर्व में राष्ट्रीय कोल एवं गैस फ. लि.) में रु. 50 लाख का निवेश किया और रु.10/- प्रति शेयर की दर से 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

provisions of Section 185 and 186 of the Act except the following investments had been made for reviving the company units at various location :

#### Ramagundam Unit

Equity Shares are received for Land use, usable assets and opportunity cost are under:

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued equity share of Rs 92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has received equity share of Rs 23.27 Crore, 2019-20 equity share Rs 28.70 crore, 2020-21 Rs.44.90 Crore& Rs.18.54 Crore during the current year, amounting to Rs.207.94 Crore.

#### Talcher unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.



### सिंदरी गोरखपुर/इकाई:

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एचयूआरएल) में 10/- प्रति शेयर की दर से 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए रु.1,66,670 का निवेश किया कंपनी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं।

### **5. जमा**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (वी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

### **6. लागत रिकार्ड**

कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

### **7. सांविधिक देयताएं**

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

क. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद

### **Sindri Unit/ Gorakhpur unit:**

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs1,66,670/- in Hindustan Urvarak&Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company.

### **5. Deposits-**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

### **6. Cost Records-**

All the units of the Company are closed and there was no production during the financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

### **7. Statutory Dues-**

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few



शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोदृभवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रूपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखा बहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यहास जमा नहीं किया गया है।

छ. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2021 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported and (b) income tax payable on MAT for financial year 2015-16 of Rs.42.58 lakhs which has not been deposited by the company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.

b. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31<sup>st</sup> March, 2022 for a period of more than six months from the date they become payable except the following:



सांविधिक का नाम <b>Name of statutes</b>	देयता का प्रकार <b>Nature of due</b>	राशि (लाख रुपये) <b>Amount (Rs. in Lakhs)</b>	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। <b>Period to which the Amount</b>	नियत दिनांक <b>Due date</b>	जमा करने का दिनांक <b>Date of deposit</b>	टिप्पणी <b>Remarks</b>
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
म.प्र.प. सरकार वन विभाग मुआवजा M.P. govt. forest growth compensation	मुआवजा (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा) Local Authority (Korba)	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chattisgarh Nagar Palika Act, 1956	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	65.55 65.55	2017-18 2017-18	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट का कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया हो, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings:



सांविधिक का नाम  Name of the Statute	देयता का प्रकार  Nature of dues	राशि (लाख रुपये)  Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है।  Period to which amount relates	फोरम जहाँ विवाद लांबित है  Forum where dispute is pending
आय कर अधिनियम 1994  Service Tax Rule 1994	होमगार्ड के वेतन पर सेवाकर और गश्त के लिए वाहन के खर्च पर सेवाकर की मांग (सिंदरी)  Demand of Service Tax on Salary of Home Guard and Expenses of Vehicle for Patrolling beat of Security(Sindri)	8.01  8.01	2016-17 2017-18  2016-17 2017-18	अधिक्षण सीजीएसटी, लेखा परीक्षा सर्किल, धनबाद  Superintendant, CGST, Audit Circle, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर)  Sales Tax (Gorakhpur)	0.41  0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर)  Sales Tax (Gorakhpur)	0.32  0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना  Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.89  24.89	उपलब्ध नहीं  N.A	बिक्री कर के सहायक  Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना  Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.00  24.00	उपलब्ध नहीं  N.A	बिक्री कर के सहायक  Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी)  CST (Sindri)	5.42  5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी)  BST (Sindri)	1.73  1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी)  BST (Sindri)	5.08  5.08	1985-86 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी)  BST(Sindri)	0.14  0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम  Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी)  BST (Sindri)	0.38  0.38	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने के लिए उप आयुक्त (बिक्री कर का दावा) Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीसीटी, पटना  CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिशा Astt. Com. Of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिशा Astt. Com. Of Sales Tax Cuttack, Odisha
नगर निगम Nagar Nigam	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	स्थानीय प्राधिकरण Local Authority

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available



## 8. अलिखित आय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) खंड 3 (viii) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में पहले से दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं थे या आय के रूप में प्रकट किए गए थे।

## 9. ऋणों का पुनर्भुगतान-

ए. कंपनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों के पुनर्भुगतान अथवा किसी ऋणदाता से उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम द्रष्टव्या, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया।

इ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (इ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 8. Unrecorded Income

In our opinion and according to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) Clause 3(viii).

## 9. Repayment of Loans-

- (a) The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest thereon from any lender. Hence reporting under clause 3(ix)(a) of the Order is not applicable.
- (b) The Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
- (d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short-term basis have, *prima facie*, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
- (e) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.
- (f) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

## 10. निधियों का जुटाना/उपयोग:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनी य डिवेंचर (पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 11. धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग-

क. हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा धड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखा धड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग. हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

## 10. Raising/Utilization of funds-

a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable

## 11. Reporting of Fraud-

a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

c) We have taken into consideration the whistle blower complaints received by the Company during the year (and up to the date of this report), while determining the nature, timing and extent of our audit procedures.



## 12. निधि कंपनी

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता है।

## 13. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन नहीं किया गया।

## 14. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इसलिए, आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

## 15. गैर-नकदलेनदेन-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## 16. आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण-

क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की

## 12. Nidhi Company-

According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

## 13. Related Party Transactions-

In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are no transactions with related parties were made during the year as stated in sections 177 and 188 of the Act.

## 14. Internal Audit System-

According to the information and explanations given to us and based on our examination ,the company is a private limited company to which provisions of section 138 are not applicable and hence, reporting under clause 3(xiv) of the Order are not applicable.

## 15. Non-Cash Transactions-

According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

## 16. Registration under RBI Act

a) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 17. नकद हानि

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष क्लाज 3 (xvii) के दौरान नकद नुकसान नहीं हुआ है।

## 18. लेखा परीक्षकों का इस्तीफा

वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

## 19. आर्थिक व्यवहार्यता

वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र बढ़ने और अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.

b) In our opinion and according to the information and explanation given to us, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

## 17. Cash Losses

In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year Clause 3 (xvii).

## 18. Resignation of Auditors

There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.

## 19. Economic Viability

On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.



तथापि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

## 20. सीएसआर दायित्व

क. चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास 47.64 लाख रुपये की अव्ययित राशि है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतु क के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

ख. किसी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन कोई राशि बाकी नहीं बची है।

## 21. सहायक/ एसोसिएट्स की स्टैंडअलोनकारो रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी:

कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

## 20. CSR Obligations

a. In respect of other than ongoing projects, the company has Rs.47.64 Lac unspent amount which needs to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act;"

b. No amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project.

## 21. UNFAVOURABLE REMARK IN SUBSIDIARY/ASSOCIATES' STANDALONE CARO REPORT:

The Company is not required to prepare consolidated Financial Statement. Hence Reporting under Clause 3(xxi) of the order is not applicable for the year.



**The Fertilizer  
Corporation of  
India Limited**

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन  
हॉ/-  
(मनप्रीत सिंह कपूर)  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.22506545ARBHSM9910

**For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kappor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545ARBHSM9910**

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2022

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022



**कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) ("अधिनियम") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।**

**Report on the Internal Financial Controls over Financial Reportings under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

मैं ० दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को पैराग्राफ ३ (जी) के भाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

हमनें, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के ३१ मार्च २०२२ तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है।

Referred to in paragraph 3(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited of even date.

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपनी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the

पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों को तैयार करना सम्मिलित है।

## लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हमने नैतिक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और क्या इस प्रकार के नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लेखा परीक्षा प्रमाण को प्राप्त करना वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रचालन प्रभावशीलता अंतर्निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता, थोड़ी सी भी मौजूद कमजोरी के जोखिम का आकलन तथा परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के थोड़े से भी गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये एक आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

## Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.



## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित हैं और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड तैयार किया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, उचित विश्वसनीयता को बनाना है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन भार (ओवरराईड) की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखा धड़ी के कारण छोटी सी भी गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को दर्शाना इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री विगड़ सकती है।

## Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Limitations of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

आगे लेखा परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पटा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

## मत

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं जो कि इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित हैं।

हालांकि इनमें और सुधार की आवश्यकता है:- i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दस्तावेजीकरण इसकी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम घटाने सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना। ii) व्यय और अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करना, अन्य वित्तीय संपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू संपत्ति व्यापार देय, अन्य वित्तीय देयता और अन्य वर्तमान देयता की पुष्टि/समाधान/समायोजन करना; और iii) सूचना प्रोधोगिकी प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण एवं एकीकृत सूचना प्रदान करने से रोकता है। उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between “company” and “ex-employees” by proper authority ,which lead to lack of internal financial control in this respect.

## Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the **Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting** issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

However, further improvement is required in i) the documentation of Internal Financial Controls of the Company in respect of its risk assessment process, risk analysis of different functional areas and incorporating the process flows at departmental levels including risk mitigation in respect of insurance coverage, ii) strengthening of the monitoring of controls in respect of expenses and fixed assets, confirmation/ reconciliation/ adjustment of balances of other financial assets, other current and non-current assets, trade payables, other financial liabilities and other current liabilities and iii) inadequate design of information technology system and application controls that prevent the information system from providing complete and integrated information consistent with financial reporting objectives.



Our opinion is not modified in respect of the above matters.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/–  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यूडीआईएन:22506545ARBHSM9910

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2022

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN. 22506545ARBHSM9910

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022

## कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के तहत निर्देश के उत्तर

## Replies to Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

### प्रश्नमाला/Questionnaire

### उत्तर/Replies

प्र.1 क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।

केन्द्रीय कार्यालय गोरखपुर इकाई में खातों की किताबें टैली (ईआरपी 9) में रखी जाती हैं।

किताबें डी-बेस में सिन्दरी यूनिट में रखी जाती हैं।

शेष इकाईयाँ एक्सेल स्प्रेडशीट (कार्यालय) में अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव कर रही हैं।

समेकित से पहले नमूना आधार पर इसकी जांच की गई थी और खातों की अखंडता के संबंध में क्रम में पाया गया था। हालांकि, लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा गया है।

Q.1 Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

The books of accounts at Central Office Gorakhpur unit are maintained in Tally (ERP 9). The books are maintained at Sindri Unit in D-Base. The remaining units are maintaining its books of account in Excel Spreadsheets (Office).

The same were checked on same basis before consolidation and were found to be in order vis a vis integrity of accounts is concerned. However, no system has been placed for Audit trail in the Accounting software.

प्र.2 क्या कंपनी के ऋण का जवाब देने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बटे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर ऋण ब्याज आदि को माफ करने के कोई मामले नहीं हैं। इसलिए यह लागू नहीं होता है।



प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

का उचित लेखा-जोखा है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)

Q.2 Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In **case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company**).

प्र.3 क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी, आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

Q.3 Whether **funds (grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from Central/State **Governments or its** agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545ARBHSM9910

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2022

Based on the information and explanation given to us There are no such cases of waiver / write off debts / loans / interest etc. Hence this clause is not applicable.

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कोई धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त नहीं है। और सरकार या अन्य अधिकारीयों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है। अतः लागू नहीं है।

Based on the information and explanation given to us, There are no funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable in the company and no assets received from government or other authorities, Hence not applicable.

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545ARBHSM9910

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, कि भूमि का कितना क्षेत्र अतिक्रमण में है और सारांश में बतायें कि कंपनी ने इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि का अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

आगे सिंदरी इकाई में पूर्व कर्मचारियों द्वारा 3300 क्वार्टरों पर कब्जा किया गया है जिसमें से 3064 क्वार्टरों के लिए माननीय न्यायलय द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया है।

कंपनी ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी है और पीपी एक्ट के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.

There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6,653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However, the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed.

Further, at Sindri unit, ex-employee have encroached 3300 Quarters, against which Eviction Orders Have been Passed by Learned Court for 3064 Quarters.



प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

The Company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545ARBHSM9910

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545ARBHSM9910

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2022

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022



## अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएण्डएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मैं दि. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने उनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

## COMPLIACE CERTIFICATE

We have conducted audit of accounts of M/s. THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED (FCIL) ("the company"), for the year ended as at March 31, 2022, in accordance with the direction/sub-direction issued by the C&AG of INDIA U/s 143(5) of the Act, 2013 and certify that we have complied with all direction/sub-direction issued by us.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
(मनप्रीत सिंह कपूर)  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545ARBHSM9910

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2022

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545ARBHSM9910

Place : New Delhi  
Dated : 5<sup>th</sup> September, 2022



कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत अंतरिम वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)  
को,  
दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों के

### वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

यह रिपोर्ट हमारी पिछली रिपोर्ट दिनांक 5 सितम्बर 2022 का अधिकरण करती है कृपया पहले की रिपोर्ट अनुलाक बी के बिन्दु 7 (संम्बंधित बकाया) के उपर्युक्त (बी) का संदर्भ तो जिसे हमने इस संशोधित रिपोर्ट में हटा दिया है।

### अहंक (क्वालीफॉर्ड) मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2022 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण (व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव के विवरण और उसी वर्ष को समाप्त कैश फ्लो विवरणिका और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाएं भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार हमे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर उर्पयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके के देते हैं। और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दिस्तीकरण देते हैं।

**Auditor's Report on the Financial Statements  
for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 including  
Report on the Internal Financial Controls  
under clause (i) of sub-section 3 of section 143  
of the Companies act, 2013 ("the act")**

### Independent Auditor's Report (Revised)

TO,  
**THE MEMBERS OF  
M/s THE FERTILIZERS CORPORATION OF  
INDIA LIMITED**

### Report on the Audit of Financial Statements

This report supersedes our earlier report dated 05th Sep, 2022. Please refer to sub clause (b) of clause (a) of point 7 (Statutory Dues) of Annexure B of earlier report which we have deleted in this revised report.

### Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31<sup>st</sup> March 2022, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion section*, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India :

क. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के मामले में कंपनी की स्थिति क्या है।

ख. लाभ और हानि के विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का विवरण:

ग. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण के विवरण के मामले में:

- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31<sup>st</sup> march, 2022;
- (b) In the case of the Statement of Profit & Loss, of the profit for the year ended on that date
- (c) In the case of the Statement of the Cash flow Statement for the year ended on that date.

### अर्हक मत के लिये आधार

हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं गलत बयानी के प्रभाव और पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण वित्तिय विवरणों पर आधारित गलत बयानों के संभावित प्रभाव जो भौतिक हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक नहीं है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस ए) के अनुसार वित्तिय विवरणों का लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तिय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परिक्षकों की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अनुसार स्वतंत्र हैं। भारतीय सनदी लेखाकार सम्बन्धित द्वारा पाठी आचार संहिता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। भारतीय सनदी लेखाकार सम्बन्धित द्वारा अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक वित्तिय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी किया गया है। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारी मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त आडिट साक्ष्य विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उर्पयुक्त है।

### Basis for Qualified Opinion

We draw attention to the matters described in "**Annexure-A**" to this report, the effects of misstatements and possible effects of undetected misstatements on the financial statements due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence which are material but, not pervasive either individually or in aggregate.

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors's Responsibilities for' the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.



## मामले पर जोर

1. हम उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में ध्यान में रखते हुए पुरी की गई।
2. हम आकस्मिक देनदारियों और वित्तीय विवरण के प्रति प्रतिबद्धता पर लेखों पर टिप्पणी-एम पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो ग्राहकों को ऋण की हानि के कंपनी के अनुमानों के संबंध में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का वर्णन करता है। और इस तरह के अनुमान महामारी की गंभीरता और अवधि से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वह भवन शामिल हैं जिन्हे पूर्व कर्मचारियों बैंक एवं डाकघर, आदि को किराए पर दिया गया था। कंपनी ने उनसे किराया प्राप्त किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-III के अनुसार इसे तुलन पत्र के पहले अलग से दिखाया जाना चाहिए।
4. कंपनी ने बीमांकित मूल्यांकन के आधार और IND AS-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार कंपनी के पेरोल पर अपने दीर्घकालिक सेवानिवृत्त लाभ के लिए अपने बही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है।
5. 31 मार्च, 2022 तक 174.79 लाख रुपये की इन्वेंट्री का मूल्य लागत पर लगाया गया था। भौतिक सत्यापन 10 जून 2022 को किया गया है और निम्नलिखित विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

## Emphasis of Matter

1. We bring to the attention of the users that the audit of the financial statement has been performed keeping in the mind about precaution for continuing COVID-19 Pandemic.
2. We draw attention to Note to Accounts-M on contingent liabilities and commitments to the financial statement, which describes the uncertainty caused by Novel Corona virus Pandemic with respect to the company's estimates of impairment of loans to customer and that such estimate may be affected by the severity and duration of the pandemic. Our opinion is not modified in respect of this matter.
3. Property, Plant and Equipment includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it. As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.
4. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee 'Benefits.
5. Inventories of Rs 174.79 Lakhs as on 31<sup>st</sup> March, 2022 was valued at cost. The Physical verification has been carried out on 10<sup>th</sup> June 2022 and following discrepancies has been observed as below:

क. इसने मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ख. इसने पाया है कि मौजूदा इन्वेंटी रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान डस्ट एंड मड में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था। यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लम्बी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फुट) के कारण हुआ।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ने बैलेंस शीट में 3715.11 लाख रुपये के सकल मूल्य का खुलासा किया है। प्रबंधन ने सत्यापन के लिए कोई निश्चित संपत्ति रजिस्टर प्रदान नहीं किया है। तथापि, फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कार्यालय उपकरणों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए तैयार किया गया है और हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं।

7. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 215 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। एफसीआईएल के इस प्रकार के क्वार्टर की संख्या स्थित थी। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को धवस्त कर दिया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था और उक्त 215 के लिए 18,16,957 रुपये के मूल्यहास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बही-खातों से तिमाहियों की संख्या। हालांकि जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि भूमि अभी भी एफसीआईएल के

a) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.

b) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mudwas found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it (which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

6. Property, Plant and Equipment have disclosed in the Balance Sheet with gross value of Rs 3715.11 lakhs. The management has not provided any fixed asset register for verification. However the Physical Verification Report/Certificate of Furniture & Fixture and Office Appliances has produced for verification and we are relying on the same.

7. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs. 18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs. 18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22. However as explained by management the land is still in



स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है।

8. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-08 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहां कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” में प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा किए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।
9. (i) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों का आदान-प्रदान एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के 344 क्वार्टरों के साथ किया गया था तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-45 के प्रावधान के अनुसार पूंजीगत लाभ या हानि को दर्ज करने के लिए बही-खातों में ऐसे लेन-देन का कोई प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है।

(ii) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान इकाई के पुनरुद्धार के लिए रामागुंडम इकाई की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड कोमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त शेयरों को लाभ हानि की गणना किए बिना 1854.37 लाख रुपये के लाभ और हानि खाते में असाधारण मदों के रूप में माना है। कंपनी ने पिछले वर्षों में संयुक्त उद्यम के ऐसे शेयरों पर कोई आयकर नहीं लिया है और चालू वर्ष में भी इसी नीति का पालन किया गया है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है।

ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt.

8. Attention is drawn on Note to accounts - F-8 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures; which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 3<sup>rd</sup> March, 2022.
  - i) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.
  - ii) The management has treated shares received from RamagundamFertilizers & Chemicals Limited against transfer of assets of Ramagundam Unit for revival of unit during the year as Exceptional items in the Profit & Loss A/c amounted to Rs. 1854.37 lakhs without computing profit/ loss. The company has not charged any Income tax on such shares of Joint venture in previous years and same policy have been followed in current year, as explained by management.

10. रामागुंडम इकाई में ऑडिट अवधि के दौरान 4,12,602 रुपये की कर योग्य राशि पर स्वेता ठेकेदारों के साथ अनुबंध पर जीएसटी पर टीडीएस नहीं काटा गया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यह प्रावधान सरकार और सरकारी उपक्रमों और अन्य अधिसूचित संस्थाओं के लिए है जो अनुबंध भुगतान करते हैं, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य आपूर्तिकर्ताओं को 2.5 लाख रुपये से अधिक है। ऐसे अनुबंधों के तहत कोई भी भुगतान करते समय, संबंधित सरकार प्राधिकरण किए गए कुल भुगतान का 2% (प्रत्येक अधिनियम के तहत 1% और आईजीएसटी के मामले में 2%) काट गा और इसे उचित जीएसटी खाते में भेज देगा।

11. एफसीआईएल के नोएडा प्रधान कार्यालय में, उन्होंने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पटे का किराया दिया है, जिस पर एफसीआईएल 25 जनवरी 2018 से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, एचओ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) के तहत आरसीएम के तहत जीएसटी की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है।

12. एफसीआईएल की कोरबा इकाई में कंपनी ने मैसेंजर को 1,14,893 रुपये की कर योग्य राशि का भुगतान किया है, जो 1 लाख रुपये से अधिक है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार धारा 194-सी के तहत टीडीएस काटा जाना है, लेकिन इकाई ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

13. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 4,17,04,181 रुपये की पूर्व अवधि की ब्याज आय बुक की है, उक्त पूर्व अवधि की आय पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित ब्याज की शार्ट बुकिंग और सावधि जमा प्राप्तियों में 1,99,00,000 रुपये की गलत बुकिंग के कारण उत्पन्न हुई है। उक्त सावधि जमा रसीद को वित्तीय वर्ष

10. At Ramagundamunit, TDS on GST has not been deducted on Contract with Swetha Contractors on Taxable amount Rs4,12,602 during the audit period. As per section 51 of CGST Act, this provision is meant for Government and Government undertakings and other notified entities making contractual payments where total value of such supply under contract exceeds Rs. 2.5 Lakhs to suppliers while making any payments under such contracts, the concerned Government/ authority shall deduct 2% of the total payment made (1% under each Act and 2% in case of IGST) and remit it into the appropriate GST account.

11. At Noida Head Office of FCIL, they have incurred lease rent to New Okhla Industrial Development Authority on which FCIL is liable to pay GST under Reverse Charge Mechanismw.e.f 25 Jan 2018. However the HO have not paid any amount of GST under RCM under section 9(3) of Central Goods and Services Tax Act, 2017.

12. At Korba unit of FCIL, company has made payment to Messenger of taxable amount of Rs 1,14,893which is in excess of Rs 1 Lakh on which TDS ,as per Income Tax Act,1961 has to be deducted under Section 194-C but the unit has not complied with.

13. During the Financial Year 2021-22 the company has booked prior period interest income of Rs. 4,17,04,181 the said prior period income arose due to short booking of interest accrued by Rs. 2,18,04,181/- for previous year 2020-21 and wrong booking of Rs 1,99,00,000 in Fixed Deposit Receipts.



2021-22 में पूर्व अवधि मदों में व्यय में बुकिंग करके उलट दिया जाता है। कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक सावधि जमा प्राप्तियों की मूल राशि शेष की पुष्टि प्रदान की है। तथापि, एफडीआर की शेष पुष्टि अर्जित ब्याज की पुष्टि पुष्टि के अधीन है।

14. बंधन के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कोई राशि बकाया नहीं थी जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है, और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं

The said Fixed Deposit Receipt is reversed in Financial Year 2021-22 by booking in expenditure in prior period items. The company has provided principal amounts Balance confirmation of Fixed Deposit Receipts as on 31<sup>st</sup> March 2022. However, the balance confirmation accrued interest of FDR is subject to confirmation.

14. As per the management no amount was outstanding to Micro Enterprises & Small Enterprises as disclosed in the financial statement, and we are relying on the information provided by management

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

## अन्य मामले

जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, आवश्यक रिकार्ड, रिपोर्ट, दस्तावेज और प्रमाण पत्र हमें डिजिटल माध्यम और ईमेल के माध्यम से इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस हद तक, अडिट प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्ड के आधार पर की गई थी, जिन्हें वर्तमान अवधि के लिए अडिट करने और रिपोर्टिंग करने के लिए अडिट साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था। ऑडिट प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में इस तरह के प्रतिबंध हैं

## Other Matters

Wherever physical access was not possible, necessary records, reports, documents and certificates were made available to us by the unit through digital medium and emails. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Such restrictions in performing audit procedures have enhanced the risk in effectively carrying out the audit and the quality of audit evidence gathered by us.

## Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the

## प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के

हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

### वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त किया था। इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है जिसे हमें उस तारीख के पश्चात उपलब्ध किए जाने की आशा है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह इस अन्य जानकारी का एक

context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

### Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the draft Directors' Report including annexure to Directors' Report, which we obtained prior to the date of this auditors' report and other reports included in the Annual report, which are expected to be made available to us after that date, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a



महत्वपूर्ण गलत विवरण हैं जो हमे उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बयानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the full Annual report which is expected to be made available to us after the date of this auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के तैयार करने वालों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के तहत लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

## Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हैं खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रलाचन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient



परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराध्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियाँ विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है वित्तीय विवरण के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपनी आडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और वित्तीय में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मानात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, अंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को उन्हें बताते हैं।

## अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have compiled with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

## Report on other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-



अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अर्हक मत एवं मामले पर जोर के भाग में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।
  - ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।
  - ग. अर्हक मत का आधार और मामले पर जोर के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
  - घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 "कर्मचारी लाभ" में से बाहर होना निर्धारित है।

section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "**Annexure B**" a statement on the matters specified in Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:
  - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except the matters described in the basis for qualified opinion and matters of emphasis section of our audit.
  - b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
  - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.
  - d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2015 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS-19 "Employee Benefits".



ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. योग्य राय अनुभाग के आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अधीन, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।

छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में कंपनी निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164 (2) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।

3. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा।

निदेशकों को परिश्रमिक के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.-जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुच्छेद 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

f. Subject to the effects of the matters mentioned in the *Basis for Qualified Opinion* section, in our opinions the aforesaid Financial Statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts ) Rules, 2014

g. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.

h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C"**.

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act:

As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act which are required to be commented upon by us.



4. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2020 तक का कर दिया है; और

ख. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो और

ग. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

5. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की सुनाई गई कार्य प्रणाली उस पर कार्यवाही और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इनके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देश पर एक विवरण देते हैं।

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यूडीआईएन : 22506545BFBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11.11.2022

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31<sup>st</sup> March, 2022; and

b. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

c. There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

5. As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the "**Annexure - D**", a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India after complying with their suggested methodology of audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN:22506545BDBKDS6360

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022

## अनुलग्नक 'क'

## Annexure 'A'

(हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सदस्यों को संदर्भित)

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का पालन नहीं किया है।

लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का लेखा-जोखा न करने के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

2. नोट (एफ) (3) में उल्लिखित पीडीआईएल से प्राप्त शेष राशि सहित व्यापार प्राप्तियों, पूर्व-कर्मचारियों, व्यापार देय और अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में बकाया राशि और प्राप्य राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

गैर-पुष्टि के परिणामी प्रभाव, लाभ और अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 2 में हमारी टिप्पणियों के संचयी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के वर्ष, परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए लाभ पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

*(Referred to in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report to the Members of THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED of even date)*

1. During the year ended 31st March, 2022, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL as referred in Note (F)(3), therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2022.



अनुलग्नक 'ख'

Annexure 'B'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

**1. कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में:**

ए. कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रख रही है।

बी. प्रबंधन के पास उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए एक नीति है। प्रबंधान ने ऑफिस अवधि के दौरान फर्नीचर, फिक्स्चर और अफिस अप्लायांसेज की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की है और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों रिपोर्टों पर भरोसा कर रहे हैं।

सी. हमें एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन भूमियों के मालिकाना हक के विलेख एसीआईएल के नाम पर हैं और प्रबंधन समय-समय पर इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर रहा है। हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और हमने सिंद्री इकाई के भूमि रिकार्ड का सत्यापन किया है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियां कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई हैं।

**Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.**

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

**1. In respect of the Company's fixed assets:**

- The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
- The management has a policy for physical verification of Property, Plant and Equipment at reasonable intervals. The management have provided the physical verification report of Furniture, Fixtures & Office Appliances during the audit period and we are relying on the certificates/reports provided by the management.
- We have been provided with a certificate of details of land available with FCIL specifying title deeds of these lands are in the name of FCIL and the management is physically verifying the same from time to time. We are relying on the certificate provided by the management and we have verified the land record of Sindri unit. However as per management the following properties not held in the name of the company:

(i) तालचेर में, 7780 एकड़ भूमि, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। और इसके लिए करार अभी भी निष्पादित किया जाना है।

(ii) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों को एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए के साथ आदान-प्रदान किया गया था। हालांकि इस विनिमय का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है और पुस्तकों और अभिलेखों में प्रदान किया गया है।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

इ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

## 2. इन्वेंट्री और कार्यशील पूंजी के संबंध में:

ए. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कंपनी यूनिट्स बंद हैं और इन्वेंट्री लक-एंड-की में रखी गई है। हालांकि, हमने 10 जून 2022 को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के माध्यम से भौतिक सत्यापन और पुनः पुनः मापा है और निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:

i) इसने मौजूदा इन्वेंट्री रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(i) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet completed and the agreement for same is still to be executed.

(ii) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

d. The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

e. No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

**2. In respect of Inventory&Working Capital:**

a. As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company Units is closed and inventories are held in lock-and-key. However, we have carried out physical verification and re-measured through Electronic Weighing Machine on 10<sup>th</sup> June 2022 and following discrepancies found:

i) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.



2. यह पाया गया है कि मौजूदा इन्वेंट्री रिकार्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान डस्ट एंड मड में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा (जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था) यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लंबी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फूट) के कारण हुआ।

बी. कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान

कंपनियों, नर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षितण की प्रकृति में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई या कोई त्रण या अग्रिम प्रदान किया गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान त्रण की प्रकृति में कोई कृण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है, या किसी अन्य इकाई को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से 3 (iii) एफ के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. कंपनी के द्वारा त्रण एवं निवेश

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश को छोड़कर जिसे कंपनी की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार में किया गया था। कम्पनी

ii) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it (which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 year.

b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

### 3. Loans given by Company-

According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. The Company has not provided any loans or advances in the nature of loans or stood guarantee, or provided security to any other entity during the year, and hence reporting under clause 3(iii)(a) to 3(iii)f of the Order is not applicable.

### 4. Loan and Investment by the Company-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the

ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है।

#### रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मैंसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. (आरएफसीएल) के रु.10/- की दर से 10,000 इक्विटी शेयर के लिए रु. 1 लाख का भुगतान किया और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर का आवंटन हो गया है और शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं, हालांकि, वर्ज 2017-18 में आरएफसीएल ने एसीआईएल को 92.52 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर जारी किया है, जबकि कंपनी के एसोसिएशन के लेख द्वारा रुपये की अनुसार 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर इसके योगदान के मूल्य के खिलाफ। वर्ज 2018-19 के दौरान कंपनी को 23.27 करोड़ रुपये, 2019-20 इक्विटी शेयर 28.70 करोड़ रुपये, 2020-21 में 44.90 करोड़ रुपये और चालू वर्ज के दौरान 18.54 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर प्राप्त हुआ है। चालू वर्ष 2020-21 में रु. 10/- प्रति शेयर की दर से रु.44.90 करोड़ राशि के 4.490 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

#### तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने तलचर फर्टिजाइजर लि. (टीएफएल) (पूर्व में राष्ट्रीय कोल एवं गैस फ. लि.) में रु. 50 लाख का निवेश किया और रु.10/- प्रति शेयर की दर से 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

provisions of Section 185 and 186 of the Act except the following investments had been made for reviving the company units at various location :

#### Ramagundam Unit

Equity Shares are received for Land use, usable assets and opportunity cost are under:

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued equity share of Rs 92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has received equity share of Rs 23.27 Crore, 2019-20 equity share Rs 28.70 crore, 2020-21 Rs.44.90 Crore & Rs.18.54 Crore during the current year, amounting to Rs.207.94 Crore.

#### Talcher unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.



सिंद्री गोरखपुर/इकाई:

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एचयूआरएल) में 10/- प्रति शेयर की दर से 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए रु.1,66,670 का निवेश किया कंपनी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए है।

**5. जमा**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (वी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**6. लागत रिकार्ड**

कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

**7. सांविधिक देयताएं**

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

क. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद

**Sindri Unit/ Gorakhpur unit:**

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs1,66,670/- in Hindustan Urvarak&Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company.

**5. Deposits-**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

**6. Cost Records-**

All the units of the Company are closed and there was no production during the financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

**7. Statutory Dues-**

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few

शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोदृभवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

ख. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2021 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported.

b. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31<sup>st</sup> March, 2022 for a period of more than six months from the date they become payable except the following:



सांविधिक का नाम Name of statutes	देयता का प्रकार Nature of due	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। Period to which the Amount	नियत दिनांक Due date	जमा करने का दिनांक Date of deposit	टिप्पणी Remarks
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
म.प्र.प. सरकार वन विभाग मुआवजा M.P. govt. forest growth compensation	मुआवजा (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा) Local Authority (Korba)	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chattisgarh Nagar Palika Act, 1956	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	65.55 65.55	2017-18 2017-18	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट का कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया हो, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings:



<b>सांविधिक का नाम</b> <b>Name of the Statute</b>	<b>देयता का प्रकार</b> <b>Nature of dues</b>	<b>राशि (लाख रुपये)</b> <b>Amount (Rs. in Lakhs)</b>	<b>जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है।</b> <b>Period to which amount relates</b>	<b>फोरम जहाँ विवाद लांबित है</b> <b>Forum where dispute is pending</b>
आय कर अधिनियम 1994 Service Tax Rule 1994	होमगार्ड के वेतन पर सेवाकर और गश्त के लिए वाहन के खर्च पर सेवाकर की मांग (सिंदरी) Demand of Service Tax on Salary of Home Guard and Expenses of Vehicle for Patrolling beat of Security(Sindri)	8.01 8.01	2016-17 2017-18 2016-17 2017-18	अधिक्षण सीजीएसटी, लेखा परीक्षा सर्किल, धनबाद Superintendent, CGST, Audit Circle, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.41 0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.32 0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.89 24.89	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1985-86 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST(Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST(Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST(Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने के लिए उप आयुक्त (बिक्री कर का दावा) Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीसीटी, पटना  CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिसा Astt. Com. Of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिसा Astt. Com. Of Sales Tax Cuttack, Odisha
नगर निगम Nagar Nigam	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	स्थानीय प्राधिकरण Local Authority

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

## 8. अलिखित आय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) खंड 3 (viii) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में पहले से दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं थे या आय के रूप में प्रकट किए गए थे।

## 9. ऋणों का पुनर्भुगतान-

ए. कंपनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों के पुनर्भुगतान अथवा किसी ऋणदाता से उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम द्रष्ट्या, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया।

इ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (इ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 8. Unrecorded Income

In our opinion and according to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) Clause 3(viii).

## 9. Repayment of Loans-

- (a) The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest thereon from any lender. Hence reporting under clause 3(ix)(a) of the Order is not applicable.
- (b) The Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
- (d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short-term basis have, *prima facie*, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
- (e) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.
- (f) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.



## 10. निधियों का जुटाना/उपयोग:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (त्रहण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनी य डिवेंचर (पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 11. धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग-

क. हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा धड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखा धड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग. हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लॉअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

## 10. Raising/Utilization of funds-

a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable

## 11. Reporting of Fraud-

a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

c) We have taken into consideration the whistleblower complaints received by the Company during the year (and up to the date of this report), while determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

## 12. निधि कंपनी

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता है।

## 13. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन नहीं किया गया।

## 14. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इसलिए, आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

## 15. गैर-नकदलेनदेन-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## 16. आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण-

क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की

## 12. Nidhi Company-

According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

## 13. Related Party Transactions-

In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are no transactions with related parties were made during the year as stated in sections 177 and 188 of the Act.

## 14. Internal Audit System-

According to the information and explanations given to us and based on our examination ,the company is a private limited company to which provisions of section 138 are not applicable and hence, reporting under clause 3(xiv) of the Order are not applicable.

## 15. Non-Cash Transactions-

According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

## 16. Registration under RBI Act

a) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.



आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 17. नकद हानि

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष क्लाज 3 (xvii) के दौरान नकद नुकसान नहीं हुआ है।

## 18. लेखा परीक्षकों का इस्तीफा

वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

## 19. आर्थिक व्यवहार्यता

वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र बढ़ने और अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.

b) In our opinion and according to the information and explanation given to us, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

## 17. Cash Losses

In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year Clause 3 (xvii).

## 18. Resignation of Auditors

There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.

## 19. Economic Viability

On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

तथापि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

## 20. सीएसआर दायित्व

क. चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास 47.64 लाख रुपये की अव्ययित राशि है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतु क के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

ख. किसी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन कोई राशि बाकी नहीं बची है।

## 21. सहायक/ एसोसिएट्स की स्टैंडअलोनकारो रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी:

कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(XXI) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

## 20. CSR Obligations

a. In respect of other than ongoing projects, the company has Rs.47.64 Lacs unspent amount which needs to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act;"

b. No amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project.

## 21. UNFAVOURABLE REMARK IN SUBSIDIARY/ASSOCIATES' STANDALONE CARO REPORT:

The Company is not required to prepare consolidated Financial Statement. Hence Reporting under Clause 3(XXI) of the order is not applicable for the year.



कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन  
हॉ/–  
(मनप्रीत सिंह कपूर)  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यूडीआईएन.:22506545BDBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kappor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545BDBKDS6360

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022



**कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) ("अधिनियम") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।**

**Report on the Internal Financial Controls over Financial Reportings under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

मैं ० दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को पैराग्राफ ३ (जी) के भाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

हमने, दि फार्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के ३१ मार्च २०२२ तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है।

Referred to in paragraph 3(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited of even date.

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपनी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the



पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों को तैयार करना सम्मिलित है।

### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हमने नैतिक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और क्या इस प्रकार के नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लेखा परीक्षा प्रमाण को प्राप्त करना वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रचालन प्रभावशीलता अंतर्निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता, थोड़ी सी भी मौजूद कमजोरी के जोखिम का आकलन तथा परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के थोड़े से भी गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये एक आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित हैं और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड तैयार किया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, उचित विश्वसनीयता को बनाना है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन भार (ओवरराईड) की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखा धड़ी के कारण छोटी सी भी गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को दर्शाना इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री विगड़ सकती है।

## Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Limitations of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



आगे लेखा परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पट्टा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

## मत

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं जो कि इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित हैं।

हालांकि इनमें और सुधार की आवश्यकता है:- i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दस्तावेजीकरण इसकी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम घटाने सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना। ii) व्यय और अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करना, अन्य वित्तीय संपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू संपत्ति व्यापार देय, अन्य वित्तीय देयता और अन्य वर्तमान देयता की पुष्टि/समाधान/समायोजन करना; और iii) सूचना प्रोधोगिकी प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण एवं एकीकृत सूचना प्रदान करने से रोकता है। उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between “company” and “ex-employees “ by proper authority ,which lead to lack of internal financial control in this respect.

## Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the **Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting** issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

However, further improvement is required in i) the documentation of Internal Financial Controls of the Company in respect of its risk assessment process, risk analysis of different functional areas and incorporating the process flows at departmental levels including risk mitigation in respect of insurance coverage, ii) strengthening of the monitoring of controls in respect of expenses and fixed assets, confirmation/ reconciliation/ adjustment of balances of other financial assets, other current and non-current assets, trade payables, other financial liabilities and other current liabilities and iii) inadequate design of information technology system and application controls that prevent the information system from providing complete and integrated information consistent with financial reporting objectives.



**The Fertilizer  
Corporation of  
India Limited**

Our opinion is not modified in respect of the above  
matters.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/–  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यूडीआईएन:22506545BDBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

**For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN. 22506545BDBKDS6360**

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022



कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के तहत निर्देश के उत्तर

Replies to Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।

केन्द्रीय कार्यालय गोरखपुर इकाई में खातों की किताबें टैली (ईआरपी 9) में रखी जाती है।

किताबें डी-बेस में सिन्दरी यूनिट में रखी जाती हैं।

शेष इकाईयाँ एक्सेल स्प्रेडशीट (कार्यालय) में अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव कर रही हैं।

समेकित से पहले नमूना आधार पर इसकी जांच की गई थी और खातों की अखंडता के संबंध में क्रम में पाया गया था। हालांकि, लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा गया है।

Q.1 Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

The books of accounts at Central Office Gorakhpur unit are maintained in Tally (ERP 9). The books are maintained at Sindri Unit in D-Base. The remaining units are maintaining its books of account in Excel Spreadsheets (Office).

The same were checked on same basis before consolidation and were found to be in order vis a vis integrity of accounts is concerned. However, no system has been placed for Audit trail in the Accounting software.

प्र.2 क्या कंपनी के ऋण का जवाब देने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बटे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर ऋण ब्याज आदि को माफ करने के कोई मामले नहीं हैं। इसलिए यह लागू नहीं होता है।



प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

का उचित लेखा-जोखा है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

**Q.2** Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In **case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company**).

**प्र.3** क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सीडी, आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

**Q.3** Whether **funds (grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from Central/State **Governments or its agencies** were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545BDBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

Based on the information and explanation given to us There are no such cases of waiver / write off debts / loans / interest etc. Hence this clause is not applicable.

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कोई धन (अनुदान/सब्सीडी आदि) प्राप्त/प्राप्त नहीं है। और सरकार या अन्य अधिकारीयों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है। अतः लागू नहीं है।

Based on the information and explanation given to us, There are no funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable in the company and no assets received from government or other authorities, Hence not applicable.

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545BDBKDS6360

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, कि भूमि का कितना क्षेत्र अतिक्रमण में है और सारांश में बतायें कि कंपनी ने इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि का अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

आगे सिंदरी इकाई में पूर्व कर्मचारियों द्वारा 3300 क्वार्टरों पर कब्जा किया गया है जिसमें से 3064 क्वार्टरों के लिए माननीय न्यायलय द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया है।

Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.

कंपनी ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी है और पीपी एक्ट के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6,653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However, the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed.

Further, at Sindri unit, ex-employee have encroached 3300 Quarters, against which Eviction Orders Have been Passed by Learned Court for 3064 Quarters.



The Company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545BDBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

**For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N**  
Sd/-  
**(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545BDBKDS6360**

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022



## अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएण्डएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मैं दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने उनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन  
हॉ/-  
( मनप्रीत सिंह कपूर )  
भागीदार  
सदस्यता सं : 506545  
यू.डी.आई.एन.:22506545BDBKDS6360

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 नवम्बर, 2022

## COMPLIACE CERTIFICATE

We have conducted audit of accounts of M/s. THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED (FCIL) ("the company"), for the year ended as at March 31, 2022, in accordance with the direction/sub-direction issued by the C&AG of INDIA U/s 143(5) of the Act, 2013 and certify that we have complied with all direction/sub-direction issued by us.

For Deepak Gulati & Associates  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 007545N  
Sd/-  
(Manpreet Singh Kapoor)  
Partner  
Membership No. 506545  
UDIN : 22506545BDBKDS6360

Place : New Delhi  
Dated : 11<sup>th</sup> November, 2022



## अनुलग्नक-II

कीर्ति तिवारी महानिदेशक लेखा परीक्षा तथा कृषि, खाद्य एवं जल संसाधान द्वारा वित्त निदेशक एफ. सी.आई.एल. को भेजे गए पत्र संख्या 2/126/डी.जी. ए./ (ए.ए.पफ.एण्ड डब्लू.आर.)/ए/सीएस/एफसीआईएल/2022-23/5998 दिनांक 02.12.2022 के पत्र की प्रति:-

**विषय:** भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (बी) के अन्तर्गत दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणीयां भेजी जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजनें की कृपा करें।।

भवदीय

ह.

(कीर्ति तिवारी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधान)

संलग्न : यथोपरी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02.12.2022

## APPENDIX-II

**Copy of letter No.A report/2-126/DGA/(AF&WR)/A/CS/FCIL/2022-23/5998 dated 2/12/2022 received from Kirti Tiwari, Director General Audit (Agriculture, Food & Water Resources) office of the Director General of Audit (Agriculture, Food & Water Resources) New Delhi addressed to Director (Fin), FCIL.**

**Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022.**

We are sending herewith comments Certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of The Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-

(Keerti Tiwari)  
Director General of Audit  
(Agriculture, Food & Water Resources)

Encl : As stated.

Place : New Delhi

Dated : 02.12.2022



## दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 05 सितम्बर 2022 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। आपूर्ति लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखा परीक्षा टिप्पणियों के प्रभावी करने के लिए सार्वधिक लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा मैं अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में आए है। और मेरे विचार में वित्त बयानों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समकक्ष करने के लिए आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए एवं की ओर से

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 02.12.2022

ह०/-  
(कीर्ति तिवारी)  
महानिदेशक, लेखा परीक्षा  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)



## **Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022.**

The preparation of financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 11 November 2022 which supersedes their earlier Audit Report dated 05 September 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

**For and on behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India**  
Sd/-  
**(Keerti Tewari)**  
**Director General of Audit Agriculture,  
Food & Water Resources**

Place: New Delhi  
Date: 02.12.2022



## सी एण्ड एजी टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

### Reply of the Management on the comments of C&AG remarks

विवरण/Particulars	उत्तर/Replies
ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ बैलेंस शीट देनदारियां वर्तमान देनदारियां	
‘ए.1 अन्य वर्तमान देनदारियां-रु.1-55 करोड़ ( नोट-17 )	
उपर्युक्त में 16.74 लाख रूपये शमिल नहीं है। क्योंकि कंपनी ने सिंद्री इकाई के पुनरुद्धार के संबंध में मैसर्स डेलॉयट टच तोमाटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाए गए चालान की राशि का हिसाब नहीं रखा है। चूंकि प्रबंधन ने इस दायित्व का खण्डन नहीं किया है, इसलिए इसे वित्तीय विवरण में हिसाब दिया जाना चाहिए था।	चूंकि सिंद्री इंकाई का पुनरुद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है और हम अभी तक एचयूआरएल (जेवी पार्टनर) में अपना इक्विटी हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए राशि को पुष्टि देनदारियों में नहीं दिखाया गया था, हालांकि इसे आकस्मिक देनदारियों में दिखाया गया है।
A. Comments on Financial Position Balance Liabilities current liabilities	इस प्रकार “अन्य वर्तमान देनदारियों” का कोई कम बयान नहीं है। और “वर्ष के लिए लाभ” का ओवरस्टेटमेंट नहीं है। रु.16.74 लाख से।
A.1 Other Current liabilities- Rs.1.55 crore (Note-17)	The above does not include Rs.16.74 lakh as the Company has not accounted for the amount of invoice raised by M/s Deloitte Touche Tohmarsu India Private Limited regarding revival of Sindri unit. As the management has not refuted this liability, this should have been accounted for in financial statement.
	As the revival of Sindri unit is yet to be completed and we have not yet received our equity share in HURL(JV partner), therefore the amount was not shown in confirmed liabilities, however it has been shown in Contingent Liabilities

## विवरण/Particulars

## उत्तर/Replies

This has resulted in understatement of 'Other Current liabilities' and overstatement of 'Profit for the year' by Rs.16.74 lakh.

### बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

#### बी.1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और खातों के लिए नोट्स आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं ( नोट-25एम )

एफसीआईएल ने (दिसम्बर 1979) बालाजी लैमिनेटिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (बीएलडब्ल्यू) को 115 लाख यूरिया बोरों की आपूर्ति के लिए खरीद ओदेश जारी किया। हालांकि, मैसर्स बीएलडब्ल्यू समय पर आपूर्ति करने में विफल रहा और उनके बीच विवाद पैदा हो गया और इसे मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। मध्यस्थ ने (मई 1983) पुरस्कार की तारीख से मैसर्स बीएलडब्ल्यू के पक्ष में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु.28.52 लाख का पुरस्कार दिया इसके जवाब में मैसर्स एफसीआईएल ने दो मामले दायर किए, एक धनबाद कोर्ट में और एक रांची हाई कोर्ट में, लेकिन दोनों मामलों में हार गया। दूसरे मामले में, माननीय रांची उच्च न्यायालय ने केवल आंशिक राहत दी। यानी 1985 से 2005 की अवधि का ब्याज माफ़ कर दिया। बीएलडब्ल्यू ने एफसीआईएल से 1.41 करोड़ रुपये की वसूली के लिए (नवम्बर 2019) निष्पादन मामला दायर किया और धनबाद की निष्पादन अदालत ने (मार्च 2022) मैसर्स बीएलडब्ल्यू को 1.24 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश पारित किया, अन्यथा एफसीआईएल की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसने (26 सितम्बर 2022) ब्याज की दर को कम करने का आदेश दिया और चार सप्ताह के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि जमा करने पर निज़पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी।

चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए दी गई राशि को वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए था और खातों पर नोट्स में तथ्य का खुलासा किया जाना चाहिए था।

Thus, there is no understatement of "Other Current liabilities" and overstatement of "Profit for the year" by Rs.16.74 lakh.

हमारे पास इस बिज्य में अनुकूल तर्क है और माननीय न्यायालयों ने हमें निम्नलिखित राहत दी है:-

क) माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 20 वर्षों अर्थात 1985 से 2005 तक ब्याज माफ करके हमे राहत दी है।

ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ब्याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करके हमे राहत दी है।

चूंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए 124 करोड़ रुपये की पूरी राशि (18 प्रतिशत की ब्याज दर के आधार पर) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्शाना सही स्थिति को प्रतिबिंत नहीं करता। इसलिए, रु.29.87 लाख राशि (रु.28.52 लाख की मूल डिक्री राशि के आधार पर) को "आकस्मिक देयताओं" में दर्शाया गया है।



विवरण/Particulars

उत्तर/Replies

**B. Comments on Disclosure**

**B.1 Significant Accounting Policies and Notes to Accounts**

**Contingent Liabilities and Commitments (Note-25 M)**

FCIL issued (December, 1979) a purchase order to Balaji Laminating Works Private limited (BLW) for supply of 11.5 lakh urea bags. However, M/s BLW failed to make supplies on time and dispute arose between them and was referred to Arbitration. The arbitrator gave (May 1983) the award of Rs.28.52 lakh with interest @ 18.% in favour of M/s BLW from the date of award. In response, M/s FCIL filed two cases i.e. one at Dhanbad Court and one at Ranchi High Court, but lost both cases. In second case, Hon'ble High Court of Ranchi gave partial relief only i.e. interest from period 1985 to 2005 was waived off.

BLW filed (November 2019) execution case for realization of Rs.1.41 crore from FCIL and the execution court at Dhanbad passed (March 2022) an order for payment of Rs.1.24 crore to M/s BLW, otherwise to attach properties of FCIL, The matter is pending in Supreme Court which ordered (26 September 2022) to reduce the rate of interest and stayed the execution proceedings if entire awarded amount is deposited with 9% interest within four weeks.

Since the matter is pending with Supreme Court, the awarded amount should have been shown as contingent liability in the financial statements and fact should have been disclosed in Notes on Accounts.

We have favorable arguments in the subject case and Hon'ble courts have given following reliefs to us:-

(a) Hon'ble High Court Ranchi has given us relief by waiving interest for 20 years i.e. from 1985 to 2005.

(b) Hon'ble Supreme Court has given us relief by reducing the interest rate from 18% to 9%.

Since, the case is pending for hearing in Hon'ble Supreme Court, therefore showing the entire amount of Rs.1.24 crore (based on interest rate @18%) as contingent liabilities would not have reflected the correct position. Therefore, an amount of Rs. 29.87 lakh (based on the original decree amount of Rs. 28.52 lakh) has been shown in "Contingent Liabilities".



## तुलन पत्र

(31 मार्च, 2022 को)

### BALANCE SHEET (As at 31.03.2022)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं			
क) सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण	1	1,483.11	1,600.94
ख) चालू निवेश नहीं हैं	2	20,795.86	18,941.49
ग) दीर्घ अवधि ऋण	3	-	0.31
घ) अन्य जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	4	785.76	916.91
<b>कुल जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं (क)</b>		<b>23,064.73</b>	<b>21,459.65</b>
चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) वस्तु सूचियाँ	5	174.79	174.79
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
ि) ट्रेड एवं अन्य प्राप्त होने योग्य	6	110.53	80.08
ii) नगद एवं नगद के बराबर	7	46,241.35	45,412.37
iii) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	8	1,139.32	1,387.48
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	9	1,199.95	788.82
		<b>48,865.94</b>	<b>47,843.90</b>
बिक्री के लिये वर्गीकृत किये गये जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	10	92.31	92.31
<b>कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)</b>		<b>48,958.25</b>	<b>47,936.21</b>
<b>कुल परिसम्पत्तियाँ (क+ख)</b>		<b>72,022.98</b>	<b>69,395.86</b>

(जारी/Continued)

तुलन पत्र (31 मार्च, 2022 को) (जारी)

**BALANCE SHEET (As at 31.03.2022) (Continued)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
<b>इकिवटी एवं देयताएं</b>			
<b>इकिवटी</b>			
क) इकिवटी शेयर पूँजी	a) Equity Share capital	11 75,092.39	75,092.39
ख) अन्य इकिवटी	b) Other Equity	12 (8,442.57)	(11,906.11)
<b>कुल इकिवटी (क)</b>	<b>Total Equity (a)</b>	<b>66,649.82</b>	<b>63,186.28</b>
<b>देयताएं</b>			
<b>देयताएं जो चालू नहीं हैं</b>			
क) वित्तीय देयताएं	a) Financial Liabilities	-	-
i) ट्रेड देय	i) Trade payables	13	-
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	a) Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.		
ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया	b) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	557.25	557.25
ख) दीर्घ अवधि प्रावधान	b) Long term Provisions	14 16.00	16.00
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	c) Deferred tax Liabilities (Net)	-	-
घ) अन्य देयताएं जो चालू नहीं हैं	d) Other non-current Liabilities	15 4,293.42	4,150.14
<b>कुल देयताएं जो चालू नहीं हैं</b>	<b>Total non-current Liabilities</b>	<b>4,866.67</b>	<b>4,723.39</b>
<b>चालू देयताएं</b>			
वित्तीय देयताएं	Financial Liabilities	16 10.11	7.30
अन्य चालू देयताएं	Other current Liabilities	17 154.92	106.20
लघु अवधि प्रावधान	Short-term Provisions	18 341.46	1,372.69
<b>कुल चालू देयताएं</b>	<b>Total Current Liabilities</b>	<b>506.49</b>	<b>1,486.19</b>
<b>कुल देयताएं</b>	<b>Total Liabilities (B)</b>	<b>5,373.16</b>	<b>6,209.58</b>
<b>कुल इकिवटी एवं देयताएं</b>	<b>Total Equity and Liabilities (A+B)</b>	<b>72,022.98</b>	<b>69,395.86</b>

(जारी/Continued)



तुलन पत्र (31 मार्च, 2022 को) (जारी)

## BALANCE SHEET (As at 31.03.2022) (Continued)

नियमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ।

Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes

हो/- Sd/-  
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)  
विशेष कार्य अधिकारी/  
Officer on Special Duty

हो/- Sd/-  
(जोहन टोपनो)/(Johan Topno)  
निदेशक/Director  
डिन/DIN 08758583

हो/- Sd/-  
(निरजा एडीडाम)/(Neeraja Addidam)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/  
Chairman & Managing Director  
डिन/DIN 09351163

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date  
कृते मैं. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
For M/s. Deepak Gulati & Associates  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या—007545एन

Firm Registration No.007545N

हो/- Sd/-  
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)  
भागीदार/Partner  
एम. संख्या/M.No. 506545

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi  
दिनांक/Date : 5<sup>th</sup> September, 2022



लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए)

**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2022)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022	31 मार्च 2021 को For the year ended 31 March 2021
अन्य आय	Other Income	19	3,743.53
कुल राजस्व	Total Revenue		3,743.53
व्यय	Expenses		
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	20	29.53
वित्तीय लागत	Finance cost	21	0.42
मूल्यांकन एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortisation expenses	22	12.51
अन्य व्यय	Other Expenses	23	1,258.36
कुल व्यय	Total Expenses		1,300.82
कर एवं विशिष्ट मदों से पहले लाभ / हानि	Profit/ (loss) before exceptional items and tax		2,442.71
विशिष्ट मद	Exceptional items		1,854.37
कर से पहले लाभ / (हानि)	Profit/ (loss) before tax		4,297.08
असाधारण मद	Extra Ordinary Items		-
कर से पहले लाभ	Profit before tax		4,297.08
<u>कर पर व्यय</u>	<u>Tax Expenses</u>		
वर्तमान कर	Current Tax		723.21
आस्थागित कर	Deferred Tax		-
पिछले वर्ष कर	Earlier Year Tax		-
प्रचालन जारी रखने के अवसर का लाभ / (हानि)	Profit/ (loss) for the period from continuing operations		3,573.87
अन्य वृहत आय	Other Comprehensive Income		-
मदें जो कि लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	Items that will not be reclassified to profit & loss		-

(जारी/Continued)



**लाभ एवं हानि विवरण** (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए) (जारी)

**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS** (For the year ended 31.03.2022) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022	31 मार्च 2021 को For the year ended 31 March 2021
निश्चित लाभप्रद योजनाओं पर पुनर्परिकलित हानि	Re-measurement losses on defined benefit plans	-	-
आय का प्रभाव	Income Tax Effect	-	-
अवधि के लिये कुल वृहत आय	Total Comprehensive income for the period	-	-
प्रति इकिवटी शेयर अर्जन (प्रचालन जारी रखने के लिये)	Earnings per equity share (for continuing operations)	24	
क) मूल	a) Basic	47.59	67.99
ख) द्रवीय	b) Diluted	47.59	67.99
निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित	<b>Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes</b>	25	
अनुसूचियाँ			

हो/- Sd/-  
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)  
विशेष कार्य अधिकारी/  
Officer on Special Duty

हो/- Sd/-  
(जोहन टोपनो)/(Johan Topno)  
निदेशक/Director  
डिन/DIN 08758583

हो/- Sd/-  
(निरजा एडीडाम)/(Neeraja Addidam)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/  
Chairman & Managing Director  
डिन/DIN 09351163

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report of even date  
कृते मैं. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
For M/s. Deepak Gulati & Associates  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-007545एन  
Firm Registration No.007545N

हो/- Sd/-  
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)  
भागीदार/Partner  
एम. संख्या/M.No. 506545

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi  
दिनांक/Date : 5<sup>th</sup> September, 2022



**NOTE-1  
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	पटे पर स्थानिक शून्य पर शून्य						सरकारी सीकर एवं निकासी						विविध उपकरण		फर्टिलाइजर जुड़ाव एवं कार्यालय		संयंत्र एवं मशीनरी (कॉम्प्लॉटर)		विद्युत उत्पादन वातानशीप	
		Lease hold Land	Free hold Land	Roads & Culverts	Buildings	Water System, Sewerage and Drainage	Misc. Equipment	Furniture Fixture and Office Appliances	Plant & Machinery (COM)	Elec. Instt. Township	Total										
लागत या मानित लागत	Cost or deemed Cost																				
31 मार्च 2020 को	At March 31, 2020	181.37	308.54	233.39	2815.83	320.29	0.91	8.76	19.02	13.17	3901.28										
वृद्धि	Additions	0	0	-	-	0	0.10	0.65	5.04	5.79											
निपटान / समायोजन	Disposal/Adjustments					(178.72)			0												
31 मार्च 2021 को	At March 31, 2021	181.37	308.54	233.39	2815.83	141.57	1.01	9.41	24.06	13.17	3728.35										
वृद्धि	Additions	0	0	-	-	0.00	2.12	2.80													
निपटान / समायोजन	Disposal/Adjustments					-18.26		-													
विक्री के लिये के रूप में वर्गीकृत	Classified as held for sale																				
31 मार्च 2022 को	At March 31, 2022	181.37	308.54	233.39	2797.57	141.57	1.01	11.33	26.86	13.17	3715.11										
संचित मूल्यांकन / क्षति	Accumulated Depreciation/ impairment																				
31 मार्च 2020 को	At 31 March, 2020	74.22	0	227.28	1642.86	320.21	0.91	4.95	12.88	13.17	2296.48										
वर्ष के लिये मूल्यांकन	Depreciation charge for the year	1.75	0	0	4.55	0	0.09	0.78	2.48	0	9.65										
निपटान / समायोजन	Disposal/Adjustments	0	0	-	(178.72)				0												
साधारण आक्षण को अंतिम	Transfer to General reserve	0																			
31 मार्च 2021 को	At 31 March, 2021	75.97	0.00	227.28	1647.41	141.49	1.00	5.73	15.36	13.17	2127.41										
वर्ष के लिये मूल्यांकन	Depreciation charge for the year	1.76	0	0	4.42	0.00		1.16	5.17	0.00	12.52										
पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यांकन	Depreciation on revaluation	0	0	0	110.33*																
निपटान / समायोजन	Disposal/Adjustments				0	-18.16		0.00													
विक्री के लिये रक्षा परिसम्पत्तियों	Accumulated Dep. on assets held for sale																				
का संचित मूल्यांकन	At 31 March, 2022	77.73	0.00	227.28	1744.00	141.49	1.00	6.89	20.53	13.17	2232.01	0									
31 मार्च 2022 को	At 31 March, 2022	103.63	308.54	6.11	1053.57	0.09	0.01	4.64	6.33	0.00	1483.11										
वाहित निवेश मूल्य	Net Carrying Value	105.40	308.54	6.11	1168.42	0.08	0.01	3.68	8.71	0.00	1600.94										
31 मार्च 2021 को	At March 31, 2021																				



**अनुसूची-2**  
**जो चालू निवेश नहीं हैं**

**31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट**  
**Notes Forming Part of Financial Statement for the  
Year Ended 31 March 2022**

**NOTE-2**  
**NON CURRENT INVESTMENT**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
दीर्घ अवधि निवेश इकिवटी में निवेश	<b>Long term Investment Investment in Equity Instruments</b>		
नान-द्रेड निवेश (जब तक कहा न गया हो अन्यथा अनिवेदित लागत पर)	<b>Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted)</b>		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लिंग में पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	0.10	0.10
घटाएँ: दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधन	Less: Provision for diminution in value of long term investment	(0.05) 0.05	(0.05) 0.05
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	<b>Trade Investments in Joint Venture Companies (At cost-unquoted)</b>		
पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर 5,000 रु.10/- के प्रत्येक तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लि.) में	Fully paid up equity shares 5,000 shares @ Rs.10 each At Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd)	0.50	0.50
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में प्रत्येक 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 16,667 इकिवटी शेयर	Fully paid up equity shares 16,667 shares @ Rs.10 each at Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.	1.67	1.67
पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर 20,79,36,4000 @ रु.10/- के प्रत्येक (पिछले वर्ष 18,93,92,700 @ रु.10/-के प्रत्येक) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में	Fully paid up equity shares 20,79,36,400 @ Rs.10 each (Previous year 18,93,9,700 @ Rs.10 each) at Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited.	<u>20,793.64</u>	<u>18,939.27</u>
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>20,795.86</b>	<b>18,941.49</b>
अनिवेदित निवेश का कुल मूल्य	Aggregate value of unquoted Investment	20,795.86	18,941.49
दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	Aggregation of diminution in value of long term investment	0.05	0.05



अनुसूची-3  
दीर्घ अवधि ऋण

**NOTE-3**  
**LONG TERM LOANS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
जब तक कहा न जाय असुरक्षित खरे समझे गये	<b>Unsecured Considered Good unless otherwise stated</b>		
क) ऋण एवं अग्रिम	<b>(a) Loans &amp; Advances</b>		
कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण*	House Building Loan to Employee*	0.31	0.31
*(कर्मचारी नहीं है अर्थात् मर गया है)	*( Employee is no more i.e .He Died )		
ख) कुल	<b>Total</b>	<u>0.31</u>	<u>0.31</u>



## अनुसूची-4

### अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं

## NOTE-4 OTHER NON CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>क) अग्रिम</b>	<b>(a) Advances</b>		
पूर्तिकर्ता (संदिग्ध समझे गये)	Suppliers (considered doubtful)	338.65	338.64
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(338.64)	(338.64)
पूर्तिकर्ता (खरे समझे गये)	Suppliers (considered good)	-	-
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.59	0.76
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	56.79	56.79
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(56.79)	(56.79)
अन्य (खरे समझे गये)	Others (considered good)	17.67	17.22
प्रतिभूति जमा एनपीडीसीएल सरकारी प्राधिकरण / अन्य के पास जमा (खरे समझे गये)	Security Deposit NPDCL	-	-
सरकारी प्राधिकरण / अन्य के पास जमा (संदिग्ध समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	67.73	69.71
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered doubtful)	0.24	0.24
आय कर एवं टीडीएस (प्रावधान का निवल)	Less: Provision for doubtful deposits	(0.24)	(0.24)
<b>कुल (क)</b>	Income Tax & TDS (Net of Provision)	<b>517.81</b>	<b>587.46</b>
<b>कुल (ख)</b>	<b>Total (a)</b>	<b>603.81</b>	<b>675.15</b>
	<b>Total (b)</b>	<b>603.81</b>	<b>675.15</b>



## अनुसूची-4

### अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं (जारी)

### NOTE-4 OTHER NON CURRENT ASSETS (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>ख) अन्य – जमा</b>	<b>b) Others - Deposits</b>		
मियादी जमा खाता (सुख सुविधा कोश)	Fixed deposit Accounts (Amenities Fund)	8.17	6.79
चालू खाता-II सुख सुविधा कोश	Current Account II (Amenities Fund)	5.39	5.41
घटाएँ : संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful	-	-
जमा उत्पादशुल्क विभाग के पास गिरवी	Deposit with (Pledged with Excise Deptt)	38.14	38.14
बकाया किराया-दुकानदार / पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (considered doubtful)	970.27	951.32
घटाएँ : संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(970.27)	(951.32)
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others(considered doubtful)	81.02	81.02
घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(81.02)	(81.02)
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	0.94	63.65
बकाया किराया-दुकानदार / पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (Considered Good)	101.31	99.90
घटाएँ: संदिग्ध के बकाया लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	-	-
किराया / पानी एवं विद्युत प्रभार- पी डी आई एल	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	27.21	26.05
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	0.79	1.82
प्राप्त होने योग्य राशि (एन एफ एल)	Amount receivable (NFL)	-	-
<b>योग (ख)</b>	<b>Total (b)</b>	<b>181.95</b>	<b>241.76</b>
<b>कुल योग (क+ख)</b>	<b>Grand Total (a+b)</b>	<b>785.76</b>	<b>916.91</b>



**अनुसूची-5  
वस्तु सूचियाँ**

**NOTE-5  
INVENTORIES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है)	(As verified and certified by Management)		
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिये प्रावधान	a. Raw Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	- - - -	- - - -
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिये प्रावधान	b. Packing Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	0.78 (0.78) -	0.78 (0.78) -
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) मार्गस्थ सामग्री सामग्री निरीक्षण में प्लांट में अप्रयुक्त स्टोर्स (प्लेटिनम का स्टाक) घटाएँ: अप्रचलन के लिए प्रावधान	c. Stores & Spares (valued at Cost) Goods in transit Goods under inspection Stores unconsumed with Plant (stock of Platinum) Less- Provision for obsolescence	2.12 - - 174.79 (2.12) 174.79	2.12 - - 174.79 (2.12) 174.79
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिए प्रावधान	Scrap (valued at estimated realisable value) Less- Provision for obsolescence	- -	- -
कुल	Total	174.79	174.79



अनुसूची-6  
प्राप्त होने योग्य ट्रेड एवं अन्य

**NOTE-6**  
**TRADE AND OTHER RECEIVABLES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
भुगतान वाले दिन से छ: महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्त होने योग्य हैं	Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	100.46	80.01
असुरक्षित संदिग्ध समझे गये	Unsecured considered doubtful	1,864.83	1,864.83
खरीद आगम (जीएसटी) प्राप्त होने योग्य	Input (GST) Purchase Receivable	10.07	0.07
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	(1,864.83)	(1,864.83)
अन्य प्राप्त होने योग्य	Other receivable	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>110.53</b>	<b>80.08</b>



**अनुसूची-7**  
**नकद एवं नकद के बराबर**

**NOTE-7**  
**CASH AND CASH EQUIVALENTS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
बैंक में शेष चालू खाता में	<b>Balance with banks in Current accounts</b>	704.07	3,499.46
फ्लैक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	1,263.89	1,25.29
<b>अन्य बैंक शेष</b>	<b>Other Bank Balances</b>		
मियादी जमा खाता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम असली परिपक्वता सहित	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	44,108.32	40,598.87
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित और 12 माह से कम के बाकाया परिपक्वता के साथ	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months but remaining maturity less than 12 months	-	-
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित (सुख-सुविधा राशि)	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund)	97.02	91.71
गैर वर्तमान संपत्ति के तहत घोषित राशि	Amount disclosed under non-current assets	-8.17	-6.79
चैक/डाप्ट्र हाथ में	Cheques / drafts in hand	-	-
नकद हाथ में	Cash in hand	4.22	3.83
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>46,241.35</b>	<b>45,412.37</b>



अनुसूची-8  
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम

**NOTE-8**  
**SHORT TERM LOANS AND ADVANCES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
जब तक कहा न जाये असुरक्षित खरे समझे गये	<b>Unsecured considered good unless otherwise stated</b>		
क. अग्रिम	<b>(a) Advances</b>		
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.78	0.77
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered good)	37.47	32.82
अन्य (खरे समझे गये) आयकर को दिया गया अग्रिम	Others (considered good) advance paid to income tax	327.17	1,267.62
अन्य प्राप्त होने योग्य (संदिग्ध समझे गये)	Other Receivable (Considered doubtful)	-	-
घटाएँ :प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-	-
कार्यलय भवन के निर्माण के लिए एनबीसीसी को भुगतान	Payment to NBCC for construction of office building	650.00	-
माल एवं सेवा कर प्राधिकरण के पास बकाया	Balance with Goods and Service Tax Authorities	70.60	56.33
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	5.99	6.49
सरकारी प्राधिकरणों / अन्यों के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	23.81	23.81
कृभको से प्राप्त होने योग्य कुल	Receivable from KRIBCO	23.50	-
	<b>Total</b>	<b>1,139.32</b>	<b>1,387.84</b>



**अनुसूची-9**  
**अन्य चालू परिस्पत्तियाँ**

**NOTE-9**  
**OTHER CURRENT ASSETS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
बकाया किराया—दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(considered doubtful)	11.24	5.45
घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(11.24)	(5.45)
पट्टा किराया—भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	3.39	0.24
बकाया किराया दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि से (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. ( Considered Good)	78.59	54.18
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent Railway siding	32.13	60.96
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	1,079.77	665.20
पी एफ ट्रस्ट से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from P.F. Trust	1.94	1.94
प्राप्त होने योग्य राशि (ए सी सी)	Amount receivable (ACC)	2.81	2.81
सीजीएसटी नकद बही खाता	CGST Cash Ledger	0.02	0.69
एसजीएसटी नकद बही खाता	SGST Cash Ledger	0.02	0.67
आईजीएसटी नकद बही खाता	IGST Cash Ledger	1.27	2.13
प्राप्त होने योग्य राशि (टी एफ एल)	Amount receivable (TFL)	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,199.94</b>	<b>788.82</b>



**अनुसूची-10** परिस्थितियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटन के लिये हैं

## **NOTE-10 TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL**

(जारी/Continued)

**अनुसूची-10**  
परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं (जारी)

**NOTE-10**  
**TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL (Continued)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

परिवर्ण Particulars	बृहिं को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2020	हटाएँ को सकल मूल्य Additions Deletions	01.04.2021 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2021	01.04.2020 को सचित मूल्यांक Accumulated depreciation as on 01.04.2020	Depre- ciation on 01.04.2020	Depreciation on depreciation as on 01.04.2020	Revaluation	पुर्मुद्दलक्ष्य पर मूल्यांक Moolvyaas Accumulated depreciation on Deletions	सचित मूल्यांक Moolvyaas Accumulated depreciation on Deletions	Transfer	जनल को सचित मूल्यांक Moolvyaas Accumulated depreciation on Deletions	जनल को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2021	01.04.2021 को सचित मूल्यांक Moolvyaas Accumulated depreciation on Deletions	01.04.2021 को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2020
सड़कें एवं पुलियाँ-वित्त वर्ष Roads & Culverts - Fy.	104.22		104.22	101.31								101.31	2.91	2.91
भवन-वित्त वर्ष Buildings - Fy	283.20	10.15	273.05	270.79		9.65						261.14	11.91	12.41
रेलवे साइडिंग Railway Sidings	453.71		453.71	431.02								431.02	22.69	22.69
संचात्र एवं उपकरण Plant And Equipment	237.44	23.66	213.78	225.57		22.47						203.10	10.68	11.87
गैस टर्बाइन Gas Turbine	-		-	-		-						-	-	-
जल प्राणाली सीधर एवं निकासी Water System, Sewarage And Drainage	1,069.33	264.75	804.58	1,015.86		251.52						764.34	40.24	53.47
विविध उपकरण Misc. Equipments	49.33	1.51	47.82	49.19		1.43						47.76	0.06	0.14
फर्नीचर ऊङ्गतार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture And Office Appliances	41.34	3.91	37.43	38.46		3.71						34.75	2.68	2.88
परिवहन गाड़ियाँ Transport Vehicles	28.39	2.09	26.30	27.14		1.98						25.16	1.14	1.25
परिवहन गाड़ियाँ Transport Vehicles	1,004	1,004	-	1,004.31								1,004.31	-	-
<b>योग</b>	<b>3,271.27</b>	<b>-</b>	<b>1,310.38</b>	<b>1,960.89</b>	<b>3,163.65</b>	<b>-</b>	<b>1,295.07</b>	<b>-</b>	<b>1,868.58</b>	<b>92.31</b>	<b>107.62</b>			
<b>Total</b>														



**The Fertilizer  
Corporation of  
India Limited**

## अनुसूची-11 इकिवटी शेयर पूंजी

### NOTE-11 EQUITY SHARE CAPITAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<u>प्राधिकृत</u>	<u>Authorised</u>	80,000.00	80,000.00
रु.1,000/- पति शेयर की दर से 8000,000 इकिवटी शेयर (गत वर्ष रु. 1000/- की दर से 8000,000 शेयर)	8000,000 Equity Shares @ Rs 1,000/-each. (Previous Year 8000,000 Equity Shares @Rs 1,000/-)		
<u>जारी किये गये, अभिदत्त एवं प्रदत्त</u>	<u>Issued, Subscribed and Paid Up</u>		
रु. 1,000/- पति शेयर की दर से 7509,239 इकिवटी शेयर (गत वर्ष रु. 1000/- की दर से 7509,239 शेयर)	7509,239 Equity Shares @ Rs 1,000/-each (Previous Year 7509,239 Equity Shares @ Rs 1000/-each)	75,092.39	75,092.39
	<b>Total</b>	<b>75,092.39</b>	<b>75,092.39</b>

#### टिप्पणियाँ / Notes:

अनुबंध के अनुसार तुलन पत्र की तिथि से ठीक पहले पिछले पांच वर्षों में बिना नकद प्राप्त किये पूर्णतः प्रदत्त आबंटित शेयरों की कुल संख्या	शून्य
The Aggregate number of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash in the last five years immediately preceding the balance sheet date.	Nil
कम्पनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा बिना भुगतान किये इकिवटी शेयर	शून्य
Equity Shares calls unpaid by Directors and Officers of the Company.	Nil
अंतिम धारक कम्पनी/धारक कम्पनी और उसके सहायक/सहयोगियों द्वारा धारित शेयर	शून्य
Shares held by ultimate holding company/ holding company and their subsidiaries/ associates	Nil

कंपनी के ऐसे शेयरधारक जो कम्पनी के 5 प्रतिशत शेयर से अधिक के धारक हैं।

Shareholders in the company held by each share holder holding more than 5% shares of the Company.

विवरण	शेयरों की संख्या	धारण का %	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
			As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Particulars	Number of shares	% of Holding	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
भारत सरकार			धारण का %	धारण का %
Hon'ble President of India	7509239	100%	7509239	100%



रिपोर्टिंग के अवधि के आरम्भ एवं अंत में बकाया इकिवटी शेयरों का मिलान

**Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period:-**

क. इकिवटी शेयर पूँजी

**A. Equity Share Capital**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2021 को बकाया		
<b>Balance as at 1st April 2021</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>
वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2022 को बकाया		
<b>Balance as on 31st March 2022</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>
वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2022 को बकाया		
<b>Balance as on 31st March 2022</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>



नोट : 12

Note : 12

ख. अन्य इकिवटी

B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स	अन्य बृहद आय से इकिवटी इन्स्ट्र॔मेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन्द्रिय Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
अप्रैल 1, 2019 को बकाया <b>Balance as at 1st April 2019</b>	75.69	1,499.48	5.92	(23,812.16)	-	-	(22,230.75)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 1, 2020 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया <b>Restated balance as at beginning of 1st April 2020</b>	75.69	1,499.48	5.92	(23,812.16)	-	-	(22,231.07)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े / (घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	(57.10)	-	5,276.81	-	-	5,219.71
मार्च 31, 2020 को बकाया <b>Balance as on 31st March 2020</b>	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-

(जारी/Continued)



विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन्द्रिय Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
मार्च 31, 2021 को पुनर्लेखित बकाया							
Restated balance as at beginning of 31st March 2021	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	5,105.25	-	-	5,105.25
मार्च 31, 2021 को बकाया							
<b>Balance as on 31st March 2021</b>	<b>75.69</b>	<b>1,442.38</b>	<b>5.92</b>	<b>(13430.10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11,906.11)</b>
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	3,573.87	-	-	3,573.87
Addition/ (deletion) during the year	-	(110.33)	-	-	-	-	(110.33)
मार्च 31, 2022 को बकाया							
<b>Balance as on 31st March 2022</b>	<b>75.69</b>	<b>1,332.05</b>	<b>5.92</b>	<b>(9,856.23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8,442.57)</b>



		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)						
विवरण Particulars	Opening balance as at 01.04.2019	लेखा परीक्षा प्रारंभिक बकाया	बुद्धि नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ Changes in accounting policy/prior period errors	अन्य बुद्धि आय पुनर्लेखित बकाया	लाभांश को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जर्जर को अंतरण रिजर्व को अंतरण	31.03.2020 को अंतिम बकाया
आरक्षित पूँजी Capital Reserve	01.04.2019 को प्रारंभिक बकाया	लेखा परीक्षा 01.04.2020 को पुनर्लेखित बकाया	बुद्धि नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ Changes in accounting policy/prior period errors	अन्य बुद्धि आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जर्जर को अंतरण रिजर्व को अंतरण	31.03.2020 को अंतिम बकाया
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,499.48	-	75.69	-	-	-	-	75.69
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होल्टिंग पर समिति)	Other Reserve (Subsidiy on Industrial Holding)	5.92	-	1,499.48 (57.10)	-	-	-	1,442.38
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss			5.92	-	-	-	-	5.92
कुल आरक्षित Total Reserves	(22,230.75)	(0.32)	(23,811.84)	(0.32)	(23,812.16)	5,276.81	-	(18,535.35)
								(17,011.36)
विवरण Particulars	Opening balance as at 01.04.2020	लेखा परीक्षा प्रारंभिक बकाया	बुद्धि नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ Changes in accounting policy/prior period errors	अन्य बुद्धि आय पुनर्लेखित बकाया	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जर्जर को अंतरण रिजर्व को अंतरण	31.03.2021 को अंतिम बकाया
आरक्षित पूँजी Capital Reserve	01.04.2020 को प्रारंभिक बकाया	लेखा परीक्षा 01.04.2020 को पुनर्लेखित बकाया	बुद्धि नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ Changes in accounting policy/prior period errors	अन्य बुद्धि आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	जर्जर को अंतरण रिजर्व को अंतरण	31.03.2021 को अंतिम बकाया
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,518.07	-	-	-	-	-	-	1,518.07
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होल्टिंग पर समिति)	Other Reserve (Subsidiy on Industrial Holding)	5.92	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	(18,535.35)	-	(18,535.35)	-	5,105.25	-	-	(13,430.10)
कुल आरक्षित Total Reserves	(17,011.36)	-	(17,011.36)	-	5,105.25	-	-	(11,906.11)

विवरण Particulars	01.04.2021 को प्रारम्भिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्ण अवधि त्रुटिया	01.04.2021 को पुनर्लेखित बकाया	बुद्धि	अन्य बुद्धि आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	अंतरण	31.03.2022 को अंतिम बकाया
	Opening balance as at 01.04.2021	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2021	Addition	Other comprehensive Income	Dividends	Transfer to other income	Transfer	Closing balance as at 31.03.2022
आरक्षित पूँजी									
Capital Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित परिस्थिति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,518.07	-	1,518.07	(110.33)	-	-	-	-	1,407.74
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होल्डिंग पर सक्रियाएँ)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
Other Reserve (Subsidiy on Industrial Holding)									
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	(13,430.10)	-	(13,430.10)	3,573.87	-	-	-	-	(9,856.23)
कुल आरक्षित Total Reserves	(11,906.11)	-	(11,906.11)	3,463.54	-	-	-	-	(8,442.57)



31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

**Statement of changes in equity for the year ended 31.03.2022.**

क. इक्विटी शेयर पूँजी

**A. Equity Share Capital**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2022 को बकाया		
<b>Balance as at 1st April 2022</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year		
31 मार्च 2022 को बकाया		
<b>Balance as on 31st March 2022</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year		
31 मार्च 2022 को बकाया		
<b>Balance as on 31st March 2022</b>	<b>75,09,239</b>	<b>75,092.39</b>



ख. अन्य इकिवटी  
B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इकिवटी इन्स्ट्रूमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)				
अप्रैल 1, 2020 को बकाया Balance as at 1st April 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 1, 2020 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 1st April 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
को बदली /रिटेन्ड आमदनी Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	5,105.25	-	-	5,105.25
मार्च 31, 2021 को बकाया Balance as on 31st March 2021	75.69	1,442.38	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-

(जारी/Continued)



विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन्द्रिय Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डिस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
मार्च 31, 2021 को पुनर्लेखित बकाया							
Restated balance as at beginning of 31st March 2021	-	1,518.07	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ							
Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2021 को बकाया							
Balance as on 31st March 2021	-	1,518.07	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ							
Profit for the year	-	-	-	3,573.87	-	-	3,573.87
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to/from Retained Earnings	-	(110.33)	-	-	-	-	(110.33)
जोड़े / (घटाएं) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2022 को बकाया							
Balance as on 31st March 2022	-	1,407.74	5.92	(9,856.23)	-	-	(8,442.57)



**अनुसूची-13**  
**ट्रेड एवं अन्य देयताएं**

**NOTE-13**  
**TRADE AND OTHER PAYABLES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
ट्रेड देयताएं	<b>Trade Payables</b>		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.	-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	557.25	557.25
		<b>557.25</b>	<b>557.25</b>

**अनुसूची-14**  
**दीर्घ अवधि प्रावधान**

**NOTE-14**  
**LONG TERM PROVISIONS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	<b>Provision for employees's benefits</b>	-	-
अन्य	<b>Others</b>		
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	8.52	8.52
ii) नोएडा की भूमि पर जुर्माना व्याज	ii) Penal Interest of NOIDA land		
iii) नेहरू प्लैस फ्लैट धारक (देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है)	iii) Nehru Place Flat owners (Liability Under dispute under Delhi High Court)	7.48	7.48
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>



अनुसूची-15  
अन्य देयताएँ जो चालू नहीं हैं

**NOTE-15**  
**OTHER NON CURRENT LIABILITIES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
अन्य	<b>Others</b>		
पूँजी मर्दें	Capital items	272.95	272.95
		<u>272.95</u>	<u>272.95</u>
अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ	<b>Other long term liabilities</b>		
i) ट्रेड एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	230.18	221.19
ii) प्रतिभूति / बयाना राशि जमा	ii) Security / Earnest money deposit	623.34	489.99
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	92.91	101.44
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (पट्टे पर आवास)	iv) Ex-Employees (Lease accommodation)	2,212.96	2,201.93
v) सांविधिक देयताएँ (गैर विवादित)	v) Statutory liabilities (Undisputed)	78.29	88.13
vi) सीमा शुल्क*	vi) Custom duty*	585.09	585.09
vii) अन्य देयताएँ	vii) Other Liabilities	83.53	79.96
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	114.17	109.46
		<u>4,020.47</u>	<u>3,877.19</u>
		<b>4,293.42</b>	<b>4,150.14</b>

\*देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है।

\*Liabilities under dispute in respective Court.



**अनुसूची-16**  
देव एवं अन्य देयताएं

**NOTE-16**  
**TRADE AND OTHER PAYABLES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
व्यय के लिये लेनदार	Creditor for expenses	7.48	4.67
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit fee payable	2.63	2.63
देय किराया	Rent payable	-	-
		<b>10.11</b>	<b>7.30</b>

**अनुसूची-17**  
अन्य चालू देयताएं

**NOTE-17**  
**OTHER CURRENT LIABILITIES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021
प्रतिभूति / बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	66.99	58.99
देय प्रतिभूति व्यय	Security expenses payable	-	-
सांविधिक देयताएँ	Statutory liabilities	67.39	32.10
कर्मचारियों का वेतन	Salary for employees	0.70	0.71
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	-	0.15
अग्रिम पट्टा किराया	Advance lease rental	1.99	2.85
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	17.85	11.40
		<b>154.92</b>	<b>106.20</b>



अनुसूची-18  
लघु अवधि प्रावधान

**NOTE-18**  
**SHORT TERM PROVISIONS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये</b>	<b>(a) Provisions for employees benefit</b>		
प्रावधान			
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	8.68	12.31
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	5.27	7.63
सेनानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	18.18	24.54
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए. आदि)	Others ( VSS-TA etc.)	0.67	3.12
बोनस	Bonus	0.13	0.20
<b>(ख) अन्य</b>	<b>(b) Other</b>		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	130.11	273.93
सीएसआर व्यय मामलों के लिये	Provision for CSR Expenditure	47.64	-
प्रावधान			
आयकर के लिये प्रावधान	Provision for Income Tax	120.82	1,041.00
(निवल अग्रिम कर तथा टी.डी.एस.)	(Net of advance tax & TDS)		
आई बी पी (आई ओ सी एल) को भुगतान के लिये प्रावधान	Provision for payment to IBP (IOCL)	9.96	9.96
		<b>341.46</b>	<b>1,37.69</b>



**अनुसूची-19**  
**अन्य आय**

**31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट**  
**Notes Forming Part of Financial Statement for the  
Year Ended 31 March 2022**

**NOTE-19**  
**OTHER INCOME**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>ब्याज से आय</b>	<b>Interest Income</b>		
लघु अवधि जमा	Short term deposits	978.06	1,463.65
अल्पकालिक जमा पर ब्याज शार्ट टर्म डिपॉजिट पर टीडीएस काटा गया	Accrued interest on short term deposits	1,079.77	665.20
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	TDS deducted on short term deposits	224.02	173.34
घटाएँ : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Bank deposits workers amenities fund	4.37	4.88
अन्य ब्याज	Less: Transfer to workers amenities fund	(4.37)	(4.88)
<b>अन्य आय अप्रचालन से</b>	<b>Other non-operating Income</b>		
किराया, विद्युत / जल शुल्क की वसूली पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of Rent, Elec/Water charges	93.25	91.46
लाइसेंस फीस की वसूली भूमि के किराये की वसूली ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रेलवे साइडिंग) की वसूली पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Recovery of lease rent from leased Accommodation	80.86	66.18
अन्य आय	Recovery of Licence fee	26.29	27.11
सुरक्षा सेवाओं से आय	Recovery of rent from land	160.15	144.19
अन्य लघु आय	Recovery of Licence fee from ACC (Rly. Siding)	357.97	341.03
सिलेंडर के किराये से आय	Water charges received from PDIL	0.72	1.12
बिड मूल्य की प्राप्ति	Misc Income	3.65	3.50
वापस लिया गया प्रावधान जो नहीं चाहिए स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ (निवल रक्केप परिसम्पत्तियां)	Income from Security Services	30.01	30.22
पूर्व अवधि आय (संदर्भ नोट 23)	Other petty income	14.98	572.32
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	Receipt of Bid value	5.72	29.65
नगर निगम कर से मिली छूट	Rental Income from Cylinder	4.83	1.83
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी और राख की बिक्री	Provision no longer required written back	166.54	129.31
	Profit on sale of Fixed Assets (net of assets scrapped)	85.50	205.00
	Prior period Income (refer note 23)	428.02	2.83
	Profit on sale of Fixed Assets	-	1,263.53
	Rebate received from Municipal Tax	2.94	-
	Sale of Horticultural Products, dry logwoods & Ash	0.25	-
		<b>3,743.53</b>	<b>5,214.49</b>



**अनुसूची-20**  
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

**NOTE-20**  
**EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	21.74	26.99
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.57	0.82
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	1.61	0.38
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	4.57	4.66
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	0.16	0.20
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	0.88	0.56
कुल	<b>Total</b>	<b>29.53</b>	<b>33.61</b>

**अनुसूची-21**  
वित्तीय लागत

**NOTE-21**  
**FINANCE COST**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
अन्य व्याज (सेवा कर/ जीएसटी पर)	Other Interest (on Service tax/GST )	0.09	1.33
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर व्याज	Interest on delayed payment of advance tax	-	-
बैंक प्रभार	Bank charges	0.33	0.30
कुल वित्तीय लागत	<b>Total Finance Cost</b>	<b>0.42</b>	<b>1.63</b>



अनुसूची-22  
मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय

**NOTE-22**  
**DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 20212 को	31 मार्च 20201 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास	Depreciation on Property Plant & Equipment	12.51	9.66
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यहास	Depreciation on Investment Property	-	-
		<b>12.51</b>	<b>9.66</b>



अनुसूची-23

अन्य व्यय

**NOTE-23**  
**OTHER EXPENSES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity & Water charges	15.15	18.26
किराया	Rent	6.00	6.50
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	156.99	143.90
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	418.18	567.24
बीमा	Insurance	0.17	0.39
दर एवं कर	Rates & Taxes	65.58	59.08
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	128.17	107.90
कानूनी एवं वृत्तिक व्यय	Legal & Professional Expenses	76.94	91.42
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	40.57	18.99
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.13	0.17
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	News papers & periodicals	0.22	1.19
गैरेज हाउस प्रभार	Guest House Expenses	0.10	0.05
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	3.01	3.26
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	0.53	0.64
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges of Noida land	2.84	9.23
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	3.54	3.89
यात्रा पर व्यय:	<u>Travel Expenses:</u>		
निदेशक	Director	1.25	1.28
अन्य	Others	15.67	14.80
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenes on vehicles	0.01	0.09
नोएडा भूमि का पट्टा किराया	Lease Rent of Noida land	5.99	-
विज्ञापन	Advertisement	0.02	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	19.26	9.96
पूर्व अवधि व्यय	Prior period expenditure	219.04	19,86.34
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on rehabilitation study	0.14	0.07
अन्य व्यय	Misc. Expenses	18.14	21.13
लेखा परीक्षकों को भुगतान:	Payment to Auditors:		
लेखा परीक्षकों के रूप में	As Auditor		
क) लेखा परीक्षा फीस	a) Audit Fee	2.41	2.41
ख) कर लेखा परीक्षा फीस	b) Tax Audit Fee	0.47	0.47
ग) खर्चों का पुनर्भुगतान	c) Reimbursement off Expenses	-	-

(जारी/Continued)



**अनुसूची-23**  
**अन्य व्यय (जारी)**

**NOTE-23**  
**OTHER EXPENSES (Continued)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
परामर्श शुल्क – पीडीआईएल (पुनर्भगतान का निवल)	Consultancy charges- PDIL (Net of reimbursement)	-	6.13
कोयले की बिक्री पर व्यय	Expenditure on sale of Coal	-	-
सीजीएसटी पर व्यय	Expenditure of CGST	2.16	8.68
आईजीएसटी पर व्यय	Expenditure of SGST	2.13	8.68
एसजीएसटी पर व्यय	Expenditure of IGST	2.20	0.10
सेस पर व्यय	Expenditure of CESS	-	-
लाईसेंस फीस	Filing and licence fee	-	4.30
को परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से हानि भुगतान आयकर विभाग	Loss on Assets transferred to HURL	0.09	13.24
एमएसटीरी पर कमीशन	Payment to income tax	-	387.71
आयकर सी एस आर कार्यों पर व्यय	Commission on MSTC	3.62	4.68
<b>कुल</b>	Expenditure on CSR Activities	47.64	11.16
<b>पूर्व अवधि मद्देन्द्र</b>	<b>Total</b>	<b>1,258.36</b>	<b>3,513.34</b>
वेतन एवं भत्ते	<b>Prior Period Items</b>		
उत्पाद शुल्क / बिक्री कर	Salaries & Wages	0.32	-
कानूनी एवं वृत्तिक	Excise duty / Sales tax	-	-
आयकर को भुगतान (पूर्व अवधि)	Legal & Professional	1.98	1.17
सुरक्षा व्यय	Payment to Income Tax (Prior period)	-	1,966.15
पिछले साल का अतिरिक्त क्रेडिट	Security Expenses	5.47	-
अन्य व्यय	Extra Credit last year	199.00	-
<b>कुल</b>	Other Expenses	12.27	19.02
<b>आय</b>	<b>Total</b>	<b>219.04</b>	<b>1,986.34</b>
पिछले वर्ष में अतिरिक्त डेबिट	<b>Income</b>		
पिछले वर्ष में लधु ऋण	Extra debit in past year	1.26	-
एशियाड गांव में किराए का बकाया	Short credit in past year	417.04	-
अन्य विविध आय	Rent arrear in Asiad Village	9.72	-
<b>कुल</b>	Other Misc. income	-	2.83
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>428.02</b>	<b>2.83</b>
	<b>NET TOTAL</b>	<b>(208.98)</b>	<b>1,983.51</b>



अनुसूची-24  
प्रति शेयर आय

**NOTE-24**  
**EARNING PER SHARE (EPS)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022	31 मार्च 2021 को For the year ended 31 March 2021
वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्धता राशि(ए) शेयरों की भारित औसत संख्या (बी) प्रति भोयर मूल और पाटला आय (ए/बी ) अकिंत मूल्य 100 प्रति शेयर	Net Profit/Loss for the year Amount available for equity share holders(A) Weighted average number of shares(B) <b>Basic and diluted earning per share(A/B)</b> Face value 100 per share	3,573.87 3,573.87 75.09 <b>47.59</b> 5,105.25 5,105.25 75.09 <b>67.99</b>

महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण का भाग हैं।

## क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है।

## I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तक अधिसूचित है के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वैशन के अंतर्गत, कुछ वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को छोड़कर जो कि उचित मूल्यों पर आँके जाते हैं, उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। इण्ड ए एस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, कंपनी नियम 2015 इण्डियन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड के नियम 3 और उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियम के साथ पढ़ें।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष सहित और यहाँ तक कि अवधियों के लिये ग्रुप ने अपने वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित, कम्पनी नियम 2014 इण्डियन जी ए ए पी के पैरेग्राफ 7 के साथ पढ़ें, लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये पहली बार इण्ड ए एस के अनुसार तैयार किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, एफ.सी.आई.एल.

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022.

### A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies, which are being consistently followed.

### I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') (to the extent notified). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the relevant amendment rules issued thereafter.

For all periods up to and including the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, the Group prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019 are the first the Company has prepared in accordance with Ind AS.

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis. Accounts have been finalized on the basis of



की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

## राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए गये हैं। और सभी मूल्यों को निकटतम लाख (रूपये 00,000), बदल दिया गया है, शिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया है।

## II. अनुमान का लगाना

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार करने के लिये प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है जो कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखा अनुमान वर्तमान और भविष्य की अवधि के किसी भी संशोधन में भावी रूप से मान्य है।

## III. व्यापारिक एकरूपता

(क) इण्ड ए एस 101 के अनुसार पहली बार अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधानों को ग्रुप ने भावी व्यापार एकरूपता के लिये इण्ड ए एस लेखांकन को 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय लिया है। अतः व्यापार एकरूपता से संबंधित इण्डियन जी ए ए पी बकाया जो कि उस तिथि से पहले प्रविष्टि की गई है, सद्भावना (गुडविल) सहित, न्यूनतम समायोजन के साथ आगे लेखित कर दिया गया है।

going concern after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

## ROUNDING OF AMOUNTS

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') and all values are rounded to nearest lakh (INR 00,000), except when otherwise indicated.

## II. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

## III. BUSINESS COMBINATIONS

(a) In accordance with Ind AS 101 provisions related to first time adoption, the Group has elected to apply Ind AS accounting for business combinations prospectively from 1<sup>st</sup> April 2014. As such, Indian GAAP balances relating to business combinations entered into before that date, including goodwill, have been carried forward with minimal adjustment (Please ref. note 50). The same first time

(कृपया टिप्पणी 50 को देखें) ऐसा ही पहली बार अंगीकृत छूट का प्रयोग सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लिये भी किया गया है।

व्यापार एकरुपता को अर्जन पद्धति से लेखांकित किया गया है। अंतरित किये गये प्रतिफल के कुल के रूप में अर्जन के लागत का माप अर्जन के दिनांक से उचित मूल्य, और अर्जन में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित ब्याज की राशि को मापा जाता है। प्रत्येक व्यापार एकरुपता के लिये कंपनी या तो अनियंत्रित ब्याज के अर्जन को उचित मूल्य पर मापने के लिये अथवा अर्जन करने वाले की पहचान हो सकने योग्य निवल परिसम्पत्ति का औसत शेराव चुनती है। अर्जन संबंधी खर्चों को व्यय में दिखाया गया है।

#### (ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार से संयुक्त रूप से व्यवस्था है जहाँ व्यवस्था में पार्टियों का संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है और निवल परिसम्पत्ति में संयुक्त उद्यमों का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये संविदागत सहमति है। यह केवल तभी संभव है जहाँ संबंधित गतिविधियों के विषय में पार्टियों जिनका नियंत्रण में हिस्सा है की सर्वसम्मत सहमति से निर्णय लिया जाता है।

यह पता लगाने के लिये विचार किया गया है कि संयुक्त नियंत्रण वैसा ही है जैसा कि सम्बिंदी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये आवश्यक होता है।

संयुक्त उद्यम में निवेश को इक्विटी पद्धति द्वारा लेखांकन किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत पर लिया जाता है ताकि अर्जन की तिथि से सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निवल परिसम्पत्ति के

adoption exemption is also used for associates and joint ventures.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Company elects whether to measure the non controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

#### (ब) Investment in Joint Ventures

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining whether joint control is similar to those necessary to determine control over the subsidiaries.

The entity investments in its joint venture are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The carrying amount of



ग्रुप शेयर में परिवर्तन को जाना सके। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित विश्वसनीयता को निवेश से ली गई राशि में समाहित किया जाता है और अलग से क्षति के लिये परीक्षण नहीं किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण संयुक्त उद्यम के प्रचालन परिणाम को संस्थागत शेयर के रूप में दर्शाता है। इन निवेशकों के ओ सी आई में किसी भी परिवर्तन को संस्था के ओ सी आई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब संयुक्त उद्यम के इक्विटी में परिवर्तन को सीधे मान्यता दी जाती है, ग्रुप अपने शेयर में किसी परिवर्तन को, जहाँ लागू हो, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को मान्यता देता है। कम्पनी और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन के कारण अप्राप्य लाभ एवं हानि को जहाँ तक हो, संयुक्त उद्यम के ब्याज को विलोपित कर दिया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम की कंपनी के हिस्से का घाटा उसके ब्याज के बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है (जिसके अंतर्गत दीर्घ अवधि ब्याज, सार रूप में, संयुक्त उद्यम में संस्था के सकल निवेश का भाग हैं) संस्था आगे होने वाले अपने हिस्से के घाटे को मान्य करना बन्द कर देती है। अतिरिक्त घाटे, एक सीमा तक, तभी तक मान्य होते हैं जब तक कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो। यदि संयुक्त उद्यम आगे चल कर लाभ दिखाता है, संस्था मान्य न किये गये अपने लाभ के हिस्से के बराबर हानि के हिस्से को लाभ का हिस्सा मानना प्रारम्भ कर देती है।

संयुक्त उद्यम के कंपनी के कुल लाभ या हानि के शेयर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

the investment is adjusted to recognise changes in the Group's share of net assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment individually.

The statement of profit and loss reflects the entity share of the results of operations of the joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the entity's OCI. In addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Group recognises its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

If a Company share of losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture (which includes any long term interest that, in substance, form part of the entity's net investment in the joint venture), the entity discontinues recognising its share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture. If the joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.

The aggregate of the Company share of profit or loss of a joint venture is shown on the face of the statement of profit and loss. After

इक्विटी प्रब्ल्यूटि को लागू करने के पश्चात कंपनी यह निर्धारित करती है कि संयुक्त उद्यम के अंतर्गत क्या क्षति घाटा को दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर कंपनी निर्धारित करती है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि संयुक्त उद्यम में किये गये निवेश से उसे छति हुई है। यदि ऐसा प्रमाण है, कम्पनी क्षति की राशि का परिकलन संयुक्त उद्यम के वसूली योग्य राशि और उसके लिये गये मूल्य के बीच के अन्तर को और तब घाटे को सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा, के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

#### **IV. चालू और चालू नहीं में वर्गीकरण**

ग्रुप, तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू/चालू नहीं के आधार पर वर्गीकृत करती है। परिसम्पत्ति को चालू के रूप में माना जाता है जब उसके:-

- मिलने की संभावना हो या बेचने की तैयारी हो या सामान्य विधि से उपभोग करना हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- नकद या नकद के बराबर, जब तक कि विनिमय की पाबंदी न लगाई गई हो या
- नकदी अथवा नकदी के बराबर, जब तक परसंपत्ति के लेन देन पर रोक हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं को निपटारों के लिए उपयोग हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण चालू नहीं के रूप में है।

application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on its investment in its joint venture. At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If there is such evidence, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying value, and then recognises the loss as 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the statement of profit or loss.

#### **IV. Current Versus Non-current Classification**

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Holds primarily for the purpose of trading
- Expects to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent as defined IND AS-7 unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.



देयता चालू के रूप में है जब:

- इसके सामान्य आपरेटिंग चक्र में निपटारा होने की संभावना हो
- इसके प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- इसके रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीने के अन्दर निपटान होने योग्य हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं के निपटान में मतभेद के लिये बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को “चालू नहीं” के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू नहीं परिसम्पत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र, प्रोसेसिंग के लिये अर्जन किये गये परिसम्पत्ति और नकद या नकद के बराबर उनके मान्य होने के बीच का समय है। ग्रुप ने इसके परिचालन चक्र को बारह महीने निर्धारित किया है।

## V. राजस्व मान्यता

जब भुगतान किया जाता है, राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कंपनी को आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। राजस्व को प्राप्त हो गये अथवा होने योग्य राशि को परिभाषित संविदागत भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुये सरकार के लिये इकट्ठी की गई कर एंव शुल्क को छोड़ कर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and non-current liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The group has identified twelve months as its operating cycle.

## V. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

राजस्व मान्यता से पूर्व निम्नलिखित विशेष मान्यता विधि को भी अपनाना चाहिए:-

- निवेश की गई राशि और ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुये ब्याज से आय औसत समय आधार पर मान्य होता है ; और
- राजस्व तब मान्य होता है जब ग्रुप को भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह साधारणतः तभी होता है जब शेयर धारक लाभांश का अनुमोदन प्रदान कर देते हैं और
- निवेश की गई सम्पत्ति के उपर प्रचालन पट्टे से मिलने वाले किराया के आय का पट्टा निवंधन में स्ट्रेट लाइन पद्धति से लेखित किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में, प्रचालन स्वरूप के कारण, राजस्व में अंतरित किया जाता है।

## VI. संपत्ति प्लांट उपकरण (पीजीई)

पिछले जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) में स्वामित्व पर भूमि एवं भवन (सम्पत्ति), निवेशित सम्पत्ति को छोड़ कर, 31.3.2015 को किये गये उचित मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र में लिया गया था। कंपनी ने पुनर्मूल्यांकन की तिथि में सम्पत्ति के उन मूल्यों को लागत के रूप में माना है क्योंकि वे व्यापक रूप से उचित मूल्य से तुलनीय थे। कंपनी ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि 31.3.2015 तक का पुनर्मूल्यांकन अप्रैल 1, 2018 (इण्ड ए एस को प्रभाव में लेने की तारीख) के उचित मूल्यांकन से भिन्न नहीं है इस प्रकार कंपनी ने अप्रैल 1, 2018 को परिसम्पत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र एवं उपकरण के कुछ मदों को इण्ड ए एस के प्रभावी दिनांक से

Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest; and
- Revenue is recognised when the Group's right to receive the payment is established, which is generally when shareholders approve the dividend; and
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.

## VI. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT (PPE)

Under the previous GAAP (Indian GAAP), freehold land and buildings (property), other than investment property, were carried in the balance sheet on the basis of fair valuations performed as at 31.03.2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the revaluation since they were broadly comparable to fair value. The Company has also determined that revaluation as at 31.03.2015 does not differ materially from fair valuation as at 1<sup>st</sup> April 2018 (date of transition to Ind AS). Accordingly, the Company has not revalued the property at 1<sup>st</sup> April 2018 again. Certain items of plant and equipment have been measured at fair value at the date of transition to Ind AS. The



उचित मूल्य पर मापा गया है। ग्रुप उचित मूल्य को प्रभावी दिनांक अर्थात् अप्रैल 1, 2018 को मान्य लागत मानता है।

### अन्य परिसम्पत्तियाँ

- क) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हे 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड़ कर, स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) मूर्त परिसम्पत्तियों का पूँजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।
- ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासांगिक व्यय के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।
- घ) मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हे कंपनी 12 माह से अधिक के लिए उपयोग करना चाहती है का पूँजीकरण ए एस-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया गया है।
- ङ) मूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।
- च) सेवामुक्त स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य हासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जहाँ

Group regards the fair value as deemed cost at the transition date, viz., 1<sup>st</sup> April 2018.

### Other Assets:

- a) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which have been revalued during the year ended 31<sup>st</sup> March 2015.
- b) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- c) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- d) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions Accounting Standard-2 (Revised).
- e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost and expenses could be measured reliably.
- f) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value. However, where fixed assets are already

स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास लागत के 95 प्रतिशत से अधिक का पहले ही कर दिया गया है, उसे वैसे ही बनाये रखा गया है।

## VII. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में गिरावट/कमी को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

## VIII. मूल्यहास

- क. 5,000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।
- ख. मूल्यहास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
- ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

## IX. वस्तुसूचियाँ

- i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

प्रत्येक उत्पाद को वर्तमान स्थान और स्थिति पर लाने के लागत को निम्न प्रकार से लेखित किया गया है:-

- कच्चा माल : वस्तुसूचियों को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने पर किया गया क्रय लागत तथा अन्य लागत सम्मिलित है। लागत का

depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

## VII. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

## VIII. DEPRECIATION

- a) Assets costing up to Rs.5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.
- c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

## IX. INVENTORIES

- i) Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

- Raw materials: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present



निर्धारण पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर किया जाता है।

- तैयार माल एंव कार्य प्रगति में : लागत में प्रत्यक्ष सामग्री एवं श्रम एवं सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवर हेड्स के अनुपात की लागत, लेकिन उधार लिये गये की लागत को छोड़कर, शामिल है। लागत पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ट्रेड किया गया सामान: लागत में खरीद की लागत एवं अन्य लागत शामिल हैं जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

व्यापार के साधारण तरीके से अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत में से घटाकर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

कंपनी के पास 174.79 लाख रुपये की वस्तुसूचियाँ हैं जो कि तुलन-पत्र में अब तक है। इसमें से 174.79 लाख रुपये की प्लेटिनम का भंडार है जिसका मूल्य लागत से कम पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया गया है। प्लेटिनम का मूल्य खरीद की तारीख के बाद से काफी बढ़ गया है। अतः प्लेटिनम के भंडार का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

पैकिंग सामग्री और स्टोर और पुर्जों के अन्य भंडार को निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा गया है और मूल्य में अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

location and condition. Cost is determined on first in, first out basis.

- Finished goods and work in progress: cost includes cost of direct materials and labour and a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity, but excluding borrowing costs. Cost is determined on first in, first out basis.
- Traded goods: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company has platinum inventory of Rs.174.79 lakh lying as on the date of Balance Sheet. Out of this Rs.174.79 lakh consist of Stock of Platinum which has been valued at lower of cost and net realisable value. The value of platinum has increased substantially since the date of purchase. Therefore, the stock of platinum has not revalued.

The other stock of packing material and stores & spares has been measured at net realisable value and provision has been created for obsolescence in value.

## ii) अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल स्टोर्स एवं स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है। केवल इन्हें छोड़ कर:-

- क) कोरबा प्लांट में मूल्य, लागत के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और
- ख) सिन्दरी प्लांट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रुपये मूल्य का प्लेटिनम भंडार में रखा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लेटिनम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री रसायन, कैटेलिस्ट और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रीकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत के 100 प्रतिशत पर अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

## X. गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक को यह आकलन करती है कि परिसम्पत्ति में क्षति होने के क्या कोई संकेत हैं। यदि संकेत हैं या जब परिसम्पत्ति के वार्षिक क्षति जॉच की आवश्यकता होती है तब कंपनी परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि, एक परिसम्पत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट के उचित मूल्य से अधिक को निपटान की लागत और उपयोग में इसकी कीमत में घटाने से प्राप्त होती है। जब तक कि परिसम्पत्ति नकद प्रवाह पैदा न करती हो जो कि अन्य परिसम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों के समूह से वे अधिकतर स्वतंत्र

## ii) Obsolescence or depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:

- a) In Korba Plant, the inventory value considered at 5% of the cost and
- b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 174.79 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost towards obsolescence.

## X. IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or



होते हैं, व्यक्तिगत परिसम्पत्ति के लिये वसूली राशि का निर्धारण किया जाता है जब एक परिसम्पत्ति या सी जी यू की कैरिंग राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसम्पत्तियों को क्षति युक्त समझा जाता है और तब उसे वसूली योग्य राशि से कम करके लिखा जाता है।

जो उपयोग में हो रहा है, उसके मूल्य का आकलन करने से पूर्व कर रियायत दर को अपनाते हुये जो समय धन का मूल्य और जोखिम परिसम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को उसके वर्तमान मूल्य में से रियायत दिया जाता है। उचित मूल्य के निपटान की लागत का निर्धारण करने में, वर्तमान बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस प्रकार के किसी लेन-देन की पहचान नहीं हो सकती है तब एक उपयुक्त मूल्यांकन माडल का उपयोग किया जाता है।

ओ सी आई को ले जाये गये पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के साथ पहले पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति को छोड़ कर वास्तुसूचियों की क्षति सहित लगातार प्रचालन में क्षति से हुई हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया गया है। इस प्रकार की सम्पत्ति के लिये पूर्व पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक ओ सी आई में क्षति माना जाता है।

यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई संकेत है कि पहले मानी गई क्षति से हानि अब नहीं है या घट गई हैं, गुडविल को छोड़ कर परिसम्पत्ति के लिये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को निर्धारण किया जाता है। पहले मानी गई क्षति हानि में से यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिये परिकल्पना में कोई परिवर्तन है, केवल तभी पहले मानी गई क्षति हानि को सुरक्षित रखा जाता है। वापसी सीमित है ताकि परिसम्पत्ति की वहन राशि

groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Impairment losses of continuing operations, including impairment on inventories, are recognised in the statement of profit and loss, except for properties previously revalued with the revaluation surplus taken to OCI. For such properties, the impairment is recognised in OCI up to the amount of any previous revaluation surplus.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the

इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई होगी, निवल मूल्यहास का, पिछले वर्षों में परिसम्पत्ति के लिये क्षति हानि को नहीं माना गया था। लाभ या हानि विवरण में इस तरह के वापसी को मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसम्पत्ति को एक पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस स्थिति में, वापसी को पुनर्मूल्यांकन बृद्धि के रूप में माना जाता है।

## **XI. कर्मचारी लाभ**

### **i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ**

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.एस.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यन्ति में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

### **ii. सेवानिवृत्ति लाभ**

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

## **XII. पूर्व चुकता व्यय**

25,000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

**XIII. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रवधान किया जाता है।**

carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

## **XI. EMPLOYEES BENEFITS**

### **i. Short Term Employees' Benefits**

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

### **ii. Retirement Benefits**

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

## **XII. PREPAID EXPENSES**

Prepaid expenses up to Rs.25,000/- in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

**XIII. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.**



## XIV. पट्टे पर

इस बात का निर्धारण कि क्या कोई व्यवस्था (शामिल है) पट्टा है जो पट्टे के प्रारम्भ से पट्टे की व्यवस्था पर आधारित है। व्यवस्था, एक पट्टा है, या समाहित है, यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट सम्पत्ति या सम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था सम्पत्ति या सम्पत्तियों की उपयोग करने का अधिकार देती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है।

### जहाँ कम्पनी पट्टेदार है

पट्टे को जहाँ पट्टादाता, पट्टे पर दिये गये मदों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से पर्याप्त रूप में बनाये रखता है, को आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाभ-हानि विवरणिका में आपरेटिंग पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

### जहाँ कम्पनी पट्टेदाता है

पट्टों को जहाँ कम्पनी काफी हद तक परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ का स्थांतरण नहीं करती है, को आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ बशर्ते जो आपरेटिंग पट्टे पर हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल हैं। लाभ-हानि विवरणिका में पट्टों से आय को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर माना गया है। लाभ-हानि विवरणिका में मूल्यहास सहित लागत को व्यय के रूप में माना गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि विवरणिका में तुरंत लिया गया है।

## XIV. LEASES

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

### Where the Company is the lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

### Where the Company is the lessor

Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

## XV. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन मूल आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

### ख. लेखों पर टिप्पणियाँ

1. कम्पनी के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ, सी.सी.ई.ए. के निर्णय का सारांश, को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

- i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है।
- ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरुज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक उद्यमों और ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल को वचनबद्धता फीस के 2500 लाख रुपये एफ.सी.आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति दी गई है।
- iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी दी गयी है। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., सी.डब्लू.सी., और आई.ओ.सी. हैं।
- iv. मै0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता

## XV. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

### B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21<sup>st</sup> May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) dated 9<sup>th</sup> May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:
  - i. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13.
  - ii. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, and the participating PSUs in the revival to make the payment of Rs.2500.00 Lakh towards commitment fees to FCIL to make the net worth of FCIL positive.
  - iii. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.
  - iv. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31<sup>st</sup> March 2003



को देना और इन देयताओं पर लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना ।

v. वर्तमान में नामांकन पद्धति से रामागुण्डम में एन. एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के सुयुक्त उद्यम से मै0 रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) के द्वारा तथा तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ., सी.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम से मै0 तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) सिंदरी इकाई एवं गोरखपुर इकाई को सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसी, एचएफसी एवं एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम मै. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन (एचयूआरएल) के द्वारा पुनर्जीवित/नया प्लांट लगाने का कार्य प्रगति में है।

1.1 एफ.सी.आई.एल. को उसके उपयोगी सम्पत्ति, अवसर लागत, भूमि आदि प्रदान करने के बदले में चरणबद्ध रूप से इकिवटी शेयर उस सीमा तक जारी किये जायेंगे कि अन्य पी.एस.यू. इकिवटी पूँजी के लिये नगद में इकिवटी शेयर इस प्रकार से योगदान करेंगे कि एक समय अवधि के पश्चात जे.वी.सी. में एफ.सी.आई.एल. की इकिवटी हिस्सा प्रोजेक्ट के व्यावसायिक उत्पादन होने के समय प्रोजेक्ट के पूँजी व्यय के इकिवटी भाग का 11 प्रतिशत हो जायेगा।

1.2 रामागुण्डम प्लांट का जीरणोद्धार जिसे एनएफएल, ईआईएल व एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम आरएफसीएल द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 22.03.2021 से प्लांट में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान आरएफसीएल ने 389180.95 मीट्रिक टन यूरिया और 256,500.25 मी.ट. अमोनिया का उत्पादन किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के (-)59.56 करोड़ की तुलना में (-)1037.93 करोड़

with waiver of any interest or penalty imposed on these dues.

v. Presently revival/setting up of new plants is in progress, under nomination route, the Ramagundam Unit is being arrived by M/s Ramagundam Fertilizer and Chemicals Ltd.(RFCL) a Joint Venture of NFL, EIL & FCIL and Talcher Unit by M/s. Talcher Fertilizer Limited (TFL) a Joint Venture of GAIL, RCF, CIL & FCIL. Sindri Unit and Gorakhpur Unit by M/S Hindustan Urvarak and Rasayan Limited (HURL) a joint ventures of CIL, NTPC, IOCL, HFC and FCIL.

1.1 As a consideration to FCIL for providing usable assets, towards opportunity cost, land use etc. FCIL shall be issued equity shares in phases, in proportion to the extent the other PSUs contribute equity shares towards the equity capital in cash, such that, over a period of time, the equity holding of the FCIL in JVC will be 11% of the equity portion of the capital expenditure of the project at the time of commencement of the commercial production of the project.

1.2 The Unit at Ramagundam being revived by M/s. RFCL (a Joint Venture of NFL, EIL and FCIL) has started Commercial Production w.e.f. 22.03.2021.

During the year 2021-22, RFCL has produced 389180.95 MT of Urea and 256,500.25 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (-) Rs.1037.93 Crore as against (-) Rs.59.56 Crore in previous year and PAT of (-)

का पी.बी.टी. अर्जित किया है। और पिछले वर्ष के (-)46.99 करोड़ की तुलना (-)759.37 करोड़ का पी.ए.टी अर्जित किया है।

1.3 तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एलएसटी के नाम एलएसटी के 90 प्रतिशत पैकेज के साथ अनुबंध करार कर लिया है। परियोजना पूर्व की गतिविधियों जैसे जल प्रणाली, बिजली प्रणाली निर्माण एवं कार्य स्थल को चालू करने का काम पूरा कर लिया गया है।

1.4 गोरखपुर एवं सिंदरी इकाई, हर्ल (एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल एवं एचएफसीएल का संयुक्त उद्यम है) ने निम्नलिखित भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है:

**गोरखपुर परियोजना:** प्लांट ने 06.05.2022 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। तथा 90 प्रतिशत लोड पर चल रहा है।

**सिंदरी परियोजना:** एलएसटी के प्लांट की कुल भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत है। सभी उपयोगिता प्लांट स्थापित हो गये हैं, शिवाय आईजीजी प्लांट के।

#### ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

1. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखण्ड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, अनुमानित मूल्य 14.11 लाख रूपये लगाया गया है।

Rs.759.37 Crore as against (-) Rs.46.99 Crore in previous year.

1.3 Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL) have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. Pre Project activities like Construction of water system, construction of Power and site enabling work have been completed.

1.4 The Units at Gorakhpur and Sindri being revived by M/s.HURL (a Joint Venture of NTPC, CIL, IOCL, FCIL & HFCL have achieved an overall physical progress as on date as follows :

**Gorakhpur Project :** The Plant has been commissioned and Commercial Production started on 06.05.2022. The Plant is running at 90% load.

**Sindri Project :** The LSTK Plant's overall physical progress is 99.10% . All Utility Plants have been commissioned, except the IGG Plant.

#### C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

1. Out of total land of 6652.61 acres at Sindri, 112 acres received from Govt.of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs. 14.11 Lakh at notional value as per guidelines of Department of Public Enterprises.



2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ. सी.आई.एल. द्वारा अर्जित की गयी है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/ उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरुज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सुविधा पत्र माँगा है।
3. सरकार लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।
4. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।
5. तलचर में एफ.सी.आई.एल की 933.60 एकड़ भूमि है जो कि राज्य सरकार से वर्ष 1971 और 1979 के बीच प्राप्त हुई है।
6. गोरखपुर एकक में कम्पनी को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान कम्पनी द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।
2. Land measuring 907 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the FCIL DoF. Vide DO NO. 18021/02/2005-FCI dated 25.11.2011, DOF sought a letter of comfort from the Govt. of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.
3. As per the guidelines of Government Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs. 18.64 Lakhs received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.
4. At Talcher Unit, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters quarters for clustering of HWP quarters under mutual agreed arrangement. However, no effect of this exchange has been carried out in the books.
5. At Talcher Unit, FCIL has 933.60 acres land which was received from State Government between 1971 and 1979.
6. At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project. Out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 Lakh had been paid to the Government by Company and the balance 60% valued at Rs.32.67 Lakh was given by the State Government.

7. डी ओ एफ और एम एच ए के बीच हुऐ दिनांक 5.2.2014 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर एकक में कुछ भवन और मकान सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) को दिये थे। जैसा कि डी.ओ.एफ. और एम.एच.ए. के बीच समझौता हुआ था, यूनिट के मै. एच.यू.आर.एल. द्वारा पुनर्जीवन को ध्यान में रखते हुये एस.एस.बी. को लगभग 124 एकड़ में समायोजित करने की सलाह दी गयी है। गोरखपुर में 598.22 एकड़ और सिंदरी में 695 एकड़ भूमि एफसीआई द्वारा एचयूआरएल को लीज पर दी गई है।

8. एफसीआई की राय जाने बगैर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30.01.2019 द्वारा 268.335 एकड़ की बची हुई जमीन जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आधीन कर दी है। राज्य सरकार के समक्ष यह मामला उठाया गया है। परन्तु यह 30.01.2019 के पत्र को वापिस लेने के इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात डी.एम. गोरखपुर के पत्र दिनांक 21.10.2021 के अदेशानुसार 49 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के लिए चिह्नित की गई थी पर 215 क्वार्टस नवम्बर दिसम्बर 2021, शिवाय 7 दुकानें के लिए जिन्हे इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्थागन प्राप्त हुआ है। घ्वस्त कर दिये हैं। रु.1825988 का बुक मूल्य तथा रु. 1816957 रु का संचित मूल्य हास से लिया गया है। तथा रु.9031 वर्ष 2021-22 में बहे खाते में डाल दिया गया है। कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय द्वारा भूमि हथिया लेने के निर्माण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए अनुमति मांगी हुई है। इस बीच गोरखपुर के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30.01.2019 तथा 21.10.2021 के उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र को दर किनार करने हेतु याचिका दायर की है।

7. Certain buildings and quarters have been given to Sashastra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5.2.2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the Unit by M/s HURL, SSB has been advised to accommodate themselves in an area of around 124 acres as was agreed between DOF and MHA. The land leased by FCIL to M/S HURL at Gorakhpur 598.22 acres & at Sindri it is 695.00 acres.

8. Vide letter dated 30.01.2019, Special Secretary (U.P. State Government) has put the residual land of 268.335 acres at Gorakhpur under the control of D.M., Gorakhpur without taking consent of FCIL. The matter has been taken up with the State Government but they are not willing to withdraw their letter dated 30.01.2019. Further, vide letter dated 21.10.2021 issued by DM, Gorakhpur, State Administration has already demolished 215 quarters built on the 49 acres of land in the month of November-December 2021, identified for Sainik School by U.P. Government, except 7 shops, who got Stay Order from Allahabad High Court. The book value of Rs.18,25,988/- and accumulated depreciation of Rs.18,16,957/- have been withdrawn and an amount of Rs.9031/- has been written off in the books during the year 2021-22. We have taken up the matter with DoF for seeking approval to file a writ petition in Allahabad High Court to challenge the unilateral taking over of land by State Government. In the meantime, some ex-employees of FCIL, Gorakhpur Unit, have gone to Allahabad High Court praying for quashing/ setting aside letter dated 30.01.2019 and 21.10.2021 of Government of Uttar Pradesh.



9. रामागुण्डम एकक में 1971 से 1989 तक के वर्षों में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई है और इसका कल्पित मूल्य 4.59 लाख रूपये है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है। सीसीई द्वारा भूमि मिलने पर भूमि को प्लांट के पुनर्जीवन के लिए मै. आरएफसीएल को लीज पर दिया गया है।

10. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आवंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सेक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है।

यह उचित समझा गया की मौके की जगह पर नोएडा में नोएडा अथारिटी द्वारा आवंटित उपलब्ध एफसीआईएल के प्लाट पर कार्यालय भवन बनाया जाये।

रु.59.43 करोड़ लागू टैक्स तथा 7 प्रतिशत एनवीसीसी की लागत से एनवीसीसी को सर्विस शुल्क सहित प्रोजेक्ट मैनेजर कन्सलटेन्ट का कार्य सौंपा गया है। भवन का नक्शा पहले की अनुमोदित हो चुका है। समझौता ज्ञापन पर 25.05.2021 को हस्ताक्षर हो चुके हैं एनवीसीसी ने 12.04.2022 करे भवन निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी कर दिये हैं तथा नोएडा अथारिटी से भवन निर्माण हेतु आवश्यक निर्माण प्राप्त करने हेतु और लंबित हैं।

9. At Ramagundam Unit, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. is free of cost and notionally valued at Rs.4.59 Lakh. As per guidelines of DPE, an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve. The land is leased to M/S RFCL for revival as approved by CCEA.

10. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24<sup>th</sup> May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

It was thought prudent to utilize the plot available with FCIL in NOIDA at a Prime location to construct office building the purpose for which the land was allotted by NOIDA Authority.

M/s. NBCC has been awarded the assignment to work as Project Management Consultant (PMC) for the project at an estimated cost of Rs.59.43 Crore, including applicable taxes and 7% Service Charge of NBCC. Concept drawings of the building have already been approved. MOU with M/s. NBCC has been signed on 24<sup>th</sup> May 2021. NBCC has awarded the Work Order on 12.4.2022 for construction of Office Building and has approached NOIDA Authority for seeking statutory approvals for construction of building, which are under process.

11. दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को एफ.सी.आई.एल. और पी.डी.आई.एल. द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार और उर्वरक विभाग की मंजूरी के बाद भूमि जो पी.डी.आई.एल. के उपयोग में थी और उनकी सिंदरी इकाई की अचल संपत्ति थी दिनांक 30.04.2019 को “जैसा है जहाँ है” आधार पर एफ.सी.आई.एल. को सौंप दिया गया है। इसे कंपनी के खाते की पुस्तकों में नहीं लिया गया है। कैटेलिस्ट प्लांट तथा अन्य संबंधित संपत्ति के पी.डी.आई.एल. के माध्यम से बेचने का कार्य लंबित है।

#### **घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान**

- वर्तमान देयताओं में एक कर्मचारी (पिछले वर्ष 3 कर्मचारी) के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 32.93 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 47.82 लाख रुपये) शामिल हैं जिसका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यों के कारण 31.03.2022 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इस कर्मचारी की सेवामुक्ति के समय 31.03.2022 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इस कर्मचारी के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- अन्य ट्रेड देय में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है। गोरखपुर के 9 कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके छटनी को चुनौती दी जो कि 14.11.2019 को खारिज हो गई अब उन्होंने डिविजन बैंच में 14.11.2019 के आदेश को खारिज करने की अपील की है तथा लंबित है।

11. In pursuance to the MOU signed by FCIL and PDIL on 6<sup>th</sup> September, 2017 and subsequent approval of DOF the land that was under the utilisation of PDIL and the fixed assets of PDIL, Sindri Unit have been handed over to FCIL, on 30/04/2019 on “As is Where is” basis. It has not been taken into books of account of FCIL. The selling of Catalyst Plant and other related assets, through PDIL, is under process.

#### **D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

- Current liability includes provision for employees benefits in Note-18 an amount of Rs.32.93 lakh (previous year Rs.47.42 Lakhs) in respect of VSS compensation for 03 employees (previous year 03 employees), whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2021 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2021 will be accounted for after release of these employees.
- Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakhs (previous year Rs. 5.23 lakhs) in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947. They challenged the retrenchment in the Allahabad High Court by filing a writ, which was dismissed on 14.11.2019. Now, they have appealed to the Division Bench, which is pending for hearing.



## ड. निवेश

केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सिंद्री, गोरखपुर, रामागुण्डम और तलचर के पुनर्जीवन के लिये निम्नलिखित निवेश किये हैं-

### रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग में अनुपयोगी परिसंपत्ति एवं अवसर लागत के लिए प्राप्त ष्टोर निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) रामागुण्डम को 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर 10,000 इक्विटी शेयर में निवेश किया है और कम्पनी को 10 रुपये प्रत्येक के 10,000 इक्विटी शेयर में आवंटित किये गये हैं। शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गये हैं। फिर भी, वर्ष 2017-18 में आर.एफ.सी.एल. ने 92.52 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर एफ.सी.आई.एल. को 9.525 करोड़ में योगदान के लिये वर्ष 2018-19 में कंपनी ने रु.23.27 करोड़ के इक्विटी शेयर प्राप्त किए, 1919.20 में रु. 28.70 करोड़ के इक्विटी शेयर, 2020-21 में रु.44.90 करोड़ के इक्विटी शेयर तथा चालू वर्ष के दौरान रु. 18.54 करोड़ के शेयर, कुल रु. 207.94 करोड़ के इक्विटी शेयर प्राप्त किए हैं।

### तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने 0.50 लाख रुपये तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के प्राप्त हुये हैं।

## E. INVESTMENTS

As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher, following investments are made:-

### Ramagundam Units:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and, opportunity cost are under.

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s.Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) of Rs. 10/- each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company and Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued 9.252 equity share of Rs.92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the years 2018-19, the Company has received equity share of Rs.23.27 Crore, 1919-20 equity share of Rs.28.70 crore, 2020-21 equity shares of Rs.44.90 Crore & during the current year Rs.18.54 Crore, totalling to Rs.207.94 Crore.

### Talchar Unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd.") and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

## सिंदरी इकाई/गोरखपुर इकाई:

वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने 1,66,670/- रूपये हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) में 10/- रूपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयर में निवेश किये हैं। कम्पनी ने शेयर सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हैं। एचयूआरएल के साथ हुए संयुक्त उद्यम के इकरार नामे के अनुसार गोरखपुर और सिंदरी के कुछ इक्विटी शेयर का 10.99 प्रतिशत के हिसाब से इक्विटी शेयर जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

## **च. विविध**

1. निदेशक मंडल की राय में सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिस्थितियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
2. चूंकि कम्पनी में बहुत समय से उत्पादन प्रचालन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक 31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।
3. क. ट्रेड से प्राप्त होने योग्य बकाया भूतपूर्व कर्मचारियों के भुगतान, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखों में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 27.21 लाख रूपये (पिछले वर्ष 28.14 लाख रूपये) अप्रैल 2019 से पुष्टि और मिलान होने पर निर्भर करता है।

## Sindri Unit / Gorakhpur Unit:

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs.1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs.10/- each. The share certificates have been received by the company. The action for issuing equity shares @ 10.99% of total equity share holding of Gorakhpur & Sindri Plants is under process in terms of Joint Venture Agreement with HURL.

## **F. MISCELLANEOUS**

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
2. Since, Company did not have manufacturing operation since long, as per "Companies (Cost Records & Audit) Amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2020-21.
3. a) Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.
- b) Balance of Rs.27.21 Lakh (Previous year Rs.28.14 lakh) receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2019. Further, in Sindri Unit, certain staff quarters were built by PDIL on the land owned by the FCIL and some of these staff quarters were used by FCIL



- बिक्री कर का निर्धारण जो (अपील में लंबित हैं उनको छोड़कर) निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा कर लिया गया है।
- कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2018-19 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश पर आई.टी.ए.टी. के पास अपील की है। तथापि, आईटीएटी ने निर्धारण वर्ज 2012-13 एवं 2013-14 की अपील का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है और आईटीएटी के इस निर्णय के विरुद्ध आयकर विभाग ने आगे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। जोकि बाद में वापस ले लिया गया। वर्ष 2018-19 तथा 2020-21 के लिए आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध हमने सीआईटी (अपील) में अपील दायर की है।
- भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी.एस.एस के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी आई एफ आर द्वारा दिनांक 17.5.2004 और तत्पश्चात, सी सी ई ए के दिनांक 10.8.2011, 9.5.2013 के निर्णय तथा कैबिनेट के 13.07.2016 के निर्णय के अनुसार सभी एकक पुनरुद्धार में हैं जहाँ उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति को पुनरुद्धार कर रहे पी एस यू को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। किये जा रहे हैं तथा जो मद उपयोग में नहीं है उनका निपटान किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय कार्यालय सहित सभी बाकी स्थायी परिसम्पत्तियों एवं वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यपान किया गया तथा कोई भी विसंगति नहीं पाई गई।

and the matter of rent payable to PDIL for these quarters is yet to be settled with PDIL.

- Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to AY 2017-18.
- The Corporate Assessment is completed up to Assessment Year 2018-19. The Income Tax Department is in appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2014-15. However, ITAI has decided appeal for AY 2012-13 & A.Y. 2013-14 in favour of company and Income tax department has further appealed in the Delhi High Court against the order of ITAT for AY 2013-14, which was later on withdrawn. For the AY 2018-19 and 2020-21, we have filed appeal with CIT (Appeal) against the demand of Income Tax Department.
- In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, and further following the decision of CCEA on 10.08.2011, 09.05.2013, and Cabinet decision dated 13.07.2016, all the Units are under revival where usable assets have been /are being handed over to reviving JVs & unusable items are disposed of. Physical verification of remaining fixed assets & inventories was carried out in all the units, including Central Office and no discrepancy was observed.

7. कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण नहीं किया है।
8. उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (प्लांटों को छोड़ कर)

तलचर एवं रामगुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एकाकों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है।

कम्पनी ने निम्न कंपनियों में निवेश किया है:

- क) रामगुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- ख) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और
- ग) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 के संयुक्त उद्यम समझौते की धारा 129(3) के अनुसार एक कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं। जिनमें सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल हैं। इन निवेशित कंपनियों ने इन्ड एएस के अनुसार अपना वित्तीय विवरण तैयार किया है। और इसलिए संयुक्त रूप से नियंत्रित अन्य संस्थानों को भी इन्ड एएस के अनुसार अपना विवरण तैयार करना होगा।

7. There are no dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small & Medium Enterprises Development Act. 2006

8. **Assets Revaluation of usable assets (except 'Plants')**

In Talcher and Ramagundam Units the effect of revaluation of fixed assets has been taken in the financial books in the financial year 2014-15. The revaluation of usable fixed assets was made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and Ramagundam Units respectively.

The Company has made investments in Companies namely

- a) Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited,
- b) Talchar Fertilizers Limited and
- c) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

As per the Joint Venture Agreements. Section 129(3) of the Companies Act, 2013, requires a Company to prepare Consolidated Financial Statements, if it has one or more subsidiaries, which include associate company and joint venture. These investee Companies have prepared their Standalone Financial Statements as per Ind AS and therefore the other jointly controlled entities would also have to prepare its Financial Statements as per Ind AS.



कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनी का कंपनियों में निवेश, जैसा कि इण्ड ए एस-27 में प्रावधान है “वित्तीय प्रतिवेदन के संयुक्त उद्यम में हित” “संयुक्त उद्यम” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कंपनी उपर्युक्त कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों पर संयुक्त नियंत्रण का उपयोग नहीं करती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कंपनी (लेखा) नियम 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने रु. 4,17,041,81 की पूर्व अवधि की ब्याज आय दर्ज की है। उक्त पूर्व अवधि की आय अर्जित ब्याज खाते में वर्ष 2020-21 के लिए रु.21804181 की शार्ट बुकिंग और इसके अलावा सावधि जमा खाते में रु. 19900000 की गलत बुकिंग वर्ष 2021-22 में खर्चे में बुक कर दिया गया है। इस तरह वर्ष 2021-22 के ब्याज की राशि की सही बुकिंग कर दी गई है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने सिन्दरी इकाई में एमएसटीसी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से फलाई एश की 0.85 करोड़ रु. की पी.डीआई.एल. की सहायता से बिक्री की है। उक्त बिक्री पीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Accounting Standard AS-27 ‘Financial reporting of Interests in Joint Ventures’ as the Company does not exercise joint control over the economic as IND AS-28 investment in forntverture activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022 and also have prepared its Standalone Fincial Statements as per requirements of the notified accounting standard under section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

- During the financial year 2021-22 the Company has booked prior period interest income of Rs.4,17,04,181. The said prior period income arose due to short booking in accrued interest account by Rs.2,18,04,181 for 2020-21 and wrong booking of Rs.1,99,00,000 in Fixed Deposit Receipt account instead of accrued interest .The said Fixed Deposit receipt is reversed in FY 2021-22 by booking the expenditure in prior period item. Thus, the interest income of 2021-22 has been booked correctly.
- During the year 2021-22, the Company has sold Fly Ash/Bottom Ash through e-auction by M/s. MSTC Limited to the tune of Rs.0.85 Crore at Sindri Unit, on as is where is basis with the assistance of PDIL. The same sales were made based upon the valuation report as received from M/s. PDIL.

## छ. संबंधित पार्टी विवरण

### (I) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- श्री नीरजा अदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 20.01.2022 से अब तक।
- श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 22.02.2018 से 20.01.2022 तक।
- श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त), 04.10.2017 से 26.09.2022 तक।
- श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक, 08.9.2016 से 29.09.2021 तक।
- श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक, 29.09.2021 अब तक।
- श्री जोहान टोपनो, निदेशक, 20.04.2020 से अब तक।

### (II) संयुक्त उद्यम कम्पनी

- रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड)
- हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

## ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं हैं जिसकी रिपोर्टिंग की जाये।

## G. RELATED PARTY DISCLOSURES

### (I) Key Management Personnel:

- Shri Neeraja Adidam, Chairman & Managing Director, 20.01.2022 to till date.
- Shri Dharan Pal, Chairman & Managing Director, 22.02.2018 to 20.01.2022.
- Shri Niranjan Lal, Director (Finance) 04.10.2017 to 26.09.2022.
- Shri Anilkumar Vinayak Patil, Director 08.09.2016 to 29.09.2021.
- Smt. Geeta Mishra, Director 29.09.2021 till date.
- Shri Johan Topno, Director 20.04.2020 to till date.

### (II) Joint Ventures Company

- Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited.
- Talchar Fertilizers Ltd. (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd.)
- Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.

## H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.



## इ. आय पर कर

सरकार द्वारा निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भावी कर योग्य लाभ के आभासी अनिश्चितता के अभाव में मैट क्रैडिट/पात्रता को लेखों में नहीं लिया गया है।

## ट. प्रति शेयर अर्जन

प्रतिशेयर बेसिक अर्जन जो कि प्रति शेयर अर्जन से संबंधित है जिसकी गणना कर नें के बाद निवल लाभ को उस अवधि में बकाया कुल भारित औसत शेयर में से विभाजित करके प्राप्त किया गया है जो कि इस प्रकार है:

	2021-22	2020-21
इक्विटी शेयर धारक को देय	3573.86	5105.25
वर्ष का निवल लाभ (लाख रुपये)		
शेयरों की संख्या	75,09,239	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रुपये में)	1,000	1,000
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल (रुपयों में) :	47.59	67.99
द्रवीय (रुपयों में) :	47.59	67.99

## I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of IND AS 12 income taxes on Income, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

MAT credit/ entitlement has not been recognised in the books of accounts due to absence of virtual certainty of future taxable profit as stated above.

## J. EARNING PER SHARE

Basic Earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

	2021-22	2020-21
Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh)	3573.86	5105.25
No. Of Shares	75,09,239	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.)	1,000	1,000
Earning per Share :		
Basic (In Rs.):	47.59	67.99
Diluted (In Rs.):	47.59	67.99

**ठ. अतिरिक्त सूचनाएँ**

	31.3.2022 को	31.3.2021 को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

**ड.** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुपालन अनुसार कंपनी को वर्ष 2021-22 में रु.12.86 लाख तथा पूर्व वर्ष 2020-21 में रु.45.94 लाख का व्यय अनुसूचि VII में दिये गये गतिविधियों में करना था।

परन्तु गठन त्रुटि के कारण कंपनी वर्ष 2021-22 में इस पद पर कोई काम नहीं कर पाई पूर्व वर्ष कंपनी रु.45.94 लाख की जगह केवल रु.11.16 लाख का अनुदान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में दिया। अतः रु. 47.64 लाख का प्रावधान (रु.3478 लाख 2020-21 के लिए एक रु. 12.68 लाख 2021-22 के लिए वर्ष 2021-22 में कर दिया। यह राशि नामित खाते में 30.09.2022 तक आवश्यक रूप से जमा कर दी जायेगी। वर्ष के दौरान इस निधि को मुख्यतः अनुसूचि VII में दिये गये निम्नलिखित मदों के लिए उपयोगी किया गया।

**K. ADDITIONAL INFORMATION**

	As on 31.3.2022	As on 31.3.2021
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Materials	Nil	Nil
Consumption		
Store and Spares	Nil	Nil
Consumption		

**L.** As per Section 135 of the Companies Act 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee has been formed by the Company.

As per the requirements of the Companies Act.2013( The Act) the Company was required to incur Rs.12.86 lakh in Financial Year 2021-22 and Rs.45.94 lakh in previous year 2020-21 for the activities specified in Schedule VII of the Act.

But due to some calculation error the company could not spent any amount on CSR during 2021-22. In the previous year Company had made a contribution of Rs.11.16 lakh in Prime Ministers National Relief Fund as against the requirement of Rs.45.94 lakh. Therefore, a provision of Rs.47.64 lakh ( Rs. 34.78 for 2020-21 and Rs.12.86 lakh for 2021-22) has been made in 2021-22. This amount will be contributed in the designated accounts by 30.09.2022 positively.

The funds were primarily utilised through out the year on the following activities which are specified in Schedule VII of the Act:-



क्र.स.	विवरण	पहले व्यय राशि Amount already spent	राशियों के व्यय करनी है Amount to be spent	कुल Total
S.No	Particulars			
(i)	किसी एसेट के अधिग्रहण/निर्माण पर	-	-	-
(i)	Construction/acquisition of any asset	-	-	-
(i)	उपरोक्त;पद्ध के अतिरिक्त कारण पर	-	47,64,000	47,64,000
(ii)	On purposes other than (i) above	-	47,64,000	47,64,000

म. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता ( जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है )

**M. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
<b>(I) आकस्मिक देयताएं</b>	<b>(I) Contingent Liabilities</b>		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित ब्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
बिक्री कर के लिये माँग सम्पत्ति कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	2,636.87	2,488.60
आनुतोषिक****	Demand for Property Tax	16.64	16.64
मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Gratuity****	-	3,000.00
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 09-10**	Pending decision of Court/under Arbitration	1,061.63	1,061.63
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 11-12**	Income Tax demand A.Y. 09-10*	2,12,616.78	2,12,616.78
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 12-13***	Income Tax demand A.Y. 11-12**	1,750.02	1,750.02
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 13-14***	Income Tax demand A.Y. 12-13***	-	588.21
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 14-15***	Income Tax demand A.Y. 13-14***	-	4,14,657.92
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 18-19**	Income Tax demand A.Y. 14-15***	267.10	267.10
आयकर माँग निर्धारण वर्ष 20-21**	Income Tax demand A.Y. 18-19**	5,698.17	-
	Income Tax demand A.Y. 20-21**	2,27,205.84	



**म. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता ( जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है )**

**M. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

<b>विवरण</b>	<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2022</b>	<b>As at 31.03.2021</b>
आयकर की मांग विदेशी तकनीशियन	Income tax demand foreign technicians***	19.14	19.14
स्क्रेप डीलर को पेय होम गार्ड के लिए सेवा कर मांगा हेतु	Amount payable to Scrap dealer Service Tax demand on Home Guard	187.00 8.02	187.00 -
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent Liabilities	4,51,467.21	6,36,757.12
<b>(II) प्रतिबद्धता</b>	<b>(II) Commitments</b>	-	-
(i) मैसर्स डिलौयट टौउच हाउमास्टु इंडिया प्राइलिं	(i) M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd.	104.08	104.08
(i) मैसर्स एनबीसीसी	(ii) M/s. N.B.C.C.	5,293.00	-
		4,56,864.29	6,36,757.12

\*आयकर अपीलेड ट्रिब्युनल में अपील दायर कर रखी है।

\*Appeal has been filed with (ITAT)

\*\*आयकर कमिशनर (अपील) में अपील दायर कर रखी है।

\*\* Appeal has been filed with CIT (Appeal)

कंपनी ने मांग को चुनौती दी है और कानूनी परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं है, कि कारवाई में सफल होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।

The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

\*\*\*यह तलचर इकाई की देय फीस है जो कि कोर्ट में विवादित है।

\*\*\*It is Talchar Unit fee payable ,which is under dispute in Court.

\*\*\*\*माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने 07.04.2022 के निर्माण में इस मांग को खारिज कर दिया है। अतः कोई देयता नहीं है।

\*\*\*\*The Hon'ble Supreme Court vide Judgement dated 7.04.2022 has disallowed the claim, hence no liability.



N. Previous year's figures have been regrouped / re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current years' figures.

एन. पिछले वर्ज के आकंड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक पाया गया पुनर्समोहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हे वर्तमान वर्ज के आकंड़ों के साथ तुलनीय बनाया जाये।



**नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2022 तक समाप्त वर्ष के लिये)**

**CASH FLOW STATEMENT  
(For the year ended 31st March, 2022)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:</b>			
असाधारण आय एवं कर पूर्व निवल लाभ	<b>A Cash Flow from Operating Activities</b>	2,442.71	1,656.25
समायोजन के लिये:	Net Profit Before Tax before Exceptional Income		
वर्ष के दौरान मूल्यव्याप्ति	Adjustments for :-		
एचयूआरजीएल के स्थाई परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर से हानि	Depreciation for the year	12.51	9.66
ब्याज पर व्यय	Loss on transfer of Fixed Assets to HURL	-	13.24
ब्याज से आय	Interest Expense	-	-
विशिष्ट आय—हस्तांतरण	Interest Income	(2,281.85)	(2,302.19)
पूर्व अवधि व्यय	Others Non Operating Income	(252.04)	(2,912.30)
सीएसआर का प्रावधान	Perior Period Expenditure	20.04	2,372.54
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for CSR	47.64	-
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	Provision for doubtful debts	<u>19.26</u>	<u>9.66</u>
समायोजन के लिये:	Operating Profit before Current/Non	8.27	(1,152.84)
ट्रेड देय में बढ़त / (घटत)	Current Assets and Liabilities		
प्रावधान में बढ़त / (घटत)	Adjustments for :-		
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त / (घटत)	Increase/(decrease) in trade payables	2.81	7.90
अन्य चालू देयताओं में बढ़त / (घटत)	Increase/(decrease) in provisions	(1,031.23)	934.33
गैर चालू ऋण एवं अग्रिम में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) long term liabilities	-	-
ट्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) in other current liabilities	192.00	(3.42)
वर्तमान व्ययों में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) in Non current Loans & Advances	0.31	(675.15)
ऋण एवं अग्रिम में घटत / (बढ़त)	Decrease/(Increase) in trade receivables	(30.45)	(26.09)
अन्य परिसंपत्तियां जो चालू नहीं हैं में घटत / (बढ़त)	Decrease/(increase) in inventories	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियों में घटत / (बढ़त)	Decrease/(Increase) in loans and advances	248.83	2,458.78
प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Decrease/(Increase) in other non-current assets	131.15	437.36
भुगतान किया गया कर/वापसी	Decrease/(Increase) in other current assets	(411.13)	<u>168.34</u>
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद	Cash generated from Operations	(889.44)	2,149.21
	Tax paid Paid/Refunds	(357.80)	(1,041.00)
	Net Cash Flow from Operating Activities	<u>(1,247.27)</u>	<u>1,108.21</u>

(जारी/Continued)



नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2022 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

**CASH FLOW STATEMENT**  
**(For the year ended 31st March, 2022) (Continued)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह</b>			
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	Proceeds from sale of fixed assets/scrap	85.50	15.48
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(4.92)	5.79
3 माह से अधिक स्वयं जमा में निवेश	Investments in FDR maturity more than 3 Months	(3,806.20)	(3,806.17)
प्राप्त ब्याज	Interest received	2,281.85	2,302.19
निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchases of Non Current Investments	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	Net Cash flow from Investing Activities	<u>(1,547.77)</u>	<u>(1,482.71)</u>
<b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:</b>			
इकिवटी शेयरों से प्राप्ति	Proceeds from Equity Shares	-	-
पूँजी एवं डिबेचर की वापसी	Redemption of Capital and Debentures	-	-
ब्याज/लाभांश की आदायगी	Interest/ Dividend Paid	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद	Net cash from Financing Activities	-	-
नगद और नगद के बराबर निवल बढ़त/घटत (कखग)	Net Increase /decrease in Cash & Cash equivalents( A+B+C)	<u>(2,795.01)</u>	<u>(374.50)</u>
प्रारम्भ में नगद और नगद के बराबर	Opening Cash & Cash equivalent	<u>3,503.29</u>	<u>3,877.79</u>
अंत में नगद और नगद के बराबर	Closing Cash & Cash equivalent	<u>708.8</u>	<u>3,503.29</u>
नगद और नगद के बराबर का मिलान बैंकों में बकाया:	Reconciliation of Cash & Cash equivalent		
चालू खाता में	Balance with banks in		
फलैक्सी जमा खाता में	Current accounts	704.07	3,499.46
नगद हाथ में	Flexi Deposit Account	-	-
तुलन पत्र के अनुसार नगद एवं नगद बकाया	Cash in hand	4.22	3.83
	Cash & Cash Balance as per Balance Sheet	<u>708.29</u>	<u>3,503.29</u>

भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार कैश फ्लो विवरणों को अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है। कैश लो विवरण में नकदी एवं नकदी समकक्ष बैंक व हाथ में नकद मांग जमा और नकद समकक्ष शामिल होते हैं। जो अस्पत्यधि में होते हैं और अल्पकालिक नकद प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Indian Accounting Standard 7 on Cash Flow Statements. Cash and cash equivalents in the Cash Flow Statement comprise cash at bank and in hand, demand deposits and cash equivalents which are short-term and held for the purpose of meeting short-term cash commitments.

(जारी/Continued)



नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2022 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

**CASH FLOW STATEMENT  
(For the year ended 31st March, 2022) (Continued)**

₹/-	Sd/-	₹/-	Sd/-	₹/-	Sd/-
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)	(जोहन टोपनो)/(Johan Topno)	(निरजा एडीडाम)/(Neeraja Addidam)			
विशेष कार्य अधिकारी/ Officer on Special Duty	निदेशक/Director	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director			
	डिन/DIN 08758583	डिन/DIN 09351163			

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date  
कृते मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स  
For M/s. Deepak Gulati & Associates  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या—007545एन  
Firm Registration No.007545N  
₹/-

Sd/-  
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)  
भागीदार/Partner  
एम. संख्या/M.No. 506545

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi  
दिनांक/Date : 5<sup>th</sup> September, 2022